खण्ड-143, अंक-2
मंगलवार, 20 आश्विन, शक संवत् 1876
(12 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 143 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दबल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल , श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्तशर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनरजी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भोमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवशरण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुभनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मलकी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पियल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की :---
श्री राजेश्वर सिंह,

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१---३---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---[स्थगित किये गये ।]

*४---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---[प्रश्न का उत्तर ३० सितम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत दिया गया ।]

घाघरा से आजमगढ़ पम्प नहर का जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में विस्तार

*५---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले में कोई नहर घाघरा से आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गाजीपुर जिले में भी इसका विस्तार करेगी ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)---घाघरा से आजमगढ़ पम्प नहर फैजाबाद में टांडा के निकट से निकालने की एक योजना बनाई गई है । उक्त योजना को द्वितीय पंचवर्षीय काल में कार्यान्वित करने का विचार है । यह योजना जौनपुर तथा गाजीपुर दोनों जिलों को सुविधा प्रदान कर सकेगी ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जो नहर घाघरा से आ रही है उस पर काम शुरू हो गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---इससे संबंधित हो तो आप जवाब दे दें ।

श्री राममूर्ति---मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कितने रुपये की है ?

श्री राममूर्ति---७,१२,००,००० रुपये का अनुमान है ।

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या ५ श्री बाबूनन्दन ने पूछा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में यह नहर कहां-कहां होकर जा रही है ?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले में तो यह बहुत से गांवों में होकर निकलेगी।

सिंचाई-कर-वृद्धि विरोधी प्रदर्शनकारियों के स्मृति-पत्र पर कार्यवाही

*६---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १० मार्च को विधान भवन के सन्मुख आबपाशी कर वृद्धि विरोधी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जो स्मृति-पत्र सिंचाई मंत्री की सेवा में प्रस्तुत किया था उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति---स्मृति-पत्र पर शासन ने जो कार्यवाही की है, उसकी सूचना माननीय सदस्य को अलग से भेज दी गई है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसानों की खेती की उपज के गिरते हुये दामों को देखकर क्या सरकार सिंचाई रेट को कम करने का विचार कर रही है या करेगी ?

श्री राममूर्ति---इस विषय में कई बार कहा जा चुका है कि इस वक्त सरकार का इरादा रेट कम करने का नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या सिंचाई मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि १९४५-४६ और १९५२-५३ के बीच के ७ वर्षों में जो २२ फीसदी सिंचित क्षेत्र में बढ़ती हुयी है उसमें कमांड एरिया की बात भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति---कहीं पर कमांड एरिया बढ़ाया गया है और बाकी जगहों पर जो पानी था उसको इन्टेंसिव कर दिया गया है। दोनों किस्म की बातें की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष---आपने प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में लिखा है इसकी सूचना माननीय सदस्य को अलहदा से भेज दी गयी है वह मेरे पास नहीं आयी। इसकी नकल मेरे पास आनी चाहिये, क्योंकि इसी के ऊपर पूरक प्रश्न भी किये जाते हैं। उसके न आने से मुझे पता नहीं लगता कि सूचना क्या है। कृपा करके आइन्दा से इसे आप भेज दिया करें।

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, गलती हो गयी। हिदायत कर दूंगा आइन्दा से भेज दिया जाया करेगा।

आजमगढ़ जिले में पकड़ी ताल से निकाली जाने वाली पम्प नहर

*७---श्री झारखंडे राय---क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के पकड़ी ताल से निकाली जाने वाली पम्प नहर की लम्बाई क्या होगी तथा वह कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री राममूर्ति---मुख्य नहर की लम्बाई २ मील और उसकी शाखाओं की भी लम्बाई २ मील है। यह नहर पक्के कामों सहित मार्च, १९५५ तक बन जायेगी। केवल पम्प हाउस बाकी बचेगा जो बिजली के पम्प आने पर संभवतः जून, १९५५ तक बन जायगा।

*८---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पम्प नहर के बनाने में क्या खर्च का अनुमान है तथा कितने गांवों से होते हुये यह नहर कितनी जमीन पर सिंचाई का काम करेगी ?

श्री राममूर्ति--इस पम्प नहर की योजना की कुल लागत ८०,००० रु० होगी जिसमें पम्पों, पम्प हाउस और बिजली की लाइनों का भी खर्चा शामिल है। यह पकड़ी खुर्द, पकड़ी बुजुर्ग, मैरो, सेनीपुर और हरबंसपुर गांवों में होकर जायेगी और इनमें सिंचाई करेगी। इस नहर के कमांड (command) में ३००० एकड़ भूमि होगी जिसमें १६०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, जिसकी तफसील इस प्रकार है--रबी ८५० एकड़, ऊख ३०० एकड़, धान ३०० एकड़, दूसरी जिन्स खरीफ १५० एकड़।

*९--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक इस नहर में कितना काम हो चुका है?

श्री राममूर्ति--मुख्य नहर बन चुकी है। शाखाओं पर काम चालू है। पक्की चुनाई के काम प्रारम्भ किये जाने वाले हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस नहर के लिये जो जमीन ली गयी है उसका मुआवजा किस रेट से और कब तक सरकार देने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति--मुआविजे की रेट के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सर्किल होगा या जो कायदे बने हुये हैं उनके अनुसार ही दिया जायगा। अभी फेहरिस्त तैयार हो रही है, तैयार होने पर मुवाविजा दिया जायगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण का कार्य स्वयं राज्य निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है अथवा किसी को ठेका दिया गया है?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक खुदाई में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी खुदाई की मजदूरी क्या है?

श्री राममूर्ति--मैंने अभी अर्ज किया कि मुझे यह नहीं मालूम कि वहां ठेके पर काम हो रहा है या सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है। जहां तक मजदूरी का सवाल है उसका जो कायदा होगा उसके अनुसार दी जा रही होगी।

*१०--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में सहनूपूर बांध का निर्माण-कार्य

*११--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के सहनूपुर बांध का निर्माण-कार्य पुनः कब से आरम्भ करने जा रही है? इस बांध के कब तक तैयार हो जाने की आशा है?

श्री राममूर्ति--आजमगढ़ जिले में नैनीजोर से सहनूपुर तक के मौजूदा बांध के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का सर्वे करने के लिये सरकार ने एक एस्टीमेट २,१०० रुपये का स्वीकृत किया है। बांध की उपयोगिता की जांच करने के लिये प्रारम्भिक सर्वे किया जा चुका है। विस्तृत सर्वे का कार्य बांध की आवश्यक ऊंचाई तथा लम्बाई चौड़ाई और काम की लागत जानने के लिये शीघ्र आरम्भ किया जायगा। निर्माण-कार्य लगभग २।। महीने के पश्चात् एस्टीमेट आ जाने पर आरम्भ किया जायेगा। आशा की जाती है कि यह बांध नौ महीने में तैयार हो जायगा।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ११ श्री उमाशंकर ने पूछा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांध बनाने के पहले इसकी उपयोगिता पर पूरा विचार तथा सर्वे क्यों नहीं हुआ ?

श्री राममूर्ति--बांध अभी तो बंधा नहीं है, इसका क्या सवाल पैदा होता है।

श्री उमाशंकर--क्या इस सवाल से पहले यहां कोई बांध बना है ?

श्री राममूर्ति--पुराना बांध बना हुआ था जो पानी से बह गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--जो बांध पारसाल बना था उसमें क्या इंजीनियर्स की राय ली गयी थी ?

श्री राममूर्ति--हमारे विभाग से बना होगा तो जरूर ली गई होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो बांध बह गया है उसको कब बनाने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सगरी तहसील में जो यह बांध बन रहा है क्या इससे घोसी तहसील के कुछ गांवों की भी सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति--सगरी तहसील के लिये बन रहा है अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो इसको और आगे बढ़ाया जायगा।

श्री उमाशंकर--क्या यह सही है कि सूचना विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों से सलाह लिये बिना ही इसको शुरू कर दिया था ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया है कि अभी तो सर्वे का कार्य शुरू होगा।

*१२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[स्थगित किया गया।]

*१३-१५--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--[स्थगित किये गये।]

*१६--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--[१० अक्तूबर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में झरर एवं नोहट घाटों पर पक्के पुलों के निर्माण का विचार

*१७--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की जनता के यातायात की सुविधा के लिए वह झरर व नोहटघाट पर पक्के पुलों के बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--झरर घाट राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और यहां पर पक्का पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

नोहट घाट पर पक्का पुल बनाने के विषय पर सरकार अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार करेगी।

*१८-१९---श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---[स्थगित किये गये।]

*२०---श्री रामदास रविदास---[१३ अक्तूबर, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२१---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२१ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२२-२४---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---[२० अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३७-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२५-२६---श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)---[स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

*२७---श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में इस पंचवर्षीय योजना में कुल कितने नलकूप लगेंगे?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन ११० नलकूप बनाने का प्रयोजन है। इनमें से ७५ नलकूपों को बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी ३५ नलकूपों को बनाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

*२८---श्री लालबहादुरसिंह---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलों की केराकत तहसील में इस पंचवर्षीय योजना में कुल कितने नलकूप लगेंगे?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले की किराकत तहसील में ३ नलकूप बन चुके हैं और २० सरकारी नलकूप और बनाने का प्रस्ताव है। उक्त नलकूपों का बनना वहां के स्ट्रेटा की उपयुक्तता पर निर्भर है।

*२९---श्री लालबहादुरसिंह---क्या इस तहसील में नहर द्वारा सिंचाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राममूर्ति---इस तहसील में नहर द्वारा सिंचाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री लालबहादुरसिंह---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कुल कितने नलकूप बन चुके हैं?

श्री राममूर्ति---२० नलकूप बन चुके हैं।

श्री लालबहादुरसिंह---इन नलकूपों को विद्युत शक्ति कहां से मिलेगी?

श्री राममूर्ति---९ नलकूप अभी डीजल से चल रहे हैं। बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सहायता दी गयी है, वहीं से इन नलकूपों को बिजली मिलेगी।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ३५ नलकूप और बनने वाले हैं वे कब तक विचाराधीन रहेंगे?

श्री राममूर्ति---यह कहना मुश्किल है। यह फंड्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जब फंड्स अवेलिबिल होंगे तभी बनाये जायेंगे।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ९ नलकूप डिजेल इंजिन से चलाये जा रहे हैं उनकी शरह फी घंटा क्या पड़ती है ?

श्री राममूर्ति---एक रुपये में १२ हजार गैलन पानी दिया जाता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरवानी करके बतलायेगी कि ये नलकूप जो बन रहे हैं बराहेरास्त किसके इन्तजाम में बन रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---ये सिंचाई विभाग की देखभाल में बन रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि वहां कौन उसके बनवाने की देखभाल कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जवाब दे दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज तहसील में कितने नलकूप बनाने का आयोजन है ?

श्री राममूर्ति---तहसीलवार तो इस वक्त मेरे पास लिस्ट नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जौनपुर में नलकूप बनवाने की योजना बनायी गयी है, वे कहां-कहां नलकूप लगेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उसका तो एक दफा जवाब दे चुके हैं कि उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों के बनाने में प्रत्येक नलकूप पर क्या व्यय पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति---करीब ६० हजार रुपया पड़ता है एक नलकूप के ऊपर।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डिजेल इंजिन से जो नलकूप चल रहे हैं उनके चलाने में सरकार का प्रति घंटा कितना खर्च पड़ता है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*३०--३२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[स्थगित किये गये।]

*३३---**श्री बाबूनन्दन**---[१४ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३४-३६---**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)---[स्थगित किये गये।]

*३७-३८---**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)---[स्थगित किये गये।]

*३९-४१---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)---[स्थगित किये गये।]

*४२-४३---**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)---[स्थगित किये गये।]

*४४-४६---**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)---[स्थगित किये गये।]

*४७-४८---**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)---[स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में कोरावल से दक्षिण सीमा तक यातायात की असुविधा

*४९--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह सच है कि मिर्जापुर जिले में कोरावल से दक्षिण कोरट सिल्पी गांव से लेकर सिंगरौली परगने तक अर्थात् जिले की दक्षिणी सीमा तक लगभग ८० मील लम्बे क्षेत्र में यातायात के लिए कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर मोटर तथा अन्य सवारी चल सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- जी हां।

*५०--श्री व्रजभूषण मिश्र--यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में यातायात की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय पर विचार किया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में सड़कों के अभाव की सूचना उनको कब मिली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना तो पहले से है लेकिन चूंकि पैसा नहीं था इसलिये वह अभी तक पड़ा रहा।

*५१-५३--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[स्थगित किये गये।]

*५४--५५--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--[स्थगित किये गये।]

*५६-५७--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किये गये।]

डिजेल इंजनों से चलने वाले ट्यूबवेलों पर खर्च

*५८--श्री बलवन्त सिंह--क्या यह सही है कि जहां सरकार के ट्यूबवेल डिजेल इंजिनों से चल रहे हैं और उनका खर्चा फी घंटा ४ रुपया से अधिक बैठता है वहां सरकार पानी लेने वाले किसान को १ रुपया ८ आना फी घंटा सब्सिडी (सहायता) के रूप में दे रही है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो उत्तर में जी नहीं कहा गया है यह किसके लिये कहा गया है ? सरकारी नलकूप नहीं चलाये जा रहे हैं या उनकी शरह की बाबत कहा गया है ?

श्री राममूर्ति--पहले एक मर्तबा यही सवाल किया गया था और मैंने बतलाया था कि हमारे यहां पब्लिक प्लांट लगाया गया है इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां तालाबों और नदियों की खुदाई में प्रतिघंटा ४ या साढ़े ४ रुपया खर्च पड़ता है। उसमें गवर्नमेंट डेढ़ रुपया सब्सिडी देती थी, लेकिन वह स्कीम अब बन्द कर दी गयी है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार ने जो कोआपरेटिव द्वारा नलकूप चलाये हैं क्या सरकार वहां के किसानों को भी इसी तरह की सब्सिडी देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है।

*५९-६०--श्री बलवन्तसिंह--[स्थगित किये गये।]

*६१-६२--श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किये गये।]

*६३-६४--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[२० अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६५-६७--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[स्थगित किये गये।]

*६८--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--[स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में रुद्रपुर-बरहज-गोठिनी घाट सड़क को पक्की करने का विचार

*६९--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में सरजू नदी और राप्ती नदी के बाढ़-क्षेत्रों में जाने के लिये रुद्रपुर से बरहज होते हुये गोठिनी घाट तक की सड़क को कितने दिनों में पक्का बनवा देने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभावग्रस्त क्षेत्रों के सहायतार्थ योजना के अन्तर्गत सरकार ने रुद्रपुर से बरहज तक की सड़क को पक्की सड़क जैसा बनाने तथा लार स्टेशन से लार ग्राम तक की पक्की सड़क को पुनः निर्माण करने को स्वीकार किया है' परन्तु इसकी पूर्ति भविष्य में धन प्राप्ति पर निर्भर है। शेष भाग को पक्का बनाने के विषय में अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या निर्माण मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि बरहज से गोठनी घाट तक पहले सड़क मौजूद थी और वह इस वक्त खराब हो गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--रुद्रपुर से बरहज तक तो सड़क को बनाना है। पहले कच्ची सड़क होगी। लार स्टेशन से लार ग्राम तक पक्की सड़क है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी को इसका पता है कि बरहज से गोठनी घाट तक का फासला कितना है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

*७०-७१--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[स्थगित किये गये।]

*७२-७३--श्री गंगाधर शर्मा--[स्थगित किये गये।]

कुमायूं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ की मांगें

*७४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास कुमायूं में काम करने वाले पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों के एसोसियेशन की कुछ मांगें आई हैं? अगर हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, सन् १९५२ ई० में सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, कुमायूं की ओर से कुछ मांगें सरकार को प्राप्त हुई थीं। यह मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी गई तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४३ पर)

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ६९ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन श्रमिकों को बाजार भाव से मजदूरी दी जाती है उनको आजकल के भाव के अनुसार कुमायूं डिवीजन में कितनी मजदूरी पड़ती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह बात तो माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगी कि वहां आजकल क्या मजदूरी है, मेरे पास इस समय कोई आंकड़े नहीं हैं कि वहां क्या मजदूरी दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वर्कचार्ज टेस्ब्लिशमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या इस समय क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कुमायूं डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों में और मैदानी इलाके में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई अन्तर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अन्तर तो पड़ता ही है क्योंकि जो मजदूरी इलाके में होती है उसी हिसाब से लगाया जाता है, फर्क तो जरूर होगा ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बरसातियों और कम्बलों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस सवाल पर अभी विचार हो रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब विचार कर रहे हैं कि कितनी जरूरत होगी, कितनी दी जा सकती हैं, कितनी नहीं दी जा सकती हैं, इन सब पर अभी विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बात को देखते हुये कि बहुत से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं तब तक के लिये जब तक विचार हो सरकार बरसाती और कम्बलों के स्थान पर कोई बरसाती एलाउन्स देने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस सवाल पर विचार हो रहा है, एलाउन्स देने का कोई विचार नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी कुमायूं डिवीजन के पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों के अमोसियेशन की मुख्य-मुख्य मांगों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मुख्य मुख्य बातें हैं वेतन की वृद्धि, उनको स्थायी करना, कम्बल व बरसाती देना और छुट्टियां आदि देना।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह एसोसियेशन कोई रजिस्टर्ड काडी है ? अगर है, तो क्या सरकार ने उसको मान्यता दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह रजिस्टर्ड काडी है या नहीं, इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है। लेकिन लोग मिलते हैं सरकार के पास मांगें रखते हैं और सरकार भी उनकी बातें सुनने के लिये समय देती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या सरकार इन कर्मचारियों के एसोसियेशन के साथ पत्र-व्यवहार आदि करती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अगर साधारणतयः वह कोई बात पूछते हैं तो अगर उचित समझा जाता है तो जवाब दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी दिये जाने के सम्बन्ध में क्या नियम है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो अस्थायी लोग हैं उनको छुट्टी जैसा इसमें लिखा हुआ है, रविवार के अलावा १० दिन त्योहारों के दिये जाते हैं लेकिन जो स्थायी लोग हैं उनको प्रिविलेज लीव, सिक लीव, आदि जैसे रूल्स हैं उनके मुताबिक मिलती है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार कुमायूं डिवीजन में दिन ब दिन बढ़ते हुये पी० डब्ल्यू० डी० के काम को देखते हुये जो टेम्परी हैं उनको स्थायी स्टैब्लिशमेंट में लाने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी, इनको अस्थायी इसलिये रखा जाता है कि काम एक सा नहीं होता, घटता-बढ़ता रहता है। जितने स्थायी कर्मचारियों की जरूरत होती है उतने स्थायी रखे जाते हैं बाकी अस्थायी रहते हैं।

*७५-७६---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

*७७---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) [स्थगित किया गया।]

*७८-७९---श्री गोवर्धन तिवारी---(जिला अल्मोड़ा)--- [स्थगित किये गये।]

*८०---श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)---[स्थगित किया गया।]

सिकन्दरपुर-बलिया सड़क का निर्माण

*८१---श्री रामसुन्दर पांडेय--- क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर-बलिया रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधीन ले लिया है? यदि हां, तो कब से?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार ने यह सड़क निर्माण करने का निश्चय कर लिया है और बोर्ड से कहा जा रहा है कि वह उसे सरकार को हस्तांतरित कर दे।

*८२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर-बलिया रोड की हालत बहुत ही खराब है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू बजट में इस सड़क के लिये कुछ रुपया भी स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, डेढ़ लाख रुपया रखा गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि यह सड़क आजमगढ़ जिले की घोसी और सगड़ी तहसीलों से होकर जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह बलिया जिले की तहसील है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की खराब हालत सम्प्रति क्यों है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की थी और जब प्रोग्राम बना था कुछ सड़कें लेने के लिये उस समय यह ली गई थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इसको ट्रांसफर करने में देरी की और तब तक कोई काम इस सड़क पर नहीं हो सका। जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो उस समय तक रुपया खर्च हो चुका था इसलिये इस सड़क पर काम न हो सका और इसलिये फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रांसफर किया गया था।

सम्पूर्ण आगरा-बाह सड़क का आधुनकीकरण

*८३--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा बाह रोड कब तक पूरी Paint हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पूरी आगरा बाह रोड के पेन्ट हो जाने की अवधि आने वाले वर्षों में आवश्यक धनराशि की प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई ऐसा प्रोग्राम निश्चित नहीं है जिसके द्वारा इस सड़क के कुछ मील हर साल पेण्ट किये जा सकें और बजट में से उसके लिये रुपया दिया जा सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां माडर्नाइजेशन के लिये जो रुपया मिलता है उसी में से जो हिस्सा इसका पड़ता है वह मिल जाता है। २ मील इस साल चल रहा है और २२ मील पहले हो चुका है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार कितना रुपया हर साल इस सड़क के माडर्नाइजेशन के लिये मिलता रहेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह नहीं कहा जा सकता। जितना रुपया जिस साल के लिये होगा उसी के हिसाब से खर्च किया जायगा।

जिला हमीरपुर में बेला-ताल नेगवां सड़क की दुर्दशा

*८४--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला हमीरपुर की महोबा तहसील में बेलाताल (जैतपुर) से नेगवां (नौगाँव) जाने वाली सड़क अपने निर्माण विभाग के अन्दर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर जिला हमीरपुर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की सूचना मिली है कि जब से यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दी गई, दिन पर दिन इस सड़क की दुर्दशा हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कोई सूचना तो नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार के कुछ प्रार्थना-पत्र उस क्षेत्र से मिले हैं कि इस सड़क को शीघ्र बनवाने की सरकार कृपा करे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रार्थना-पत्र तो आते हैं लेकिन वह जैसा कि बतलाया गया उस पर विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रदेश में कब से चालू की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू की जायगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सड़क है यह निश्चित रूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले ली जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- यह तो विचार होगा। निश्चित रूप से तो कोई बात नहीं कही जा सकती है।

महोबा-राठ रोड पर छतेसर के पुल की निर्माण-योजना

*८५--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महोबा राठ रोड पर छतेसर (ब्रह्मा नदी) का पुल बनाने की कोई योजना है। यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार इस पुल के निर्माण की योजना पर आवश्यक धन की प्राप्ति पर विचार करेगी।

केवलारी नदी पर काजवे की उन्नति

*८६--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पनवाड़ी, हरपालपुर रोड पर केवलारी नदी का पुल पुनःनिर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--काजवे का पुनःनिर्माण नहीं, केवल उसकी उन्नति की गई है जिसमें अब तक लगभग २०,००० रुपया व्यय हुआ है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके निर्माण में कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--करीब ४ लाख रुपया लगेगा।

पथरी एवं बेगम नदियों पर पुल का निर्माण-योजना

*८७--**श्री दीनदयाल शास्त्री** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले दिनों लक्सर स्टेशन और सुल्तानपुर कुन्हारी के मध्यवर्ती पथरी और बेगम नदियों पर पुल बनाने के लिये जिला अधिकारियों से खर्च का तखमीना मांगा था ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--जी हां।

*८८--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह तखमीना कितना था और इन दोनों पुलों का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ८७-८८ श्री बलवन्त सिंह ने पूंछे।

श्री गिरधारीलाल—दोनों पुलों के बनाने की लागत का पक्का तखमीना तो अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु अनुमान है कि इन दोनों पुलों के निर्माण पर लगभग ३,७८,००० रुपया खर्च होगा। इनकी लागत का पक्का तखमीना आ जाने पर और आवश्यक धनराशि के प्रबन्ध हो जाने पर ही इन पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक इन पुलों का निर्माण कराने का वह विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बतलाया गया कि जैसे ही यह कार्यवाही हो जायगी इसका काम शुरू कर दिया जायगा।

गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती भाग में सड़कों की दुर्दशा

*८९—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या सरकार जानती है कि गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती भाग में बलरामपुर राज्य द्वारा बनाई गई लगभग सवा दो सौ मील की कच्ची सड़कें हैं जिनमें से आजकल कुल १३ मील सरकार द्वारा पक्की बनाई जा सकी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोंडा के ट्रांस राप्ती भाग में २२५ मील लम्बी कच्ची सड़कों में से बलरामपुर-तुलसीपुर १४ मील लम्बी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की बनाई जा चुकी है तथा लखीमपुर-उतरौला सड़क के पहले १ से ६ मील तक सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्स बनाये जा रहे हैं। शेष सड़कें जिला बोर्ड के अन्तर्गत हैं।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ये सड़कें जिला बोर्ड गोंडा को कब से हस्तान्तरित की गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब सब सड़कें लौटाई गई थीं, उसी समय यह भी लौटाई गई थी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला बोर्ड, गोंडा को कोई धनराशि इन सड़कों को बनाने के लिये दी गई थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हर साल एल० एस० जी० डिपार्टमेंट से ग्रांट दी जाती है सड़कों के लिये।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि रख-रखाव के अतिरिक्त इन सड़कों के बनाने के लिए, जिनका वर्णन माननीय मंत्री जी ने किया है, कोई धनराशि जिला बोर्ड को प्रदान की गई थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर-गुदौली सड़क देवीपाटन तक दो साल पहले सोलिंग पर दी गई और गिट्टी वग़ैरह और तमाम सामान उस सड़क पर आज तक रखा है, तो यह काम क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से किया गया था या सरकार की तरफ से?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

राप्ती पार क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

*९०--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में राप्ती पार कौन कौन, कितनी लम्बी, कहां से कहां तक की सड़कें और कितने पुल बनने वाले थे और अब तक उनमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--राप्ती नदी के उत्तर में बनने वाली सड़कों तथा उन पर जून, १९५४ ई० तक कार्य की प्रगति का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ..१४४-१५२..पर)

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा गया है उनको जिला बोर्ड, गोंडा से लेकर विभाग द्वारा बनवाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें ली जा रही हैं वे अवश्य जिला बोर्ड से ली जावेंगी ।

पंचवर्षीय योजना के अधीन सड़कों के किनारे वृक्षारोपण

*९१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अधीन पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर वृक्षारोपण की क्या योजना है और उसकी क्या प्रगति है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम भाग-ऐसी कोई योजना नहीं है ।

द्वितीय भाग-यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार के पास सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में कोई नीति या योजना नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पंचवर्षीय योजना नहीं है । वैसे तो सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने का कार्य बराबर रहता है । अभी इस काम को फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया है । यह सोचा गया था कि फारेस्ट डिपार्टमेंट से यह काम अच्छा होगा लेकिन फिर यह मालूम हुआ कि खास-खास सड़कें फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही रहें । बाकी सड़कों पर पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से काम होगा । लेकिन इसके लिये साधारण बजट में जितना पैसा सदन से मिलेगा उसी के अनुसार काम होगा ।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार अब महकमा जंगलात से सड़कों के किनारे वृक्ष नहीं लगवायेगी और पी० डब्ल्यू० डी० स्वयं ही इस काम को करेगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दे दिया गया है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ९१ श्री बलवन्त सिंह ने पूंछा ।

मेरठ डिवीजन में गंगा नहर के मीरानपूर तथा राइट जौली रजबहों का धान की फसल में बंद रहना

*९२--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगा नहर मेरठ डिवीजन रजबहे बीरापुर तथा रास्त जोली के लिये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तथा इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने धान की फसल बोने से पहले काश्तकारों को यह बचन दिया था कि यह दोनों रजबहे धान की फसल के लिये बरसात में भी चलेंगे ?

श्री राममूर्ति--मेरठ डिवीजन गंगा नहर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बरसात को महीनों में धान की सिंचाई के लिये मीरानपुर तथा राइट जौली रजबहों के आवश्यकतानुसार चलवाने की आशा प्रकट की थी।

*९३--श्री बलवन्त सिंह--क्या यह सच है कि धान की फसल बोये जाने पर १५, जुलाई १९५४ के बाद यह रजबहे बन्द कर दिये गये और बार-बार लिखे जाने पर भी २० अगस्त तक भी नहीं चलाये गये और खुश्की की वजह से किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ ?

श्री राममूर्ति--मीरानपुर रजबहा २ जुलाई सन् ५४ से लगातार तीन सप्ताह तक चलाया गया जब इसके कमांड में वर्षा ७ इंच से अधिक हो गई और पानी की मांग फसलों की सिंचाई के लिये समाप्त हो गई तो कृषकों की प्रार्थना पर इस रजबहे को २१ जुलाई से १६ अगस्त सन् ५४ तक बन्द कर दिया गया।

इसी प्रकार राइट जौली रजबहा सिंचाई की मांग के अनुसार चलाया गया। जुलाई में १० इंच तथा अगस्त में पांच इंच वर्षा हो जाने के पश्चात् कृषकों की प्रार्थना पर इसको भी बन्द कर दिया गया। सूखे की दशा होने पर जब फसलों के लिये सिंचाई की मांग ठीक ज्ञात हुई यह रजबहा फिर से चला दिया गया।

इन दोनों रजबहों द्वारा सिंचित क्षेत्रों की जांच विस्तारपूर्वक कर ली गई है। किसी जगह पर बोया हुआ धान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुजफ्फरनगर और मेरठ में १५ जुलाई से १५ अगस्त तक कोई बारिश नहीं हुई थी ?

श्री राममूर्ति--मुझे इसके बारे में ठीक नहीं मालूम है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार को मालूम है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेरठ डिवीजन में और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मेरठ ने काश्तकारों को इस बात का पूर्णतया आश्वासन दिया था कि वे बरसात के मौसम में धान के लिये रजबहे चलाते रहेंगे ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास सिर्फ यही लिखा है कि आशा प्रकट की थी। अगर इससे कोई ज्यादा बात हो तो नोटिस में लाई जाय, मैं देख लूंगा।

श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह रजबहे काश्तकारों के आवेदन पर बन्द किये गये थे ?

श्री राममूर्ति--मैंने तो जवाब में यही कहा है कि जब काश्तकारों ने यह इच्छा प्रकट की तो वे बन्द कर दिये गये।

श्री रामचन्द्र विकल––बरसात में जब कि खुश्की होती है और नदियों में पानी काफी होता है तो नहरें बन्द क्यों की जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष––यह तो आम सवाल है ।

श्री बलवन्त सिंह––जिस समय इन रजबहों को बन्द करना बताया है तो क्या उस समय रुड़की डिवीजन के और रजबहे बन्द कर दिये गये थे पानी ज्यादा होने की वजह से ?

श्री राममूर्ति––नोटिस की जरूरत है ।

श्री बलवन्त सिंह––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस रजबहे मीरानपुर तथा रास्तजोली के लिये सरकार की आगे क्या नीति होगी ?

श्री राममूर्ति––यह तो उसी समय बतलाया जा सकता है, अभी से कहना तो मुश्किल है ।

अतारांकित प्रश्न

निर्माण विभाग द्वारा जिला बोर्ड पीलीभीत को लौटायी गयी सड़कों के रख रखाव के लिए व्यय

१––श्री मुनीन्द्रपाल सिंह––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पी० डब्ल्यू० डी० ने कितने मील सड़क वापस की है और इसके रख-रखाव को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितना रुपया दिया जा रहा है ?

श्री गिरधारी लाल––११७ मील ६ फर्लांग लम्बी कच्ची सड़कें जिला बोर्ड, पीलीभीत को वापस की गई हैं तथा उनके रखरखाव व सुधार के लिये सन् १९५२–५३ ई० में २२,५०० रुपया तथा सन् १९५३–५४ में २३,६०० रुपया के अनुदान सरकार द्वारा जिला बोर्ड को दिये गये ।

गलत इन्दराजों की दुरुस्तगी के विषय पर सरकारी परिपत्र की अवहेलना के सम्बन्ध में दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––कल मेरे पास श्री उमाशंकर जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा था और मैंने उसके उसी वक्त आने के कारण कहा था कि उसे मैं आज लूंगा । गलत इन्दराज को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में जो परिपत्र सरकार की तरफ से भेजा गया है, उसकी अवहेलना हो रही है आम तौर पर, उसके सम्बन्ध में वह चाहते हैं कि इस सदन का समय वाद-विवाद के लिए लिया जाय। यह बहुत अनिश्चित सा विषय है और सामान्य वाद-विवाद इस विषय पर काफी हो भी चुका है। तो ऐसी अवस्था में चूंकि अनिश्चत सा विषय है, इसको मैं अवैध करार देता हूं ।

इसी तरह का गेंदा सिंह जी ने भी आज उसी को थोड़ा बहुत फेर बदल करके, कुछ उसमें एक आध को उदाहरण पेश करके, प्रश्न रखा है, लेकिन उसको भी उसी बुनियाद के ऊपर मैं अवैध करार देता हूं ।

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

† खण्ड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय जोरावर वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, पर विवाद जारी रखेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि मैंने जो खंड २ में संशोधन रखा है, उसमें एक खास बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल हमारे सामने पेश किया है उसमें एक खंड (aa) इस प्रकार से रख दिया है, जिसके अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो अब तक यूनिटरी, टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी अब यह अफ़िलिएटिंग यूनिवर्सिटी हो जायगी। मैंने कहा था कि जनरल भाषण में मंत्री जी ने इस पर कोई विशेष बात ऐसी नहीं कही जिससे यह मालूम हो कि माननीय मंत्री जी को या सरकार को क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गयी कि असोशियेटेड काजेल वहां स्थापित किये जायं और जो मान्यता गैर कायदे से पहले यूनिवर्सिटी पर दबाव डालकर उससे दिलायी गयी थी उसको लीगेलाइज (वैध) किया जाय। इस सम्बन्ध में एक दलील यह अवश्य दी गयी कि चूंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और राधाकृष्णन् कमीशन का भी कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी में ५,००० से अधिक विद्यार्थी हों तो वह यूनिटरी टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं रह सकती है, क्योंकि इतने अधिक विद्यार्थियों को स्थान देना, उनकी पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध करना ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह सम्भवतः भारतवर्ष का पुराना इतिहास भूल गये हैं, जहां नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में १०-१० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और वह यूनिवर्सिटी, यूनिटरी, टीचिंग और रेजिडेंशियल थी। उन्होंने उस विश्वविद्यालय में भारतवासियों को ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि वहां विदेशी भी शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा प्राप्त करने में वे इतना ही गौरव का अनुभव करते थे जिस प्रकार हमारे यहां से आज लोग कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर अपने को गौरवान्वित समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से, मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार इस शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पद्धति का अनुकरण कर रही है और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको छोड़ रही है। पता नहीं कि वह उस प्रणाली को अपनाने में किस गौरव का अनुभव कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह कहना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी १९२१ और उसके बाद भी अफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी रही है, मैं आपकी आज्ञा से, यह बतलाना चाहता हूं कि उसके जो अफीलिएटिंग कालेजेज थे उनकी काउन्सिल ने किस सद्भावना से यह प्रस्ताव पास किया था कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी अफीलिएटिंग न रहे बल्कि यूनिटरी, टीचिंग और रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी रहे। इसी में उस यूनिवर्सिटी और कालेजों का भला है। यह मूथम कमेटी की रिपोर्ट में पेज ४ पर उद्धरण के रूप में दिया हुआ है। १९२३ में जो एसोशिएटेड कालेजेज थे उनकी जो कौन्सिल थी उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया था--

"That.....it will be to the best interests of University Education both at Allahabad and throughout the province that the external colleges at present associated with the University of Allahabad should be completely separated from that University leaving it for the future a purely unitary, teaching and residential University for Allahabad and that the colleges thus separated should be reorganised to form a

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† ११ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जोरावर वर्मा]

separate University having its headquarters at Agra and the Council requests Government to initiate such amendment to the Allahabad University Act, 1921, and such new legislation as will effect these reforms at an early date."

अध्यक्ष महोदय, उस समय कालेजों ने और उस समय के विद्वानों ने इस बात का अनुभव किया था कि जो एसोशिएटेड कालेज या अफीलिएटेड कालेज हैं, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अलग हो जाते हैं तो यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हित में अच्छा ही है और हायर एजूकेशन के हक में भी अच्छा होगा तथा जो एसोशिएटेड कालेजेज हैं उनके भी हक में अच्छा होगा। फिर भी यहां यह कहा गया है कि उसमें इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि यहां तक कहा गया कि इनके जिलों को सिर्फ लीगलाइज कर रहे हैं, इन कालेजों को अफीलिएशन के लिये स्वीकृति दे दी कि वह विश्वविद्यालय की शिक्षा आरम्भ करें। अध्यक्ष महोदय, अगर इस मूथम कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १३६ से १३९ तक पढ़ा जाय तो उसके प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक पंक्ति से यह प्रकट होगा कि गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय के गले को किस तरह से दबाया है कि जो कालेज यहां पर हैं उनको मान्यता देना ही पड़े, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रत्येक शक्ति (Organisation) से गवर्नमेंट की इस नीति का विरोध किया है। मैं आपकी आज्ञा से उन प्रस्तावों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां की जो एकेडेमिक कौंसिल है उसने गवर्नमेंट से इस बात की प्रार्थना की कि जो यूनिवर्सिटी का यूनिटरी करेक्टर है उसको कायम रखने में ही यूनीवर्सिटी का हित है। हम इसके लिए तैयार नहीं हो सकते कि इन कालेजों को अफीलिएट किया जाय। मूथम कमेटी के पृष्ठ १३६ पर कमेटी की धारणा को, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"the Academic Council, on the 21st March, 1951, resolved that it was strongly of the opinion that the character of a unitary teaching and residential University granted to it by the Allahabad University Act, 1921, be regidly maintained. It cannot, therefore, agree to local colleges being affiliated to the University for teaching daily courses taught by this University.

अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल साफ कह दिया है कि इस प्रकार से जो कहा जा रहा है कि इनको अफीलिएशन दे दिया जाय। उसको एडेमिक कौंसिल एक प्रकार से विरोध करती है और बहिष्कार करती है। उसके बाद उस पर दबाव डाला गया।

श्री अध्यक्ष--आपने उसका उदाहरण दे दिया। कई रेजोल्यूशन होंगे उन सब को पढ़ने की जरूरत नहीं।

श्री जोरावर वर्मा--इसी तरह से एग्जिक्यूटिव कौंसिल में भी इसी प्रकार का रेजोल्यूशन सरकार के पास भेजा। आपकी आज्ञा से मैं सिर्फ उसका एक ही विचार, जो उसने प्रकट किया है, पढ़ देना चाहता हूं। जो मूथम कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १३७ पर है--

"In 1951 the University was ased by the Government to reconsider its decision that these two colleges should be affiliated to Agra University;"

मूथम कमेटी की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी पर बेजा दबाव डाला और यह कहा कि इन कालेजों को रिकगनाइज करो। लेकिन यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कोर्ट ने भी अपनी असमर्थता प्रकट की है कि हम इनको अफीलिएशन

नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम एफिलियेशन देंगे तो हमारी यूनीवर्सिटी का जो करेक्टर (चरित्र) है वह चेंज (परिवर्तन) हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसके पेज १३७ पर सन् १९५२ में कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन इस प्रकार पास किया था:—

"That while desiring that higher education must spread in the State without any impediment and fully sumpathising with the desire of local educational institution to help in the spread of that education, the Court of the Allahabad University strongly emphasized the need for maintaining the unitary, teaching and Residential character of the University, given to it by the Allahabad University Act. 1931"

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो इसको एकेडेमिक कौंसिल, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट है उन्होंने, गवर्नमेंट की जो पालिसी थी कि उनको एफिलियेशर दिया जाय, इसका बराबर विरोध किया है। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि अन्त में इस कोर्ट को ईल्ड करना पड़ा और गवर्नमेंट के जोर देने पर रिजोल्यूशन पास करना पड़ा और उनको रिकगनीशन देना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट के पेज १३६–३९ तक पढ़ा जाय तो उससे यह प्रकट हो जायगा कि सरकार से दब कर यूनीवर्सिटी को इन कालेजेज को रिकनीशन देना पड़ा। लेकिन मूथम कमेटी ने साफ कहा है कि जो एफिलियेशन दिया गया है वह इल्लीगल (अवैध) है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अमेंडिंग बिल आया है उसमें कहा तो यह कहा गया है कि चूंकि वहां बहुत भ्रष्टाचार था, उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन (अनुशासन) में बहुत खराबी थी इसलिये हम इस संशोधन को ला रहे हैं लेकिन वास्तव में जो गवर्नमेंट की नीति है वह इस बिल के द्वारा उसे प्रचालित करना ही इसका मकसद है और यह न कह कर दूसरे बहाने पेश किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मूथम कमेटी ने—आपकी आज्ञा से मैं इसे पढ़ देना चाहता हूं कि—जो यह रिकमेंडेशन दी है वह इल्लीगल है, साफ कहा है पृष्ठ १३८ पर—

"We venture to think that the University had not the power to recognize these institutions as colleges within the meaning of the Act; and that even if it had that power the students of such institutions are qualified neither for admission to the examinations of the University nor to receive its degree."

अध्यक्ष महोदय, यह परिस्थिति रही है हमारी इस यूनीवर्सिटी की जब तक यह बिल नहीं आया था तब तक किस प्रकार सरकार ने उसका गला दबाया कि उसको रिकगनीशन एफिलियेटेड कालेजेज को देना ही होगा।

यह भी दलील दी जा सकती है कि जिसे बहुत से सदस्यों ने जनरल भाषण में कहा है कि अगर इलाहाबाद में हम एफिलियेशन नहीं देंगे तो वहां पर जो दूसरे कालेजेज हैं उनको आगरा यूनीवर्सिटी में एफिलियेट करेंगे तो हमें यह डर है कि इलाहाबाद में दो यूनीवर्सिटियां घुस आयेंगी। उन्होंने इस प्रकार अपनी असमर्थता प्रकट की कि जिस प्रकार एक मियान में दो तलवारें नहीं रख सकते उसी तरह एक शहर में हम दो यूनीवर्सिटियां रख कर कैसे अपना कार्यक्रम चला सकते हैं। संभवतः यह दलील देते वक्त वे यह भूल गये कि यही परिस्थिति आज अलीगढ़ यूनीवर्सिटी की है। अलीगढ़ यूनीवर्सिटी का जहां एक तरफ यूनीटरी टीचिंग और रेजीडेंशल करेक्टर है वहां दूसरी तरफ जितने डिग्री कालेजेज हैं वह आगरा यूनीवर्सिटी से एफिलियेटेड हैं। अतएव उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण वे इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के करेक्टर को बदलने के लिये मजबूर थे। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जैसा मैं बतला रहा था कि गवर्नमेंट का यह कहना है कि हमारा कोई अर्थ इससे नहीं था। लेकिन किस प्रकार से सरकार ने अपनी लीगल ओपिनियन (कानूनी सलाह) भी दी थी कि तुम विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस प्रकार एफिलियेट करने

[श्री जोरावर वर्मा]

के लिये मजबूर होना पड़ेगा और इस प्रकार के एफिलियेशन जायज होंगे। अध्यक्ष महोदय, मूथम कमेटी ने पेज १३८ पर यह लिखा है--

"A legal opinion given to the State Government, a copy of which was forwarded to the University on the June, 1949, after detailing a method by which in the writer's opinion teaching can, within the ambit of the Act, be conducted by the University in local institutions, concludes with the statement,

Thus in effect these institutions would be carrying in these classes under their own management, but in law the classes must continue to be deemed to be classes held by the University."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से देखा जाय तो यह मालूम हो जायगा कि गवर्नमेंट की बराबर यह पालिसी (नीति) रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो चरित्र है, उसका जो करेक्टर है उसको किसी न किसी प्रकार से मजबूरन बदल दिया जाय। उनको मजबूरन यह कहा जा रहा है कि तुमको एफिलियेशन देना ही पड़ेगा। यह कह देना कि भ्रष्टाचार था, गुटबन्दी थी इसलिये यह चेंज (परिवर्तन) ला रहे हैं मैं समझता हूं कि यह तमाम बातें सत्य से एवं बुद्धि से परे होंगी। मैं समझता हूं इस विधान सभा को और पब्लिक को एक गलत स्टेटमेंट देना होगा। वास्तव में बात यह है कि मतलब कुछ और है और किया कुछ और जा रहा है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस नीति पर सरकार न जाय तो अच्छा होगा। यद्यपि लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट ने दी लेकिन मूथम कमेटी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि यह जो लीगल ओपिनयन है यह जस्टीफाइड नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के पेज १३९ पर यह दिया हुआ है कि:--

"We have given reasons above for our difficulty in accepting this view as being right in law; but assuming it to be correct it is to us obvious that if such instituions can carry on teaching under their own management the unitary character of the University no longer exists in fact."

इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके प्रियम्बिल में जो यह रखा गया है कि यह यूनिटरी, टीचिंग और रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी है और उसके साथ ही साथ एसोसियेटेड कालेज को शामिल कर देना मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल विरोधी प्रतिपादन होगा। मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना उचित समझता हूं कि यह स्त्री-पुरुष जिनका बिल्कुल अलग-अलग लिंग भेद उनको एक संज्ञा देना होगा। वह एक संज्ञा क्या होगी वह तो वही महाभारत वाली एक संज्ञा होगी जिसको शिखंडी कहते हैं और जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा।

जहां तक सुधार करने की भावना का सम्बन्ध है यह मानना पड़ेगा कि सचमुच इसमें सुधार करना आवश्यक था मगर वह सुधार कैसा हो वह ठीक ही होना चाहिये। किस हद तक वह सुधार होना चाहिये था इसके ऊपर पूरी तरह से गोर नहीं किया गया। यह तो उसी प्रकार से हुआ है जिस तरह से मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा कर दौलताबाद ले जाकर रखा था। उसको आपने आफिसर और अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर ले जाकर रखना था लेकिन वह पूरी दिल्ली को ही उठा कर वहां दौलताबाद ले गया। वही हालत हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। उनको भ्रष्टाचार दूर करना चाहिये था और जितनी वहां पर खराबी थी उनको दूर करना चाहिये था लेकिन उसको दूर न करके उसके चरित्र को मिटाने के लिये ऐसा किया और इसी प्रकार के प्राविजन वह यहां पर लाये हैं। उससे यूनिवर्सिटी का करेक्टर बिलकुल मटियामेट हो जायेगा।

उसके अन्दर जो सुधार की भावना थी उसको न करके उसको निर्मूल नष्ट करने का विधेयक इस सदन के सामने वह लाये हैं। ये जो यहां पर संशोधन इसमें लाये गये हैं वह नाम मात्र के संशोधन हैं किन्तु उसकी स्थिति में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है। मूथम कमेटी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया गया है कि यह एफिलियेटेड कालेज की शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे तो वह अपने यहां उचित शिक्षा का प्रबन्ध कदापि नहीं कर सकती है। वह असोशियेटेड कालेज का प्रबन्ध ही करती रहेंगी और अपने यहां की शिक्षा में उसको उस हद तक सफलता नहीं मिल सकेगी जितना कि उनसे आशा की जाती है। उनका स्टैंडर्ड (स्तर) गिरता जायगा। यूनिवर्सिटी के कार्य को नहीं देखा जायगा और न उसके स्टैंडर्ड को देखा जायगा बल्कि जो एफिलियेटेड कालेज हैं उनका जो महत्व है और उनका जो स्टैंडर्ड है उसको नापा जायगा कि वह यूनिवर्सिटी की किस तरह से शिक्षा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कालेजेज का एफिलिएशन नहीं होना चाहिये क्योंकि स्टैंडर्ड गिर जायगा यह मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के १३९ पेज पर कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विटनैसेज (साक्षी) भी हमारे सामने आये हैं जिन्होंने इस खतरे को पेश किया है कि उनमें डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू और डाक्टर अमरनाथ झा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यदि यह कालेज एफिलिएट कर दिये जायेंगे तो स्टैंडर्ड निश्चित रूप से गिर जायगा और इसी आधार पर मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि यदि इस यूनिवर्सिटी का चरित्र यूनिटरी रखना है तो यह ठीक होगा कि इन कालेजेज को अलहदा कर दिया जाय। पृष्ठ १३९ पर वह लिखते हैं।

"If however the unitary system is to be retained then it follows logically that the connection of the exsiting recognised colleges must be severed."

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं आपकी आज्ञा से यह कहूंगा कि खंड २ में जो यह नयी चीज माननीय मंत्री जी ला रहे हैं वह यूनिवर्सिटी के चरित्र और रूपपूर्ण रूप से बदल देगा। मुझे संदेह है कि जिस उद्देश्य से यह संशोधन पेश किया गया है वह पूरा हो सकेगा? वे अपने जनरल भाषण में कह चुके हैं कि ऐसा वह कुछ दिनों के लिये ही कर रहे हैं और आगे चल कर संभवतः इन बंधनों को हटा दिया जायगा और इसमें संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यह जो एसोशियेटेड कालेजेज जोड़े जा रहे हैं, मुझे संदेह है कि इस विषय में वे आगे कुछ तरमीम कर सकेंगे। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कल कहा था इस संशोधन बिल में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है कि इस समय जो एफिलिएटेड कालेजेज हैं वही रहेंगे, इलाहाबाद शहर के कालेजेज को ही एफिलियेशन दिया जायगा या ऐक्ट में जो १० मील की हद दी हुई है उसी तरह वह लागू रहेगा। इसमें मुझे संदेह है कि यह एफिलियेशन केवल इलाहाबाद या १० मील तक ही रहेगा। मेरे ख्याल में वह आगे भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार से सरकार ने दबाव देकर पुराने नियमों में न होते हुये भी एफिलियेशन दिलाया उसी प्रकार से गवर्नमेंट उन्हें मजबूर करके बाहर के कालेजेज को भी एफिलियेशन दिलायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक में इस पर भी प्रकाश नहीं डाला है कि जिन एफिलियेटेड कालेजेज में बी० ए० या बी० एस० सी० की पढ़ाई हो रही है उनमें केवल बी० ए० की पढ़ाई ही होगी या पोस्टग्रेजुएट की भी पढ़ाई होगी। क्योंकि ऐसा होने पर यह भी सोचना होगा कि इंटरमीजियेट की जो पढ़ाई हो रही है वह कंटीन्यू रहे या बन्द कर दी जाय। ऐसी कोई धारा इस बिल में नहीं है कि इंटरमिजियेट क्लासेज चालू रहें गी या बन्द कर दी जायेंगी। यह चीज जब आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना था तो उसमें धारा २४ में यह रक्खा था। उसकी २४ वीं धारा में यह रक्खा गया था कि जिन कालेजेज को मान्यता दी जायगी उनके लिये क्या-क्या शर्तें रखी जायंगी लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ऐक्ट में ऐसा कोई प्राजीवन नहीं रखा है। मैं उसे पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष––मैं इसकी इजाजत नहीं देता। जब वह विषय आये तब आप उसे पढें। इस सिलसिले में इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो एफिलियेशन के विरोध में जो कहना चाहें कहें।

श्री जोरावर वर्मा––अध्यक्ष महोदय, अगर इन कालेजेज में सिर्फ बी० एस-सी० या बी० ए० की पढ़ाई रही और इंटरमीडियेट क्लासेज चलते रहे तो किसी हद तक ठीक होगा लेकिन अगर आगे चल कर एम० एस-सी० और डाक्टरी भी वहां होने लगी तो मैं समझता हूं कि इंटरमीडियेट क्लासेज के उसी में चलते रहने से स्टैंडर्ड गिर जायगा और उसके लिये कोई उपचार नहीं होगा जिससे माननीय मंत्री जी कुछ सुधार उसमें कर सकें जैसा कि उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने जो अब तक प्रगति की है और आगे भी करता रहेगा। मैं समझता हूं उनकी यह अशा निराशा में परिणत हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अगर इस संशोधन को ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधन के द्वारा हम एसोशिएटेड कालेज को अपने इस विधेयक के दायरे से अलग कर दें और मैं इसी दृष्टि कोण से प्रमुखतः इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, कल मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के उस विद्वत्तापूर्ण भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना जो कि उन्होंने इस संबंध में दिया और उन्होंने यह साबित किया एक प्रकार से कि क्योंकि देश में बहुत सी टीचिंग और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं और केवल ५ या ६ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल टीचिंग यूनिवर्सिटी का काम करती हैं। तो इसलिये अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही ये तीन कालेज एसोसिएटेड हो भी जांय तो क्या हर्जा है जब कि सारे देश में अधिकतर यूनिवर्सिटीज रेजिडेंशल टीचिंग और एफिलिएटेड हैं तो फिर यह कोई बड़ी अस्वाभाविक या असाधारण बात नहीं है अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ दो या तीन कालेज एसोसिएटेड कर दिये जायं। श्रीमन्, अगर मैं इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से न सुन कर किन्हीं और महानुभाव के मुंह से सुनता तो मुझे संतोष होता लेकिन मैं क्या बतलाऊं मैं असमर्थ हूं अपनी भावना को व्यक्त करने में कि एक ऐसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको कि सन् २७ से प्योरली टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाने में विदेशी सरकार सफल हुई, हमारी सरकार द्वारा उसके उसे पवित्र कैरेक्टर को बदल कर उसमें तीन कालेजों को एसोशिएटेड कालेजों के नाम से जोड़ कर शुरुआत करना और पुनः उसको एफिलिएटेड बनाना, इसको मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। श्रीमन्, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सुनायी वह मेरे पास है। राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट के पेज ३०, ३१ में दिया हुआ है उसको आप देखें तो मालूम होगा कि हमारे प्रांत में टीचिंग यूनिवर्सिटीज दो हैं लखनऊ और इलाहाबाद। इसके अलावा एक टीचिंग यूनिवर्सिटी बनारस है, दूसरी अलीगढ़ है और तीसरी उस्मानिया है और चौथी रुड़की है जो इसी प्रांत में है। तीन और यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो इस प्रदेशीय सरकार के विधान की सीमा के बाहर हैं। अगर हमको माननीय मुख्य मंत्रीजी या यह सरकार इन टीचिंग यूनिवर्सिटीज के विधान में कोई ऐसा प्राविजन दिखला दें कि उन टीचिंग यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार के एसोशिएटेड कालेज की गुंजाइश है, लखनऊ, इलाहाबाद को मैं छोड़ देता हूं, लखनऊ में अब होने जा रहा है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि हां ऐसा होना चाहिये। लेकिन श्रीमन् अगर संसार के किसी भी यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के एसोसिएटेड कालेज नहीं होते हैं तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि वे हमारी बात को मानकर साबित करें और संसार के किसी भी विधान को दिखला दें कि इस प्रकार के एसोसिएटेड कालेज का प्राविजन है तो मैं अपने संशोधन के समर्थन को वापस लेने को तैयार हूं। मेरे पास इस वक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन तीन यूनिवर्सिटीज के भी ऐक्ट मौजूद हैं, तीनों टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अन्नामलाई, अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटी, इन तीनों के ऐक्ट को आप देखें तो कहीं भी इस प्रकार के एसोसिएटेड कालेज की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल यह उठता है जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह तो वस्तुस्थिति है कि कालेज पहले से ही हैं। नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट सन् ३० से है, इविंग क्रिश्चियन कालेज सन् ५० से है और महादेव प्रसाद डिग्री कालेज सन् ५१ से है। इसलिये वस्तुस्थिति को वजह से ही कि कालेज खुले हुये हैं उनको अंगीकार करते हैं। यानी अगर कोई गलती वहां हो चुकी है तो उसको हम लीगेलाइज कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण हमारे सामने आया। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह इस दृष्टिकोण पर भी विचार करें कि कहां तक यह वैधानिक दृष्टिकोण से उचित होगा कि हम ऐसी गलती को, एक ऐसे कानून के उल्लंघन को, जो किसी तरह से भी ठीक नहीं माना जा सकता, उसको इस प्रकार से एक कानूनी स्वरूप देने की कोशिश करें। आप देखें कि नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्यों एफिलियेट किया गया था। जहां तक मैं समझता हूं यह नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एक विशेष किस्म की संस्था है, जो केवल कृषि शास्त्र की ही ट्रेनिंग एक विशेष प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को देती है और मैं समझता हूं कि वह अपने ढंग की हिन्दुस्तान भर में एक अनूठी संस्था है और विशेषज्ञन से भरी हुई संस्था है। उस समय इस के बारे में प्रश्न उठा था कि या तो इसे एक अलग यूनिवर्सिटी माना जाय, जैसे आज रुड़की की यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस समय की हालतों को देखते हुये और धनाभाव को देखते हुये सरकार ने यह उचित समझा था कि नजदीक की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहां की एग्रीकल्चर डिग्री को माने, जिसकी वह यूनिवर्सिटी खुद नहीं पढ़ाती, बल्कि खुद एक अलग एग्रीकलचर की फेकल्टी न खोलकर वहीं की डिग्री को मान्यता दे तो अच्छा है, ऐसा वहां किया गया था। लेकिन मंशा उस समय भी यही था कि इस प्रकार के कालेज को एक कालेज ही माना जाय, उन्हीं मानों में जैसा परिभाषा में है यानी रेजीडेंशियल कालेज, यूनिटरी कालेज माना गया था। अगर श्रीमन्, देखें तो नैनी कालेज में क्या है, वहां आप देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी वहीं रहता है और वह एक रेजीडेंशियल यूनिट है और बहुत ही कम विद्यार्थी वहां के ऐसे हैं, केवल ५ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं, जो होस्टल से बाहर रहते हैं और क्योंकि वहां भारतवर्ष भर से विद्यार्थी आते हैं इसलिये ९५ फीसदी होस्टल ही में रहते हैं। नैनी एग्रीकलचरल इंस्टीट्यूट, जिसको सन् १९३० में शामिल किया गया था वह एक रेजीडेंशियल यूनिट था और कालेज की परिभाषा में आता था। अब सवाल यह है कि इधर कुछ वर्षों से सन् ५० से जो नई मनोवृत्ति शुरू हुई और विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये बजाय इस के कि वहां नये होस्टल खोले जाते या नये विश्वविद्यालय खोलकर उन विद्यार्थियों को स्थान दिया जाता इनको एफिलिएटेड कराने की बात सोची गई। यह सवाल यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के सामने भी आया, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि थे, यूनिवर्सिटी के भी प्रतिनिधि थे और ऐसे लोग भी थे जो शैक्षिक व्यवस्था को एक निष्पक्ष रूप से देखते हैं। पिछले सालों में ३ बार यह प्रश्न सामने आया और जितनी बार भी यह प्रश्न सामने आया उतनी ही बार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी ने उसको ठुकरा दिया कि इस प्रकार से कोई भी कालेज लीगली एफिलिएट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साथ ही इसका कारण भी दिया और वह कारण यह दिया कि अगर हम यूनिटरी टीचिंग यूनिवर्सिटी में और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी में इस तरह की नीति अपनायेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड गिर रहा है वह और गिरेगा। हमें विचार करना चाहिये कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं केवल इसलिये चाहते हैं ताकि उस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का शिक्षा का स्तर बना रहे और स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से उसको हम बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी मिसाल जो सेडलर कमीशन ने लिखा है वह दो लाइन मैं आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। सेडलर कमीशन ने इस संबंध में यह कहा:—

"It is possible that the advocates of this scheme would not repuidate this conclusion: that their ultimate aim is the establishment in Calcutta of what is known as a unitary University, wherein all the teaching is centralised under direct University control."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो इस प्रकार की योजना मानने वाले हैं वह इस नतीजे को अवश्य मानेंगे कि उनका उद्देश्य कलकत्ता की एकांगी विश्वविद्यालय बनाने की इच्छा है जहां की सारी पढ़ाई विश्व-विद्यालय के सीधे नियंत्रण के नीचे केन्द्रित है।

"This is, in the abstract, the most advantageous mode of University organisaition, where the conditions make it possible; We have recommended its adoption in Dacca and we hope, that will be generally followed in other new University which may In future be established in Bengal."

संक्षेप में यह यूनिवर्सिटी के संगठन का सबसे फायदेमन्द तरीका है कि जहां पर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। चाहे कलकत्ता और चाहे ढाका जहां भी नई यूनिवर्सिटी खुलने वाली हों या खोली जायं उनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। तो स्टैंडर्ड के लिहाज से जब हम टीचिंग और यूनिटरी यूनिवर्सिटी को देखते हैं तब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से खपायें। मैं नहीं कहता कि महादेव प्रसाद डिग्री कालेज न खोला जाय या कायस्थ पाठशाला का एक विंग डिग्री कालेज न खोला जाय, यह मेरी मंशा नहीं है। आप अवश्य खोलिये, लेकिन जहां उसको एफिलियेट करने का सवाल है आप उसको किससे संबंधित करेंगे यह प्रश्न इस समय हमारे सामने है। आया ऐसी यूनिवर्सिटी से इसको एफिलियेट करें जिसका स्टैंडर्ड ऊंचा है और इसको एफीलिएट करने से उसका स्टैंडर्ड नीचा हो जाने की संभावना है या ऐसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेट करेंगे जो पहले से ही एफिलियेटिंग जिसका करेक्टर रहा है। हमें इन दो प्रकार की यूनिवर्सिटियों के बीच में छांट करनी है। यदि यह है तो श्रीमन् मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से अगर सरकार निष्पक्ष दृष्णिकोण से देखे तो कभी भी सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं होगी कि हम एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी को स्वच्छन्द तरीके से खोल दें कि जो एफिलियेट होना चाहे वह एफीलियेट हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल मौजूद है, श्रीमन् और वह यह कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सारे करेक्टर को बदल दिया जाय और उसे ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बना दी जाये। तो सरकार कभी राजी नहीं होगी कि प्रियेम्बिल बदला जाय। सरकार ने सेलेक्ट कमेटी में स्पष्टरूप से यह कह दिया था कि वह चाहती है कि प्रिएम्बिल वैसा ही रहे। आखिर, वह क्यों ऐसा चाहती है। उसका यूनिटरी कैरेक्टर तो हटा दिया गया था लेकिन सेलेक्ट कमेटी में फिर माननीय मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कहा था कि नहीं साहब यह गलत होगा और उसको यूनिटरी रहना चाहिये। मैं उस बात की तारीफ करता हूं लेकिन जब उतनी बुद्धिमत्ता उन्होंने दिखला दी तो उसका एक अवश्यम्भावी परिणाम होता है और वह यह है कि पहले जो जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं उनको भी हटा दीजिये और जब तक आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी अवस्था उस विद्यार्थी की सी हो जायगी जो कि परीक्षा में बैठकर हिसाब का परचा देता है तो किसी प्रश्न के उत्तर में यह तो लिख देता है कि जोड़ इतना हुआ लेकिन हिसाब उसको नहीं मालूम कि यह कैसे आया। इसी प्रकार आप रिजल्ट तो सही दिखाते हैं। लेकिन जोड़ आप गलत करते हैं। मैं ऐसी आशा तो माननीय मंत्री जी से नहीं करता।

श्रीमन्, एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि कहा यह जाता है कि आखिर जो एसोशियेटेड कालेजेज हैं उनका भी तो स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिये। उनके विद्यार्थियों को भी तो इस बात का मौका मिलना चाहिये कि वह भी बढ़ सकें। मैं नहीं मना करता कि जो एसोशियेटेड कालेजेज हैं या जो नये डिग्री कालेजेज हैं उनका स्टैंडर्ड न बढ़ाया जाय, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि स्टैन्डर्ड को बढ़ाने के लिये क्या क्या आवश्यकतायें होती हैं। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिये वहां लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिये, पढ़ाने के लिये अच्छे अध्यापक होने चाहिये और रिसर्च के लिये लैबोरेटरीज होनी चाहियें। जब तक हम इन एसोशियेटेड कालेजेज में लेबोरेटरीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड करेंगे और अच्छी तनख्वाह पाने वाले लेक्चरार और प्रोफेसर्स नहीं रखेंगे तब तक उनका स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता

चाहे उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलियेट करवा लीजिये, चाहे कैम्ब्रिज से एफीलियेट करवा लीजिये और चाहे आक्सफोर्ड से करवा लीजिये। यह हो नहीं सकता। हो सकता है कि धनाभाव के कारण यह कर सकना संभव न हो लेकिन यह सही है कि इलाहाबाद में किसी प्रकार एक लेबोरेटरी बन चुकी है और जगहों से अच्छी है और कालेज और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले उसमें कुछ अधिक साधन हैं, यह भी कम है, लेकिन फिर भी और जगहों के मुकाबिले अधिक हैं। अब सवाल यह है कि जहां पहले से कुछ अधिक साधन है, कुछ स्टैंडर्ड ऊंचा है, उस स्टैंडर्ड को हम हटायें, यह मैं उचित नहीं समझता। हाल ही में मेरी मध्य भारत के सीनियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर से बातचीत हुई तो ग्वालियर के आई० ए० एस० आफिसर कहते हैं कि हमारी जो पार्ट बी स्टेट्स हैं हमारी एक ही ख्वाहिश रहती है कि किसी प्रकार पार्ट ए स्टेट्स के मुकाबिले के हो जायं। हम यू० पी० के नियमों को देखते और उन्हीं नियमों के अनुसार अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब कहीं यू० पी० वाले यह देखने लगें कि हम पार्ट बी स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसको फालो करेंगे तो यह उचित नहीं है, क्योंकि हम तरक्की कर चुके हैं, तो इसी प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो तरक्की कर चुकी है और जो एक व्यवस्था को प्राप्त कर चुकी है, उसको हटाकर, उसके स्टैंडर्ड को नीचा करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं किसी प्रकार उचित नहीं है। फिर एक तीसरी बात उठती है वह यह है कि जो ऐसोशियेटेड कालेजज बनेंगे, यह स्टेट्यूट्स के द्वारा तय होगा कि कौन ऐसोशियेटेड कालेज बन सकते हैं, और स्टेट्यूट्स अन्ततः बोर्ड तय करेगा और इलाहाबाद में कालेज कितने हैं। मैं समझता हूं कि इस समय इलाहाबाद में कम से कम ८ इंटर कालेज हैं और दो या तीन लड़कियों के इन्टर कालेज हैं। वह भी इस बात की कोशिश करेंगे, अभी इस समय आपने दो ही डिग्री कालेज माने, कल को विद्यार्थियों की संख्या बढती गई तो कालेज कहेंगे कि यह महादेव प्रसाद और ई० सी० सी० में कौन सी खास बात है, जो आप उनको तो डिग्री कालेज बनने की इजाजत दे दें और हमको न दें। गवर्नमेंट का एक इंटर कालेज इलाहाबाद में है उसको भी डिग्री कालेज बनाया जा सकता है। तो इलाहाबाद शहर में कम से कम १५ कालेज नये पैदा हो जायेंगे जो इस बात की मांग करेंगे कि हमको तो आप ऐसोशियेटेड कालेज मान लीजिये। तो क्या करेंगे सरकार कौन सा चेक लगायेगी।

फिर चौथी बात आ जाती है कि जब आप कालेजों को डिग्री के लिये संलग्न करेंगे तो उनके अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देंगे। उनके अध्यापकों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में लेंगे, एकेडेमिक कौंसिल में लेंगे, कोर्ट में लेंगे, तो एक तरफ तो कंट्रोल करें और उसके बाद आशा यह न करें कि प्रतिनिधित्व न दिया जाय, यह गलत है। और श्रीमन्, आप विधेयक को देखेंगे कि हमने एसोशियेटेड कालेजेज के प्रिंसिपलों को और मैनेजमेंट को जगह-जगह इसमें रिप्रजेंटेशन दिया है, मिसाल के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल में,कोर्ट में ऐकेडेमिक कौंसिल स्टेट्यूट्स तय करेंगे, सेलेक्शन कमेटी में मैनेजमेंट के नुमाइन्दों को और वहां के अध्यापकों के नुमाइन्दों को स्थान दिया गया है तो उसका अर्थ क्या होगा यह होगा कि यूनिवर्सिटी में जो इस समय दलबन्दी कही जाती है जिससे बचने के लिये, जिसको तोड़ने के लिये माननीय मंत्री जी सारी ताकत लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पार्टीबन्दी समाप्त हो, उस दलबन्दी में एक तीसरा फैक्टर और आ जायगा और वह एसोशियेटेड कालेज वालों की पार्टी। यह लाजिमी होगा जब यूनिवर्सिटी के अन्दर एक तीसरी प्रणाली को स्थान देंगे तो ऐसोशियेटेड कालेजेज के मैनेजमेंट एक वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में आपके सामने आयेगा और जो एसोशियेटेड कालेजेज के अध्यापक होंगे उनकी भी लगातार यह मांग होगी कि हमको भी वही वेतन दिया जाय जो यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का होता है। वह कहेंगे कि जब हम डिग्री क्लासेज को पढाते हैं तो हमारा भी वही वेतन होना चाहिए उनकी यह मांग होगी, तो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नीति में, यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव आरगेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी की कार्यकारी व्यवस्था में एक नये तृतीय वर्ग का प्रवेश करना मैं यूनिवर्सिटी के सुधार की भावना से उचित नहीं समझता। इससे व्यक्तिगत स्वार्थ आने की संभावना है, तृतीय प्रकार की दलबन्दी आने की संभावना है जो कि मेजारिटी और माइनारिटी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के बीच में बैलेंस करेगी। वह मैजारिटी से यह कह सकती है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम माइनारिटी की तरफ चले जायेंगे और माइनारिटी से भी इसी तरह कह सकती है कि तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम मैजारिटी की तरफ हो जायेंगे। तो इस प्रकार के फैक्टर्स वहां पैदा होंगे और इस तरह के फैक्टर्स का पैदा करना मैं उचित नहीं समझता।

छठी बात जो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं वह माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल राधाकृष्णन कमीशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। राधाकृष्णन कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं कोटेशन वगैरह नहीं देना चाहता, समय ज्यादा लगेगा, उसने कहा है कि एफिलियेटिंग कैरेक्टर तो किसी भी यूनिवर्सिटी का भविष्य में रहना ही नहीं चाहिये और बड़ा दुख था राधाकृष्णन कमीशन को कि हमारे हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों ने लन्दन विश्वविद्यालय के पैटर्न को मंजूर किया और जब कि लन्दन के विश्वविद्यालयों ने भी एफिलियेटिंग कालेजेज को खत्म किया उस समय हमने उसको अपने यहां मंजूर किया। दूसरी तरफ राधाकृष्णन कमीशन में यह कहा कि अगर २५०० विद्यार्थियों से ऊपर किसी यूनिटरी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी रहते हैं तो उसे फेडरेटिव हो जाना चाहिये। तो अगर माननीय मंत्री जी अपने प्रीऐम्बुल को बदलकर टीचिंग यूनिटरी के बजाय टीचिंग फेडरेटिव यूनिवर्सिटी करते तो शायद मैं उनकी बात मान लेता, लेकिन उस समय एसोशियेटेड कालेजेज किसी प्राइवेट मैनेजमेंट के नीचे नहीं होते बल्कि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में उसके कंट्रोल के नीचे रहते हैं और उन कालेजों में विशेष विषयों में शिक्षा दी जाती है। मिसाल के लिये मैं इस बात को मान लेता हूं कि महादेव प्रसाद डिग्री कालेज जो है वह केवल संस्कृत की पढ़ाई करेगा। एक विषय संस्कृत का ही वह पढ़ायेगा या अप्लाइड फिजिक्स पढ़ायेगा या सोशल साइंस पढ़ायेगा। इस तरह से एक कालेज एक फैकल्टी कालेज के रूप में हो सके या एक फैकल्टी कालेज न भी हो तो विशेष प्रकार का रेजीडेंशियल कैरेक्टर रखते हुये, विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था देते हुये उनमें कुछ विशेष विषयों का पठन-पाठन कराया जाय जो कि एक फैकल्टी में मौजूद हों। इस प्रकार की चर्चा राधाकृष्णन कमीशन ने भी की है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर राधाकृष्न कमीशन की इस सिफारिश को मानने में उन्हें क्या एतराज है। या तो फेडरेटिव यूनिवर्सिटी उसे वह बना दें, उसकी ग्रान्ट्स को बढा दें और एशोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स को भी यूनिवर्सिटी टीचर मानें, मगर ऐसा वह नहीं करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अन्दर ७ हजार विद्यार्थी होते हुये भी इस यूनिवर्सिटी को आप यूनिटरी यूनिवर्सिटी मानते हैं। तो जब आप ७ हजार स्टूडेंट्स को इस तरह से मानते हैं तो ३ हजार जो एसोशियेटेड कालेजेज के होंगे इनको आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, इनको क्या अलग करना चाहते हैं? श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करूंगा कि मैं क्या बताऊं मेरे पास शब्द नहीं हैं अपनी उस भावना को व्यक्त करने के लिये कि जिससे मैं अपने मित्रों पर जो कि इस समय सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन पर कोई असर डाल सकूं, काश मैं उनका ध्यान दिला सकता उन विद्वानों के वक्तव्यों की तरफ जो कि मैं समझता हूं कि इस समय तक ५०–६० तक वक्तव्य कम से कम निकल चुके होंगे, केवल यू० पी० के ही अखबारों में नहीं बल्कि भारतवर्ष भर के अखबारों में इस बात की चर्चा है, विद्वानों को इस बात का दुख है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रणाली को इस प्रकार बदला जा रहा है। माननीय मंत्री जी की फाइल तो मैं जानता हूं काफी बड़ी है, अगर माननीय मंत्री जी उस फाइल की तरफ ध्यान दें तो कम से कम ५०-६० वक्तव्य इस संबंध में उन्हें मिलेंगे। तो वह मेरी वाणी को तो ध्यान में न लायें मेरे बहुत से मित्रों को शिकायत है कि मैंने सबका कोटेशन दे दिया लेकिन अपना कोटेशन नहीं दिया। तो मैं आपसे क्या कहूं। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता कि मैं अपना कोटेशन माननीय मंत्री जी के सर पर लादता और विशेष रूप से जबकि नौजवानों की राय की वह इतनी ज्यादा कदर नहीं करते जितनी कि करनी चाहिये फिर भी मैं उनका ध्यान जितनी व्याख्यायें हैं और टीका-टिप्पणी हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं।

अगर किसी और माननीय सदस्य को इस बात की गलतफहमी हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल फिर इस सदन में २ या ३ साल में आने वाला है, तो ऐसी बात कम से कम मेरी दृष्टि में तो नहीं है और माननीय मंत्री जी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि यूनिवर्सिटी विधान को बदलने वाले विधेयक जल्दी-जल्दी लावें, यह विधेयक भी ३३ साल के बाद आया है। इतिहास में और देशों में ऐसा हुआ है। तो जब जल्दी संशोधन बिल आने वाला नहीं है तो हमको इसी समय पूरा सोच-विचार करना चाहिये चाहे १५–२० दिन लग जावें। और मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस खंड २ का विचार स्थगित करें और चाहें तो व्यक्तिगत परामर्श लें और विद्वानों की राय लें। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जरा इसे ध्यानपूर्वक बदलें और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ न्याय करें। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रैजीडेंशल कैरेक्टर है कहां। आधे से ज्यादा विद्यार्थी तो डेलीगेसी में रहते हैं। तो उनका यह बयान क्या साबित करता है? वह यह साबित करता है कि हम अपने प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी को भी अभी यूनीटरी नहीं बना सके हैं। वहां इतने विद्यार्थी रहते हैं और जो आज डैलीगेसी में रहते हैं उनको होस्टलों में रखवाने के बजाय हम और ऐसे विद्यार्थी लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जिनका संबंध विश्वविद्यालय से तो नहीं है, हां, डिग्री पाने के लिये वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मान लिये जावें।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरे पास और भी बहुत सी दलीलें थीं। लेकिन मैं यह समझे लेता हूं कि विद्वानों की व्याख्याओं को पढ़कर माननीय मंत्री जी उन सब दलीलों को स्वीकार कर लेंगे और अन्त में २ शब्द ट्यूटोरियल के जोड़ने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। यह दूसरा संशोधन है जो कि इसी धारा में आया है। आप यह देखेंगे कि जहां कालेज शब्द की परिभाषा की गई है वहां पर in which supplementary instruction is provided तो विधेयक में है इस समय। मेरी इच्छा यह है कि tutorial and other शब्द बढ़ा दिये जावें। जो सामान्य क्लास हुआ करती हैं उनके अलावा कुछ विशेष रूप से ऐसी क्लासें हैं जिनमें विद्यार्थी अपनी शैक्षिक कठिनाइयों को किसी अध्यापक के पास जाकर बतला सकें और वह अध्यापक उसकी सहायता कर सके शिक्षा के किसी विशेष विषय में अपने कोर्स को समझने तक। और राधाकृष्णन ने बड़े सुन्दर शब्दों में इसे intellectual midwifery कहा है। पुराने विधेयक में यही शब्द थे जिनको अब रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि केवल टैक्निकल गलती से ये शब्द रखे गये हैं और इस संबंध में अगर माननीय मंत्री जी विधेयक की तरफ ध्यान देंगे तो उसमें भी आगे चलकर tutorial education की बात कही है। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि जो नया खंड ५ है उसके उपखंड (३) में लिखा हुआ है।

"Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels."

यहां पर इन शब्दों का ही उपयोग किया गया है tutorial and others इन्हीं शब्दों को मैं रख देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम माननीय मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे और बाकी क्लाज पर विचार स्थगित करेंगे ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी वगैरा फिर से परामर्श करके विचार कर सकें।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोरावर वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और समर्थन में इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी का कहीं भी स्थान नहीं है किन्तु इसलिये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मैं समझता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व यूनेटरी करैक्टर चाहे वह सही रूप में क्यों न रहा हो फिर भी कुछ हद तक यूनेटरी रूप को इस संशोधन विधेयक द्वारा एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी का रूप देना अनावश्यक है।

*वक्ता ने भाषण या पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने रखने के सिलसिले में जो कुछ कारण हमारे सामने बतलाये गये उनके ऊपर ध्यान देते समय उनमें से किसी कारण से यह प्रतीत नहीं होता है कि उनकी वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रूप यूनेटरी से एफीलियेटेड रूप बनाने जा रहे हैं। फिर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूंछूगा कि जब जिन कारणों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई और जब इन कारणों की वजह से यह स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ और न ऐसा मालूम हुआ कि इस यूनेटरी करैक्टर को ऐफीलियेटेड करैक्टर बना दिया जाय फिर क्यों उन्होंने उचित समझा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाय। वास्तव में कुछ हद तक तो बतलाया गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई और यह भी बतलाया गया कि इलाहाबाद शहर में कई नये डिग्री कालेज खुले हैं जिनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी का अंग बनाना आवश्यक है और सुविधा का बहाना लेकर यह कहा गया कि यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निकट है इसलिए यह सरल होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधान को बदलकर इन कालेजेज़ को रिकगनीशन देने के लिये इसको ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी बना दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में चर्चा हुई है और यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर इन कालेजेज को एफीलियेशन देने में दिक्कत हो रही है तो इनको आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेट कर दिया जाय। इसके उत्तर में यह बतलाया गया कि इनको आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेट करने का मतलब यह होगा कि इन कालेजेज का शिक्षा का स्तर गिर जाय। यानी यह बात स्वीकार की जा रही है कि जो अभी तक एक ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी है उसका शिक्षा का स्तर नीचा है और यह बात भी स्वीकार की जा रही है कि यदि इन कालेजेज को आगरा यूनिवर्सिटी का अंग बना दिया जाय तो इन कालेजेज का शिक्षा का स्तर गिरेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन कालेजेज का किसी यूनिवर्सिटी के साथ रिकगनीशन देने का सवाल है मैं समझता हूं कि यह एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव सा मामला है। यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी बना दिया जाय और आगरा यूनिवर्सिटी तो ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी है ही तो किस यूनिवर्सिटी के साथ उनका ऐफीलियेशन हो यह पीछे की बात है। पहले हमें यह निश्चय करना है कि आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का रूप देना आवश्यक है या नहीं। मेरे मित्र तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा और यह बताने की कोशिश की और एक डाइडैक्टिक रूप से बताने की कोशिश की जो मैं समझता हूं उचित नहीं है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी अनुचित है। मैंने शुरू में ही कहा कि इस बात का निर्णय करना कि आया एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी उत्तम है या यूनिटरी कैरेक्टर की यूनिवर्सिटी उत्तम है इसका एक सही उत्तर देना कठिन है। परिस्थिति के अनुसार कहीं यूनिटरी कैरेक्टर उचित पाया जायगा और कहीं एफिलिएटिंग कैरेक्टर उचित पाया जायगा। मैं समझता हूं कि अगर आप डाइडैक्टिक रूप लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी भी एफिलिएटिंग कैरेक्टर न हो यह तर्क गलत होगा। प्रश्न यह है कि क्यों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनिटरी रूप को बदल कर एफिलिएटिंग रूप दिया जाय। क्या इस परिवर्तन के बाद वह बुराइयां जिनको दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक सामने आया है किसी हद तक दूर होती हैं? अध्यक्ष महोदय, जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रूप का प्रश्न है मैं यह मानने के लिये तैयार हूं और मैंने माना है कि उसका भूतपूर्व रूप भी सही सही तरीके से एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी का रूप नहीं था। मैं समझता हूं कि यह भारतवर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पाया जायगा। जैसा कि अभी अभी तिवारी जी ने कहा यूनिवर्सिटी के यूनिटरी रूप का एक आवश्यक अंग यह होगा कि हर एक विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी कैम्पस में रेजीडेंटरी रूप में रहे, डेलीगेसी न हो। जहां विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के होस्टल में नहीं रहते वह एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी का सही रूप नहीं होगा। इससे एक मतलब यह निकलता है कि यूनिटरी यूनिवर्सिटी के दो अंग हम मान सकते हैं, एक तो विद्यार्थियों के रहने की सुविधा और दूसरे उनको शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। जहां तक विद्यार्थियों के रहने का प्रश्न है मैं मानता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने वह सही रूप धारण

नहीं किया क्योंकि डेलीगेसी के लिये यहां स्थान था। लेकिन हालांकि डेलीगेसी का स्थान वहां था फिर भी शिक्षा के संबंध में अभी तक और जैसा मैं समझता हूं होना चाहिये था शिक्षा यूनिवर्सिटी के ही द्वारा प्रदान की जाती थी। यूनिटरी कैरेक्टर में शिक्षा की जिम्मेदारी किसने ली इसकी जांच करना आवश्यक होगा और यदि यूनिवर्सिटी के द्वारा या यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में शिक्षा प्रदान की जा रही है या ऐसे अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त किये गये हैं या जिनकी नियुक्ति से पहले यूनिवर्सिटी ने एप्रूव किया हो तब मैं समझता हूं कि उसको सही रूप में यूनिटरी कैरेक्टर कहा जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुये और इसी बात से प्रभावित होने के बाद मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में बहुत सी बातें हैं जिनका विरोध हुआ है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका समर्थन भी दोनों ओर से होगा किन्तु यदि मैं यह कहूं कि इस पूरे विधेयक में अगर कोई एक क्लाज है जिसके ऊपर अधिक से अधिक मतभेद पाया जायगा और जिसके ऊपर पूरा विधेयक निर्भर है तो वह एफिलियेटिंग या यूनिटरी कैरेक्टर के संबंध में है तो कुछ अधिक गलत न होगा। इस विधेयक में आगे यह भी पाया जायगा कि एसोसियेटेड कालेजेज जिनको कि मंत्री महोदय अब एफिलियेट कराना चाहते हैं उनमें एक यह सुविधा भी दी गयी है और इसके लिये उन्होंने एक स्थान बना रखा है कि एक एसोशियेटेड कालेज का अध्यापक दूसरे एसोशियेटेड कालेज में पढ़ा सकें फिर भी ऐसे इंस्टीटचूशन और कालिज को रिकग्नीशन मिल सके, यानी यह सम्भव है कि एक कालिज में शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी सुविधा नहीं है—चाहे आर्थिक कारणों से या किसी और कारण से एक कालिज में काफी संख्या में या उचित डिग्रीज के यदि अध्यापक वह न रख पायें तो ऐसा कोई कोलैबोरेशन या म्यूचुअल सोसाइटी बनाए जिसके द्वारा एक असोसियेटेड कालेज के अध्यापक दूसरे असोसिएटेड कालेज में पढ़ायें। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर पूछूंगा कि जब कि ऐसी सुविधा दी गयी है कि जब कि एक असोसिएटेड कालेज में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनके पास अध्यापक ही नहीं हैं और न होते हुए भी उनको यूनिवर्सिटी का अंग बनाने के लिए हमारे मंत्री महोदय तैयार हैं, तो मैं पूछता हूं कि यह तरीका यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा स्टैन्डर्ड है उसको ऊंचा तो खैर क्या कर पायेगा, किन्तु उसको उसी स्थान पर कब तक रख पायेगा ?

अध्यक्ष महोदय, स्तर के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया और जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारी चेष्टा यह होनी चाहिये यानी सरकार की चेष्टा यह है कि ऐकेडेमिक डिग्रीज जो प्राप्त की जाती हैं, जो बांटी जाती हैं, उनका स्तर न घटे और यही कारण हुआ कि जो वहां पर कालिज हैं उनको आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट न कराने का जो कारण दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस कालेज में पूर्ण रूप में या पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं या जिस कालेज का डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है, मैं पूछता हूं कि उस कालेज के डिसिप्लिन या एजूकेशनल एकेडेमिक स्टैन्डर्ड के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटीज को किस प्रकार जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज या तो अपने अध्यापक द्वारा दीगयी शिक्षा की जिम्मेदार मानी जा सकेंगी या उन संस्थाओं द्वारा दी गयी शिक्षा और डिग्रीज प्राप्त किये हुए विद्यार्थियों की जिम्मेदारी ले सकती हैं जहां कि उसका कुछ हाथ दिया गया हो। ऐसे असोसिएटेड कालेजेज को रिकग्नोशन दे कर, मैं समझता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्तर को गिराना होगा जो कि मैं कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय का भी इरादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी तिवारी जी ने अपने भाषण के अन्त में यह कहा था कि इस विधेयक के और हिस्से इस समय ले लिये जायं और इस महत्वपूर्ण विषय को, हालांकि यह पहला अध्याय है, इसको कुछ समय तक स्थगित कर दिया जाय। मैं भी इसका समर्थन करता यदि मुझे यह विश्वास होता कि स्थगित करने से इस पर दोबारा

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

परामर्श या दोबारा विचार करने को मंत्री महोदय तैयार होंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं यह नहीं समझ पाया कि इस यूनिटरी और रेजीडेंशियल करेक्टर को बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या का जिक्र किया गया, वह मैंने समझ लिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इतना प्रभावित नहीं हुआ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक मूल सिद्धान्त में परिवर्तन करना आवश्यक समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी चल रही थी, काफी सालों से चलती आ रही है। सब मानते हैं कि उसमें कमियां, खामियां और बुराइयां पैदा हो गयीं। हमने विरोध किया कुछ हद तक मंत्री महोदय के विधेयक का लेकिन जहां तक खामियों के होने का प्रश्न है, सब मानते हैं कि हैं। जहां तक मंत्री महोदय ने उनको दूर करने की चेष्टा की, उसमें मतभेद हो सकता है। मंत्री महोदय समझते हैं कि इस विधेयक द्वारा बुराइयां दूर हो जाती हैं, हम नहीं समझते हैं यह दूसरी बात है। मगर मैं यह नहीं समझ पाया कि यदि उन बुराइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक सामने आया है तो इस यूनिटरी और रेजीडेंशियल करैक्टर को क्यों एफिलिएटिंग करैक्टर दिया जा रहा है? यूनीवर्सिटी जिस रूप में चल रही थी, जिस यूनिटरी रूप में आज तक चल रही है, उसमें क्या बुराइयां पैदा हो गयीं? ऐडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतें पैदा हुई हैं, वह यूनिवर्सिटी के कारण नहीं। वह इस कारण होती हैं कि मंत्री महोदय के सामने जैसे कई बार सुझाव आ चुके हैं कि एक दूसरी एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी खोल दी जाय अगर आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा एफीलिएटेड कालेजेज हो गये हैं। यह सुझाव माननीय मंत्री जी को अस्वीकार हुआ। किन्तु इसके बजाय मंत्री महोदय ने यह उचित समझा कि जो तीन यूनिवर्सिटियां मंत्री महोदय के हाथ में हैं, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, इन तीनों का कैरैक्टर एक सा बना दें, जिसमें कि दो यूनिटरी करेक्टर की यूनिवर्सिटी थीं। अब मंत्री महोदय पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि तीनों यूनिवर्सिटीज को एफीलिएटिंग बना दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यहां पुराना प्रश्न उठता है कि एफीलिएटिंग अच्छी है या यूनटरी, इसको न छते हुए, मैं समझता हूं कि इससे कोई दुष्परिणाम न होगा यदि उत्तर प्रदेश में चन्द एक यूनिवर्सिटीज यूनिटरी करेक्टर की रखी जायं और चन्द एक यूनिवर्सिटीज एफीलिएटिंग कैरेक्टर की रखी जायं ताकि मंत्री महोदय को मालूम हो सके कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार की यूनिवर्सिटी होनी चाहिये।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय का सभी यूनिवर्सिटीज को एक रूप देना उचित न होगा? इलाहाबाद और लखनऊ की यूनिवर्सिटीज यूनिटरी कैरेक्टर की रही हैं उनका जो यूनिटरी कैरेक्टर है उसको और सख्त बनाया जाय। उनमें डैलीगेसीज बन्द कर दी जायं। उनमें प्यौरली यूनिवर्सिटी अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान कराये। तब मंत्री महोदय कह पायेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूनिटरी कैरेक्टर था फिर भी असफल हुई। इसलिए मैंने उचित समझा कि उसको एफीलिएटिंग कैरेक्टर दे दिया जाय। लेकिन इस प्रकार का एक हाचपाच रखना कि जो वहां कालेजेज हैं उनके द्वारा भी यूनिवर्सिटी को शिक्षा प्रदान की जायगी और फिर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिरने की यहां पर शिकायत की जायगी। मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा। अगर आर्थिक कारणों से जिस समय तक कोई दूसरी एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करना सम्भव न हो उस समय तक आगरा यूनिवर्सिटी में ही इन कालेजों को एफीलिएट कर दिया जाय। लेकिन किसी भी कारण इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज का जो यूनिटरी कैरेक्टर है उसको न बदला जाय। इसमें सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि मंत्री महोदय को अपने अनुभव से यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के अनुभव से, उत्तर प्रदेश की शिक्षित जनता के अनुभव से, प्रभावित होना चाहिये, न कि अपने और अपने सलाहकारों की राय से ही।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा कि माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत संशोधन को मजबूत बनाने के लिये इस प्रकार की दलीलें दी हैं जो कि बिल्कुल खोखली हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के दिमाग में यूनिवर्सिटी से आयडिया केवल वही है जो कि आज तक दुनिया ने यूनिवर्सिटी को कायम करके बताया है। वह समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के आयडियल्स वही हैं जो कि बड़ी-बड़ी रिपोर्टों और पोथों में लिखे गये हैं, जो कि लंडन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया। अगर हमारे मुल्क की परिस्थितियां, हमारे मुल्क की आमदनी, हमारे मुल्क का विकास का स्तर, हमारी सभ्यता और संस्कृति उसी टक्कर की होती और उसी स्तर की होती जिस स्तर की दूसरे मुल्कों की है तो मैं कहता इसमें कोई तथ्य है। माननीय सदस्य इसको जोरदार शब्दों में कह सकते थे कि हमारी यूनीवर्सिटी को भी उसी स्तर का होना चाहिये। जब कि हम अपने मुल्क को ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिये कि हम किस स्टैंड पर खड़े हैं, हम किसी दल-दल में फंसे हैं या हम पहाड़ की चोटी पर हैं, हम तूफान में हैं या हम समुद्र की लहरों में हैं। जो लोग अपने स्टैंड को भूल जाते हैं वे सही नुक्तेनजर से मुल्क की व्यवस्था देखने में सहायक नहीं हुआ करते। वे आइडियलिज्म को लेकर संसार को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने पास एक पैसा न रख कर इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर यह बात भी होती तो मेरे बहुत से भाई जो अपने को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कहते हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको ग्रेजुएशन का कभी नाम भी सुनने को न मिलता। आज के संसार में जैसा कि माननीय मंत्री जी कहते हैं शिक्षा की व्यापकता हमारे मुल्क के अन्दर बढ़ती जा रही है। जब कि हमारे मुल्क के अन्दर डेमोक्रेसी है, जब कि हम हर मानव को मानव समझते हैं और हम गरीबों को ऊंचा दर्जा दिलवाने में सहायक बनना चाहते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि उनका गला घोंट दिया जाय, उनके विकास को बरबाद कर दिया जाय, क्या आप चाहते हैं कि उस पर रोक लगा दी जाय। ८०० विद्यार्थी इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में हैं।

एक सदस्य--८०० नहीं ८,००० हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत--८,००० ही सही। उन ८,००० के लिये क्या आप चाहते कि भविष्य के उन जवाहरलाल, पटेल और राजेन्द्र बाबू हमेशा के लिये कि वे न आ सकें उन्हीं के लिये आप बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर देना चाहते हैं। हर्गिज नहीं मैं तो इस बात का कायल हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--ह्वाई नाट रावत्स।

श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या उनके दिमागों में सोचने की गलती है। वे चाहते हैं कि इसका करेक्टर यूनीटरी होता। कैसे हो जायगा? हम चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी हों उनको कालेजेज में शामिल कर लिया जाय। उन कालेजेज के स्टेट्स को डेवलप करना, ऊंचा करना ही हमारा ध्येय है तो क्या वह कहा जायगा कि गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करना चाहती है। अगर इस बात की व्यवस्था की जाती है कि जिसके द्वारा उन कालेजेज का रिप्रिजन्टेशन उस कमेटी में दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि कोई बुरा नहीं है। अगर वे विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा को ऊंची करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी से एफिलियेट होने पर उनकी शिक्षा कुछ ऊंची हो जाती है तो इसमें यूनिवर्सिटी का यूनिटरी करेक्टर कैसे बरबाद होता है। यह मेरी समझ में नहीं आता। यूनिवर्सिटी उन कालेजेज के लिये अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटैंड करना चाहती है जिनको आप एसोसियेटेड कालेज के नाम से पुकारते हैं। मैं कहता हूं कि आपकी

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यह दलील बिल्कुल थोथी है और बेबुनियाद है। आप इसको नहीं समझ सकते हैं। उसका यूनिटरी करेक्टर बरबाद नहीं हो सकता है। वह बराबर रहेगा। जितना यूनिवर्सिटी का करेक्टर अब तक रहा है वह रहेगा? मैं समझता हूं कि उनकी शिक्षा दीक्षा में उन कालेजेज के विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई असर नहीं आता है क्योंकि वह पढ़ाई उसी तरह से होती रहेगी।

दूसरी बात यह कही गयी कि आगरा यूनिवर्सिटी से इन कालजेज को क्यों न मिला दिया जाय। यह हो सकता है लेकिन अगर किसी चीज को आप थोड़े से एफर्ट से ऊंचा कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उसको अवश्य कर देना चाहिये। उसी हिसाब से यह चीज की जा रही है। आगरा यूनिवर्सिटी एक एक्जामिनिंग बाडी है इस चीज को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि आगरा यूनिवर्सिटी एक थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी है। मैं कहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे गरीब लोगों की बहुत बड़ी सेवा कर रही है। वह इतनी बड़ी सेवा कर रही है कि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। आगरा यूनिवर्सिटी का भी सुधार किया गया है। उससे गरीब लोगों का जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिये जायज तरीके से खर्च करने के लिये रुपया नहीं है वह गरीब लड़के उसके लिये अपनी तैयारी करते हैं और इधर-उधर से किताबें लेकर प्राइवेट तौर पर अपने इम्तहान देकर डिग्री हासिल करते हैं। वही लोग हमारे देश के भविष्य के निर्माता बनेंगे, जिन्होंने ठोकरें खाकर परिश्रम से कठिनाई में पढ़कर मानवता का पाठ पढ़ा है। वही लोग संसार को आगे ले जाने की क्षमता अपने कंधों पर रख सकेंगे। जो ऐशोआराम की जिन्दगी में पले हैं और जो राजमहलों में रह कर पढ़े हैं वह थर्ड ग्रेड स्टूडेंट हैं वह इस संसार में काम करने की क्षमता नहीं रख सकते हैं और वह दुनिया में अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी डिग्रेडिंग हालत में है सका मुझे महान् दुःख है। मैंने वहां पर देखा है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जातीइथी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो वहां पर तो मेरे बगल के कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा तो वहां पर उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर जो पढ़ाते थे वह किसी लन्दन के प्रोफेसर के नोट रखते थे और जब वह क्लास में आते थे तो उनके नोट्स को ही डिक्टेट कर दिया करते थे। जब यह चीज मुझको मालूम हुयी तो मैंने इसकी बाबत एक लेख मैगजीन में निकाला जिसकी बाबत मेरी पेशी वायस-चांसलर के यहां हुयी....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया माइक पर बोलें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं श्री बालेन्दुशाह जी का जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और खराब हो जायगी। मैं तो उनको बतलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब भी खराब हालत में है। इससे खराब हालत और क्या हो सकती है। इसका मुझे दुःख है। लेकिन वहां पर चन्द लोग अपने विषयों के ऐसे उपासक थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा किया और जनता उनको आज तक जानती है।

लेकिन कुछ व्यक्ति वहां पर ऐसे भी हैं जिनका बुरा तजुर्बा, कटु अनुभव बहुत से भाइयों को है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की प्रेस्टिज घट रही है। आज उन लोगों को यूनिवर्सिटी में जगह दे दी जाती है जिनको वहां नहीं मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय हर गोविन्द सिंह जी शिक्षा मंत्री जल्द ही इसके ऊपर कुछ क़दम उठायेंगे, वरना जो शिक्षा की दशा आज हो रही है उसके लिये हमें बहुत दुःख है। जो उनकी हालत है, जो लियाकस है, जो उनका आचरण और व्यवहार है उससे कहीं ज्यादा इज्जत तो मैं गली में सब्जी बेचने वालों की करता हूं। जिस मुल्क के लड़के और लड़कियां वहां रोमांस करते हों

यह यूनिवर्सिटी के लिये शोभा की बात नहीं है । मैं उनके सारे चरित्र को असेम्बली के सामने रखना उचित नहीं समझता, लेकिन जो सत्य है उससे इन्सान को भागना भी उचित नहीं है। मिस मयो ने जो क्रिटिसिज्म किया है वह किसी हद तक ठीक ही है और उससे इंकार नहीं किया जा सकता । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे और ईमानदार आदमियों को भविष्य में पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिये आप में यह क्षमता होनी चाहिये जो इंसानों में होती है । जो लोग थोडे-थोडे पैसे में, रसगुल्लों और मिठाइयों में अपने को बेच देते हैं, मैं उनको इंसान नहीं कहता । इसके बारे में कुछ कहना वैसा ही है जैसा कि अगर कोई आदमी किसी पेड़ को छाया से फायदा उठाता है तो कहा जाय कि उससे पेड़ की छाया बरबाद होती है। मैं समझता हूं कि भले ही मेरे भाई ऐसा समझते हों लेकिन मेरे खयाल में यह उनकी दलील बिलकुल बेकार है । मेरी समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा कृतन्घ होगा, नीच और पतित होगा जो अपनी यूनिवर्सिटीज के विकास के स्तर को ऊंचे से ऊंचा न करना चाहता हो । मैं यूनिवर्सिटी के यूनीटरी व रेक्टर के फेवर में हूं, लेकिन जब अपने देश के हजारों बच्चों की बुरी हालत को देखता हूं तो मुझे इसको स्वीकार ही करना पड़ता है। आगरा जैसी यूनिवर्सिटी, जो कि केवल एक्जामिनिंग यूनिवर्सिटी है, मैं उनके फेवर में नहीं हूं लेकिन जैसी यूनिटरी यूनिवर्सिटी का हवाला दिया जाता है मैं उनके फेवर में भी नहीं हूं। मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को चाहता हूं जो ऐसे साइंस ग्रेजुएट्स को पैदा करें जिनसे सारे हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा हो सके, लेकिन आज जो हजारों और लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं वे ऐसे नहीं हैं, वे बुजदिल हैं।

श्री अध्यक्ष--आप आम बहस न कीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं यूनीटरी यूनिवर्सिटी की व्याख्या कर रहा था। मेरा कहना है कि यूनिवर्सिटीज में वही छात्र दाखिल होने चाहिये जिनके दिमाग का केलीबर और आचरण ऊंचे से ऊंचा हो और वे अपने अध्यापकों को अन्वेषण करते हुये उनसे बड़ी भारी प्रेरणा प्राप्त करें। जिनको अपने मुल्क की रामेटिरिअल्स से अपने मुल्क की समृद्धि बढ़ाने के लिये नये रिसर्च करने के लिये बड़ी उत्कंठा हो, जो अपनी जिन्दगी को आविष्कार के लिये कुरबानी करने के लिये तैयार हों। मुझे दुख होता है कि जहां बड़े-बड़े फरिश्ते उतरने से डरते हैं वहां "निनकमपूप" जो पागल हैं, जो बुद्धू हैं वे राज्य करते हैं। इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि यूनीटरी कैरेक्टर तभी मेन्टेन हो सकता है जब कि हमारे अन्दर लगन हो। मेरे भाई ने जो ८ हजार विद्यार्थियों की बात कही है, मैं कहता हूं कि वहां ५ सौ विद्यार्थियों की भी गुंजायश नहीं है । क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल ८५ सीट हमारे साइंस डिपार्टमेंट में थी। हर साल ८५ लड़के भर्ती होते थे लेकिन मुझे दुख है कि हमारे मुल्क का निजाम इतना खराब है कि हजारों लड़के .....

श्री अध्यक्ष--क्या अभी आप और अपना भाषण जारी रखेंगे ?

श्री चन्द्रसिंह रावत--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप बाद में बोलेंगे।

दर्शक दीर्घा प्रदर्शन जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष--मुझे सदन को एक सूचना देनी है। दर्शक दीर्घा में जो प्रदर्शन हुआ था उसके सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति मुकर्रर हुई है। उसके लिये सदन ने १५ अक्तूबर तक का समय दिया था कि वह अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे लेकिन उसके कुछ सदस्य श्री वीरेन्द्र शाह और श्री मलखान सिंह बाहर हैं। वे नैनीताल किसी सब-कमेटी

[श्री अध्यक्ष]

के कार्य के लिये गए हुए हैं। इस कारण उसके ऊपर विचार अभी थोड़ा सा बाक़ी है, उनके आने के बाद वे चाहते हैं कि समिति की अन्तिम बैठक होकर समिति अपना प्रतिवेदन तैयार कर ले। इसके लिये समिति के अध्यक्ष, २२ अक्तूबर तक का समय चाहते हैं। मैंने यह समय बढ़ा दिया है कि वे २२ अक्तूबर तक उसका प्रतिवेदन उपस्थित करें।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री चन्द्रसिंह रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी यह जिक्र कर रहा था कि यूनिवर्सिटियों का युनिटरी कैरेक्टर क्या हुआ करता है और वही यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कहलाने के काबिल है जो कि अपने विद्यार्थियों के अन्दर एक ज्ञान की ज्योति को जगमगा कर एक सत्यता के संसार को उनके दिमाग़ों के सामने खड़ा कर देती है। जो यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के घरों में डन्की लोड्स आफ बुक्स भर देती है मैं उनको हरगिज़ यूनिवर्सिटी का नाम देने के लिये तैयार नहीं हूं। किताबों से ही यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना करती हैं, वह तो लाइब्रेरीज बनती हैं, और टीचर्स से ही यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती हैं, उनसे तो केवल स्कूल्स ही बनते हैं। यूनिवर्सिटीज वही हैं जो यथार्थ में विद्या देने के लिये खुली हुई हैं और जो सारे संसार को ज्ञान और ज्योति अपने विद्यार्थियों द्वारा देती हैं उसी को यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसी को यूनिवर्सिटी कहते हैं जहां कि युनिवर्सल नालेज एटेन किया जा सकता है, युनीवर्सल विज़डम ऐचीव किया जा सकता है। इसलिये मैं इसी को युनीटरी यूनिवर्सिटी का बेस्ट मौडल समझता हूं जो कि हमारे राष्ट्र के लिये ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिये साइंस के प्राविन्स में, लिट्रेचर के प्राविन्स में, मैथमेटिक्स के प्राविन्स में और जितनी भी ब्रांचेज़ आफ़ लर्निन्ग्ज़ हैं उनमें लीडर्स पैदा करती हैं। हमें लीडर्स आफ़ साइंस, लीडर्स आफ थाट और लीडर्स आफ ऐक्शन पैदा करने हैं जो केवल भारतवर्ष का ही नेतृत्व न करें, बल्कि वह सारे संसार को ज्योति प्रदान करें और शान्ति तथा एकता की ओर अग्रसर करें। हम चाहते हैं कि ऐसे ऊंचे करेक्टर के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में दाखिल हों। मैं कहता हूं कि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाकर जो तोताचश्म बनते हैं और अपने प्रोफेसर्स से नोट्स लेकर फर्स्ट डिवीज़न में पास करते हैं मैं क़तई उनका आदर नहीं करता, मैं उन डिग्रीज़ को डिग्रीज़ नहीं समझता। मैं ऐसी डिग्रियों को इन्सान की बुद्धि की कुड़की समझता हूं। मैं समझता हूं कि वह डिग्री क्या है, वह एक स्मृतिपत्र है कि उस स्थान की पूर्ति हो गयी है जो यूनिवर्सिटी केवल अपने प्रमाणपत्रों से अपने स्टेट्स को बढ़ाना चाहती है वह दुनिया में अपने किसी और कर्तव्य को आगे बढ़ाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकती। जो दुनिया को विद्यार्थी का एक नमूना पेश कर सकती है उसी को हम यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर देने के लिये तैयार हैं। जो यूनिवर्सिटी प्रकाश का पुंज नहीं, जिसके नीचे अन्धकार हो और जिसने दीवालों पर काले नमूने लिख कर विद्यार्थियों को पेश किये हों, मैं उनको बुद्धि और विकास का नेतृत्व देने के लिये तैयार नहीं हूं, उनके पक्ष में मैं नहीं हूं। मेरी भी बड़ी-बड़ी आकांक्षायें हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैं एकदम अपने उत्तर प्रदेश को उंठा कर सातवें आसमान पर पहुंचा दूं, लेकिन देखना यह है कि यह मुमकिन है या नहीं। हमारे पास इतना रुपया पैसा है या नहीं। जैसा कि मैठाणी जी ने कहा, यह दलील दी कि क्यों न देहरादून में, मेरठ में, कानपुर में यूनिवर्सिटी खोली जावें, तो मैं तो इस फेवर में हूं कि हमें और यूनिवर्सिटी अपने उत्तर प्रदेश में खोलनी पड़ेंगी अगर आप शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। परन्तु जैसी आज हमारी आर्थिक हालत है, मैं कहता हूं कि उसके लिये कोई गुंजायश नहीं है। हमें तो वहीं तक आगे बढ़ने की ज़रूरत है जहां तक हमारी परिस्थितियां हमको इजाज़त देती हैं। जो लोग समय से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वे दुनियां में चकनाचूर हो जाते हैं। वे चारों खाने चित्त नज़र आते हैं।

इसलिये हमें व्यावहारिक बुद्धि से काम लेना होगा। हमें आदर्शवाद से उड़ान नहीं उड़नी है जिससे हम उड़ ही नहीं सकते। हमें दृढ़ता के साथ अपनी जेब को देख कर अपने वोटर्स की हालत को देख कर ही आगे चलना होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह तर्क दिया गया था कि किसी भी कमीशन ने यह नहीं बताया कि इस पैटर्न की युनिवर्सिटी जिसका आज यहां जिक्र किया जा रहा है न तो अमरीका में न इंग्लैंड में, और न किसी दूसरे देश में है। तो मैं कहता हूं कि हम नक़लबाज बन्दर नहीं हैं। हम इन्सान हैं हम अपने मुल्क की हालत को देख कर काम करेंगे और हम दुनिया को नया पैटर्न देंगे और दुनिया को क़बूल करना होगा। क्या वे चाहते हैं कि हम दुनिया के पीछे अपने को बांध कर चलें? यह बड़े शर्म की बात है। हमको तो अपनी बुद्धि से काम लेना है। हमारी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हम फ़र्स्टरेट युनिवर्सिटी क़ायम कर सकें। तो अगर हमारी बुद्धि इस बात को नहीं बताती कि हम १६ आने सफल होंगे और उतना आगे बढ़ेंगे तो क्यों न हमें १२ आने ही बढ़ना चाहिये? यह भी कोई तर्क है कि एग्जामिनिंग बाड़ी हो जैसे कि आगरा है? अगर हम युनीटरी कैरेक्टर को रखते हुये, उसके नीचे हम चन्द कालेजेज को एसोसियेट बना कर उनकी शिक्षा का स्टैंडर्ड और ऊंचा करने से इन्कार कर सकते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि हम उस प्रगतिशील क़दम को न बढ़ावें? यह कोई दलील नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो दो बातें हैं उनके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि यह दोनों ऐक्सक्लूसिव नहीं हैं। उसके बीच में कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है और वह वही है जो कि इस बिल के जरिये इस सदन के सामने उपस्थित कर दिया गया है। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि जो आइडिया उन लोगों के दिमाग़ के अन्दर युनीटरी, टीचिंग और ऐक्जामिनिंग बाडी का है वह बहुत ग़लत है। और जैसा कि कहा जाता है कि आगरा युनिवर्सिटी इनफ़ीरियर है, ठीक है। मैं जानता हूं कि आज हमारे मुल्क की जो हालत है उसको देखते हुये हमारी आगरा युनिवर्सिटी बहुत बड़ी इमदाद हमारी जनता की कर रही है और उसके लिये हम उस युनिवर्सिटी को बधाई देते हैं। इनीशियल स्टेज आफ डेवलपमेंट में हमें बहुत सी बुराइयों को भी अपनाना पड़ता है। तो हम लैसर ईविल का चूज कर के ही अपनी विद्वता का परिचय दे सकते हैं। इसलिये यह कहना कि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो एकदम, यह ठीक नहीं है, बुद्धिवादी लोगों के सामने। इसलिये मैं मेन्टेन करूंगा जो रास्ता बीच का मंत्री महोदय ने अख्तियार किया है, वह रास्ता हमारी इमदाद करता है और हमारे कुछ विद्यार्थियों के लिये जिनके लिये सीट इलाहाबाद युनिवर्सिटी में नहीं है वह डिग्री कालेजेज लोकल कालेजेज में जहां स्टैन्डर्ड काफ़ी ऊंचा है, जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी कालेजेज में पढ़ा हूं और देखा है कि बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते हैं। हमारे मंत्री महोदय, इस थर्ड क्लास पर विचार करें कि एक हिस्ट्री का थर्ड क्लास एम० ए० को इंगलिश पढ़ाता है और इंगलिश का थर्ड क्लास एम० ए० को एकोनोमिक्स पढ़ाता है.....।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से एक बात कह देना चाहता हूं.....

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य केवल संशोधन पर ही बोलने की कृपा करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं सामान्य वाद विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम तो यों समझते हैं कि युनिवर्सिटी को हम तभी मजबूत कर सकते हैं जब कि हम सब सहयोग से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इतना ही

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो विरोधियों का संशोधन है उसका विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, अभी तो केवल तीन आदमी ही बोले हैं इस पर। एक ही आदमी अगर आप के पक्ष का एक घंटे बोले तो विषय की ज्यादा जानकारी नहीं हो पायेगी।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसके समर्थन में....

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष---अभी काफ़ी स्पीच नहीं हुई हैं, एक आध स्पीच हो जाने के बाद मैं विचार करूंगा। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया है कुछ सदस्यों को मौका देने के बाद उस पर विचार करूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, इसके सामान्य विवाद के समय जो इस बिल पर हुआ उसमें काफ़ी बहस इसके विषय में की जा चुकी है कि आया युनिटरी कैरेक्टर रखा जाय या न रखा जाय। मैं बहुत अधिक तो उस पर नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि कहा जा चुका है। लेकिन कल के भाषण के उपरान्त मैं कुछ दो एक बातें जरूर माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं और इस आशा से कि वह उस पर ध्यान देंगे और विचार करेंगे और यदि उसमें तर्क है तो जरूर उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। यद्यपि कुछ हिम्मत तो नहीं हो रही थी कल के भाषण के बाद कि मैं उस पर कुछ कहता, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है जिन पर कल कुछ नहीं कहा गया। कल ज्यादातर इस चीज पर कहा गया कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी ने यह तय किया है कि ये एसोसिएटेड कालेजेज रहें, चौधरी महादेव प्रसाद कालेज और इविंग क्रिश्चियन कालेज और जब उन्होंने तय कर लिया है तो उसको केवल एक कानूनी रूप हमें देना मात्र है। हम कोई ज्यादा कालेजेज बढ़ाने की बात नहीं रखते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव हो सकेगा इस कानून के बनने के बाद कि और भी कालेजेज जो इलाहाबाद शहर में हैं, या उसके आस-पास हैं क्या वह भी जब इसकी कंडीशंस को पूरा कर देंगे तो वह भी एफिलिएटेड नहीं हो जायंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---कोई कंडीशन है ही नहीं। पहले बिल तो पढ़ लीजिये।

श्री तेजप्रताप सिंह---तो कोई भी अप्लीकेशन देगा और एफिलिएट हो जायगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कोई भी अप्लीकेशन देकर एफिलियेट हो सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह---बिल को आपने पढ़ा नहीं है कहां उसमें यह है। अच्छा हो पहले आप बिल पढ़ लें तब इस पर बोलें।

श्री तेजप्रताप सिंह---बिल मैंने पढ़ लिया है ठीक है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि और कालेजेज को रिकग्नीशन नहीं दिया जायगा, मान्यता नहीं दी जायगी। लेकिन इस बिल में यह कहीं नहीं है उसमें तो केवल एसोसिएटेड कालेज की व्यवस्था

की गई है और जो भी अप्लाई करेगा वह मान्यता न पा सकेगा। यह इसमें कहीं नहीं है कि इन कालेजों के बाद कोई कालेज एफिलिएट नहीं हो सकेगा और इसीलिये तमाम कालेजेज उसमें आ सकेंगे और फिर स्टैंडर्ड जो है वह गिर जायगा, इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं। वह तो स्टैंडर्ड फिर गिरेगा, जरूर गिरेगा। न उसके पास लाइब्रेरी है, न ऐसे साधन हैं, उन कालेजेज के पास और वह बढ़ते चले जायंगे और उनका स्तर गिरता जायगा। इसलिये इस दलील में कि वहां पर कुछ कालेजेज हैं, उनको एफिलिएट कर लिया जाय, उनको युनिवर्सिटी ने आलरेडी एफिलिएट कर लिया है, इसमें कोई वजन नहीं है। इससे उसका स्तर गिरेगा, यह निश्चित है। दूसरी बात यह, जैसा कि और सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला कि आगरा युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक जब प्रस्तुत हुआ था तो उसमें एक प्राविजन रखा गया था कि इलाहाबाद शहर के जो कालेजेज हों, वह एफिलिएशन ले सकते हैं आगरा युनिवर्सिटी से, यह किस ख्याल से उसमें प्राविजन रखा गया था ? मेरा ख्याल है कि उसमें केवल यही ख्याल था कि इलाहाबाद शहर के अन्तर्गत जो कालेजेज हैं वह आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएट हो सकें और उस एफिलिएशन को देने के प्राविजन को रखने की जरूरत पड़ी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को मेन्टेन करने के लिये। मैं समझता हूं यही एक खास ख्याल था कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को मेन्टेन रखा जाय, इसलिये वह प्राविजन रखा गया। तो जब एक दफ़ा यह निश्चय किया जा चुका है और यह भावना उसमें निहित थी तब उसको तोड़ करके हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी में एफिलिएट करने की व्यवस्था इस बिल में रखते हैं, यह दो चीजें असंगत सी हैं। एक बात तय हो चुकी कि इलाहाबाद शहर के कालेजेज को हम आगरा युनिवर्सिटी में एफिलिएट कर सकें, तो फिर यहां हम इसे क्यों रखते हैं ? इसके लिये कोई तर्क नहीं दिया जा सकता एक चीज मानी हुई है, उस पर निर्णय किया जा चुका है और फिर उसके बावजूद हम यहां यह व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—जरा बिल को पढ़ कर आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा और जवाब भी हम ज्यादा अच्छा दे सकेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह—बिल पढ़ा हुआ है। केवल मात्र इतना प्रतिबन्ध उसमें है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी उस पर अपनी राय दे दे। लेकिन आपका ध्यान तो इस तरफ था कि उसका युनिटरी कैरेक्टर मेंटेन रखा जाय। इसलिये यह प्राविजन आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट में रखा गया था। अब उसके विपरीत यह व्यवस्था यहां हम कर रहे हैं कि वह आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएट न होकर इलाहाबाद युनिवर्सिटी से एफिलिएट हो सकें। दूसरा तर्क यह उपस्थित किया गया था कि शिक्षा प्रसार के लिये, शिक्षा की बढ़ती हुई प्यास के लिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि एसोसिएटेड कालेजेज की व्यवस्था इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट में की जाय। तो इस प्यास के लिये, इस बढ़ती हुई प्यास के लिये हमारे यहां खुद ही इतने जलाशय हैं कि उनसे यह प्यास बुझाई जा सकती है। पता नहीं माननीय सदस्य ने इधर ध्यान दिया या नहीं। आगरा युनिवर्सिटी के रहते हुए और उसमें यह प्राविजन रहते हुये कि इन कालेजेज का एफिलिएशन हो सकता है, उनकी प्यास बुझाई जा सकती है और इलाहाबाद युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। जब दोनों बातें हल हो जाती हैं तो फिर एफिलिएशन क्लाज की व्यवस्था यहां क्यों रखी गयी है और यह असंगत सा मालूम होता है।

आगरा यूनिवर्सिटी में इन कालेजों का एफिलिएशन हो जाने से शायद ऐसा तर्क उपस्थित किया गया है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड नीचा हो जायगा। यह चीज मेरी समझ में नहीं आई कि जो कालेजेज इलाहाबाद में हैं यदि उनका एफिलिएशन आगरा युनिवर्सिटी से हो जाता है तो इलाहाबाद युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्यों गिरेगा। मूथम कमेटी की रिपोर्ट में १३९ पृष्ठ पर बहुत व्यौरे के साथ इसके सम्बन्ध में दिया हुआ है और जिसने पढ़ा होगा वह इस निर्णय पर पहुंचा होगा कि इससे हमारी युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिरने वाला

[श्री तेजप्रतापसिंह]

नहीं है। हो सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की संख्या गिरे क्योंकि जब लोगों को आसानी से डिग्री मिलने लगेगी तो छात्र वहां जा सकते हैं, ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो सकती है। छात्रों का नम्बर कम हो सकता है, यह भी अच्छी बात है। अगर छात्रों की संख्या कम होती है तो अच्छा ही है क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में जैसा कहा गया है कि २,५०० से ज्यादा संख्या यदि विद्यार्थियों की हो जाय तब यूनीटरी कैरेक्टर की युनिवर्सिटी न तो अच्छी शिक्षा दे सकती है और न अपना स्तर ही ऊंचा रख सकती है। इसलिये अगर छात्रों की संख्या कम होती है तब भी अच्छा है और हमारा स्तर ऊंचा होगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना जरूरी इसलिए भी है कि जैसा कि हमारी इलाहाबाद युनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, उसके बारे में किसी की दो राय नहीं हो सकतीं और इसको कायम रखा जाय। आगरा युनिवर्सिटी है, लखनऊ युनिवर्सिटी है और योजना हो सकती है, कानपुर में खुल सकती है या देहरादून में खुल सकती है यानी ऐसे क्षेत्र में खुल सकती है जहां कि कोई युनिवर्सिटी नहीं है। जब एक व्यवस्था शिक्षा के लिये है तो फिर क्यों इस युनिवर्सिटी के यूनीटरी कैरेक्टर को एफिलिएटेड रूप दिया जाय जिसका कि इतिहास ऐसा रहा है, जिसके ट्रेडीशन्स इतने अच्छे रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हम इसके युनिटरी करेक्टर को नष्ट करें और जो संशोधन वर्मा जी ने पेश किया है उसका मकसद यही है कि इसके युनीटरी कैरेक्टर को कायम रखें और स्टैंडर्ड को भी ऊंचा रखें और साथ ही साथ शिक्षा की प्यास भी बुझती रहे और लोगों में संतोष हो जिसके लिये आगरा युनिवर्सिटी है वह एफिलियेटेड करेक्टर को रखती हुई यह सेवा करती रहे तब इसके रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। मूथम कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि इसके बेसिस पर ही यह संशोधन विधेयक रखा गया है। अगर यही आधार है तब तो इसको मानना चाहिये क्योंकि उसने खुद इसको रिकमेंड किया है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के यूनीटरी करेक्टर को मेन्टेन किया जाय। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, इस पर पुनः विचार करेंगे और इसको कायम रखेंगे जैसा कि उन्होंने प्रीएम्बिल में इसको कायम रखा है। मैं उनसे अपील करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करेंगे और अच्छी बात को मानने में वह हिचकिचायेंगे नहीं।

भाषणों का समय निर्धारित करने के लिये प्रस्ताव

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि जो सज्जन संशोधन पेश करें वह १० मिनट बोलें और अन्य सदस्य ७ मिनट बोलें। मैं आशा करता हूं कि श्रीमन्, इस पर रूलिंग दें और वोट लेने की कृपा करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि आज जबकि ५ दिन के आम विवाद के बाद हम क्लाजवाइज डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और एक ऐसे क्लाज पर बहस कर रहे हैं जो कि इस संशोधन विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है तो उस बहस में एकदम से हमारे किसी माननीय सदस्य का पहले ही दिन इतना प्रभावित हो जाना कि वह गिलोटिन प्रस्ताव ले आयें, पार्लियामेंटरी पद्धति में किसी चीज के लिये समय नियत करना गिलोटिन ही है मैं समझता हूं बहुत ही अनुपयुक्त होगा और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो स्वयं इंटरवीन करें और माननीय सदस्य से प्रार्थना करें कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे स्वयं इस बात का दुःख है कि यह आवश्यकता प्रतीत हुयी कि इस प्रकार से एक प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह जब क्लाजवाइज डिस्कशन है तो फिर जो पांच रोज तक सामान्य वाद-विवाद हुआ वही फिर आद्योपान्त तक दोहराया जायगा तो शायद यह बिल कभी खत्म नहीं होगा। हर एक आदमी उठ कर अगर वही बातें दोहरायेगा जिसमें पांच रोज पहले खर्च हुये और फिर क्लाजवाइज डिस्कशन में भी तीन रोज खर्च

हों तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अनावश्यक है इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाना उचित ही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी इस सदन ने बनायी है जिसे माननीय अध्यक्ष ने १५ दिन हुए नामजद किया । उसने जो नियम पास किये हैं उनके अनुसार अगर माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि किसी बिल में जल्दी होनी है, उसमें समय नियत होना है तो वह नेता सदन से कहें और नेता सदन माननीय अध्यक्ष से कहें और फिर मामला बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने जायगा और वह यह तय करेगी कि इसमें समय निर्धारित होना चाहिये या नहीं । जब इसके लिये एक कमेटी बन गयी है तो फिर सदन में इस प्रकार के प्रस्ताव आना और माननीय मंत्री का इस प्रकार उसका समर्थन करना यह पार्लियामेंटरी पद्धति के बिल्कुल प्रतिकूल है । तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या जब सदन की बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी बन गयी है, उसके नियम स्वीकृत हो गये हैं तो बिना उसको रेफर किये हुए क्या कोई समय को नियत करने का प्रस्ताव आ सकता है ?

श्री शिवनारायण---श्रीमन्, अभी तक बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी है और न हम लोगों को ज्ञान है कि उस कमेटी ने क्या तय किया है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रस्ताव के ऊपर अभी वोटिंग करा ली जाय ।

श्री जोरावर वर्मा---जिस समय भूमि व्यवस्था विधेयक इस सदन के सामने आया था तो जब सामान्य विवाद हो रहा था तो उस समय भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव आया था और उस समय बहुत से सदस्यों ने उसका विरोध किया था । उस समय माननीय स्पीकर महोदय ने एक बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी नियुक्त की थी कि बिल के लिये किस प्रकार समय नियत किया जाय । इसलिये मेरी राय है कि उसमें क्या तय हुआ जब यह मालूम हो जाय तब यह बंधन लगाया जाय बजाय आज के । जब उस कमेटी से कन्सल्ट कर लिया जाय तो कल जैसा उचित समझा जाय किया जाय, लेकिन आज ऐसी बात न की जाय क्योंकि माननीय स्पीकर इस सम्बन्ध में अधिक जानते हैं इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति के लिहाज से बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का कार्य केवल यह होता है कि वह एजेंडा के बारे में तय करती है कि हाउस के सामने किस क्रम से कार्य आये, लेकिन किस बिल के लिये कितनी टाइम लिमिट होगी यह उसके स्कोप के बाहर है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह उसके स्कोप के बाहर नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र---दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो प्रस्तुत संशोधन है आम बहस के समय इसके ऊपर सदन के बहुत से सदस्य अपने विचार विस्तार के साथ कह चुके हैं । अब यह प्रस्तुत विधेयक जो है और आगे जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उन पर इसी तरह से अगर समय लगे तो उसमें बहुत दिन लग जायेंगे और समय के अन्दर यह पास नहीं हो सकेगा । इसलिये मेरी राय में टाइम लिमिट अवश्य हो जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे सूचना मिली है कि आज शाम को ५ बजे बिजनेस कमेटी की मीटिंग होने जा रही है और उसमें यह प्रश्न भी शायद उपस्थित होगा कि कितना समय इस बिल के लिये आवश्यक होगा, इस पर कमेटी विचार करेगी, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस वक्त मुझे यह समय की सीमा लगाना उचित नहीं मालूम होता है, हां, यदि सब माननीय सदस्य सहयोग दें तो काम जल्दी-जल्दी निपट सकता है ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री शिवनारायण--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय। मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छी बात है। मैं उपस्थित किये देता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जब आप एक बार रूलिंग दे चुके.....

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कोई रूलिंग नहीं दी। जिस समय यह प्रश्न पहले उठाया गया था तो मैंने कहा था कि एक दो स्पीचेज़ हो जाने के बाद मैं इस प्रश्न को ले लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी तो एक ही स्पीच हुयी है । दो तीन तो होनी चाहिये।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--आन प्वाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के बारे में कि प्रश्न उपस्थित किया जाय, जो नियम है वह यह है कि उसमें पूरा अधिकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय को है और जिस समय वह उचित समझें उसी समय वह प्रश्न उपस्थित कर देंगे, अगर वह यह समझते हैं कि डिबेट को इम्प्रापरली (Improperly cut of) करने की कोशिश नहीं की जा रही है तो प्रश्न उपस्थित कर देंगे उस समय श्रीमन्, आप उठ रहे थे इस प्रश्न को उपस्थित करने की नीयत से। उसके खिलाफ जो उधर से आब्जेक्शन हुआ और यह आब्जेक्शन हमेशा, जब इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो किया जाता है, मैं नहीं समझता कि किस रूल के मातहत किया जाता है । यह तो पूरा अधिकार चेयर का है कि जब प्रापर समझे प्रश्न उपस्थित कर दे। तो इस सम्बन्ध में अगर आप प्रश्न उपस्थित करने जा रहे थे तो कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--चेयर का तो अधिकार बराबर है कि वह यह देखे कि वादानुवाद काफी हुआ है या नहीं हुआ है। मैं कह चुका था कि दो स्पीचेज के बाद मैं प्रश्न उपस्थित कर दूंगा। अभी एक स्पीच हुयी है एक स्पीच का मौका मैं और दे सकता हूं ।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, जो विवाद सदन के सामने उपस्थित है उसपर मैं थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा । उसमें साधारण वाद-विवाद में और आज भी असोसिएटेड कालेजेज के बारे में बड़ी गर्मा-गर्म बहस हुयी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों में बड़ा ही पुराना विश्वविद्यालय है। सत्तरहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसकी स्थापना हुयी थी और आज से २१ वर्ष पहले इसका पुराना ऐक्ट बना था। सन् १९३८ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पुर्नसंगठित करने का प्रश्न सरकार के सामने किसी न किसी रूप में उपस्थित था और मूथम कमेटी की रिपोर्ट या और भी जितनी कमेटीज आयीं, उनकी केवल एक ही चिन्ता थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो परेशानियों की बातें आ गयी हैं उनको कैसे दूर किया जाय और कैसे इसका सुधार किया जाय, इसका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाय ।

आज जो सदन में और आज के पहले जो विवाद चल रहा है उससे मुझे एक ही बात का आभास हुआ है और एक ही बात विशेष रूप से कही गयी है, जैसे जो आज विधेयक उपस्थित किया जा रहा है उसके लाने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड जो अब तक बड़ा ही आदर्श स्टैन्डर्ड रहा है, इससे बड़े योग्य व्यक्ति पैदा हुये हैं, बड़ा भारतवर्ष का नाम हुआ है, वह स्तर जो अब तक ऊंचा था, अब जो विधेयक लाया जा रहा है वह उसको गिराने के लिये लाया जा रहा है । मुझे कई व्यक्तियों के भाषण से ऐसा ही आभास हुआ कि जो स्टैन्डर्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब तक एग्जिस्ट करता था वह तो बहुत ही अच्छा था और उसमें जो सुधार अब हो रहा है वह अवांछनीय है और उसको गिराने की तरफ ले जा रहा है। यह जो मूथम कमेटी की रिपोर्ट है या और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की रायें हैं और जो दूसरी रायें हैं, उन रायों और रिपोर्टों के प्रतिकूल यह बातें कही गयी हैं। केवल मूथम कमेटी रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ा जाय, तो केवल एक ही बात पर जोर दिया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस शिक्षा के आदर्श को और उन तमाम बातों का पूरा प्रबन्ध नहीं कर रहा है जिससे वहां का उत्थान हो सके और विद्यार्थी की आकांक्षायें पूरी हो सकें और अगर केवल एक ही बात मान ली जाय कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तमाम वह कमियां हैं जिनके दूर करने के लिये कमेटी बनी थी तो फिर कोई इस बात का विवाद नहीं रह जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुधार की आवश्यकता है, उसकी शिक्षा का आदर्श ऊंचा करने की आवश्यकता है, उसे उसका स्थान देने के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। केवल एक बात मान ली जाय तो तमाम दलीलें समाप्त हो जाती हैं।

१८६१ से जब से विश्वविद्यालय कायम हुए और नये युग के आरम्भ होने तक, इलाहाबाद और कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय से कुछ बड़े ही दिमाग के लोग, बड़े ही ऊंचे लोग पैदा हुए और बृटिश इम्पीरियलिज्म का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, ऐडवोकेट्स थे, या आई० सी०एस० थे, या पी०सी०एस० थे, उस तरीके के लोग इस विश्वविद्यालय से निकले और नाम भी किये। लेकिन हम यह बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस मार्डन सेट अप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कोई भी दूसरा विश्वविद्यालय उस तरह का स्टाफ पैदा करने में बिलकुल असमर्थ हो गया है जिसके लिये कि आज की सोशल कंडीशन में, इकोनामिक कंडीशन में, आज की पोलिटिकल कंडीशन में, आज की कल्चरल कंडीशन में आवश्यकता है। बिलकुल उसका अभाव हो गया है। हम देखते हैं कि वहां के स्टूडेन्ट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट धीरे धीरे अपने स्तर से नीचे गिरते चले जा रहे हैं और परेशानियां पैदा होती जा रही हैं। मूथम कमेटी इसी ओर संकेत करती है। मुझे कोटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। उसकी एक-एक लाइन का यही अर्थ होता है। स्टेडलर्स कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन ने भिन्न-भिन्न रायें दी हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं कि हर एक का उदाहरण दिया जाय कि इस कमेटी ने यह कहा है, इसलिये यही करने की आवश्यकता है। जो भी आज सरकार है और जो भी आज इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य हैं और आज के बाद जो माननीय सदस्य होंगे उनको अधिकार है और होगा कि नयी-नयी बातें सोचें और निकालें। एक कनवेंशन था, आज हम उसको छोड़ रहे हैं। तो चाहते तो सब लोग हैं कि उसको छोड़ा जाय लेकिन जब छोड़ने लगते हैं तो एक परेशानी सी होती है और हम सोचने लगते हैं कि वही अच्छा था। इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कनवेंशन छोड़ा जा रहा है और उसकी आवश्यकता है। जैसे कि मिर्जापुर के एक माननीय सदस्य ने साधारण वादविवाद के समय बड़े जोरों से कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्तर एक बड़े शान की चीज थी और भी कई सदस्यों ने कहा वह गिरता जा रहा है। इसलिये किसी न किसी रूप में विधेयक लाने की आवश्यकता थी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दुरुस्त करता और मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि आगरा जैसा कोई अगर एफीलिएटेड विश्वविद्यालय है तो उसका स्तर चाहे जितना भी नीचा हो, उसमें चाहे जैसे भी लोग इम्तहान देते रहें और डिग्री प्राप्त करते रहें, तो कोई चिन्ता की बात नहीं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर एफीलिएटेड कालेज हो गये और अगर उसका स्तर गिर जायगा तो बड़ी चिन्ता की बात है। मैं बिना कोटेशन दिये हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें देश के विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा करना है तो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो या आगरा विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो सब को एक ही स्टैन्डर्ड में रखना होगा। अगर यह सरकार नहीं कर सकेगी तो दूसरे विश्वविद्यालयों के सब विद्यार्थियों के साथ और जनता के साथ अन्याय करेगी। इसलिये यह कहना कि आगरा विश्वविद्यालय में चाहे जैसे विद्यार्थी पढ़ें लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्तर बहुत ऊंचा रहे, यह

[श्री पद्मनाथ सिंह]

आज के वातावरण में, आज के भारतवर्ष में इस तरह को बातें करना असंगत है। एसोशिएटेड कालेजेज की जो बात कही गयी है वह भी माडर्न सेट अप में नहीं देखी जा रही है। पुराने कन्वेंशंस हैं जिनको हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई नई कंसोलिडेटेड रूपरेखा दिमाग में होनी चाहिये इसी लिये पुराना यूनिटरी सिस्टम रखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की जो पुरानी रूपरेखा है उसे बदलना चाहें तो जो रूप आया है वह निश्चित रूप से सबको पसन्द नहीं आ सकता। कुछ न कुछ कमी होता ही है। फिर अपने-अपने ख्याल हैं, तो इस तरह से जो विधेयक आयेगा उसमें कुछ न कुछ कमी होगी। जो विधेयक उपस्थित है उसमें कुछ इस बात का जिक्र है कि कुछ एसोशियेटेड कालेजेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रख दिये जायं। इस पर लोगों को एतराज है। इस ऐक्ट की कुछ धाराओं को अगर वे पढ़ें तो मालूम होगा कुछ स्टेटयूट्स आयेंगे जो रिकगनोशन को कंट्रोल करेंगे। स्टेट्यूट्स जब बनेंगे इस ऐक्ट के अनुसार वे यूनिवर्सिटी में एसोशियेटेड कालेजेज के रिकगनोशन पर काफी कंट्रोल करेंगे। यह दूसरी बात है कि कोई भी कालेज उसमें रिकगनाइज हो सकता है लेकिन फिर भी जो प्रतिबन्ध हैं, जो संचालक होंगे, जो समाज आयेगा, जो लोग आयेंगे वे उस स्प्रिट की रक्षा करना चाहेंगे। कानून के जो शब्द होते हैं वे उसकी भावना और भाषा के साथ चलते हैं। अगर साथ चलेंगे तो फिर यह कहना कि स्टेट्यूट्स बेकार होंगे, प्रतिबन्ध बेकार हैं और इस विधेयक में जो कुछ शर्तें पेश की गयी हैं वे किसी काम की न होंगी तो मेरी समझ में यह अनर्गल सी दलील है। एसोशियेटेड कालेजेज के सम्बन्ध में एक बात और सोचनी चाहिये। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, शिक्षा की भावना बढ़ रही है, हर एक को हम शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा भी ऊंची देना चाहते हैं तो एक कालेज की सीमा को अगर हम फैलायें तो उसमें परेशानी की क्या बात हो जाती है। स्टैन्डर्ड गिरे न, अगर यही उद्देश्य है तो मेरा एक निवेदन है कि स्टैन्डर्ड गिरे भी न और कालेज की सीमा कुछ बढ़े भी अगर इसकी व्यवस्था सोच कर बतलायी जाती तो बेहतर होगा बजाय इसके कि उस सीमा को वहीं रक्खा जाय जहां रखी थी। फिर आज वह सीमा उस आदर्श की रक्षा नहीं कर रही है, उन तमाम बातों को पूरा नहीं कर रही है जिनकी कि हम बार-बार दुहाई देते हैं। अगर यूनीटरी करेक्टर होने पर यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड गिर गया है और वह हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो फिर यूनीटरी सिस्टम की दुहाई देना बेकार है। तो फिर एसोशियेटेड कालेजेज की तरफ अगर देखें कि उनके जरिये कुछ उन्नति हो सकती है या नहीं हो सकती, कुछ सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो इसमें क्या हर्ज है। जो सरकार यहां इस वक्त उपस्थित है वह पहली सरकार से भिन्न है और एक डेमोक्रेटिक सरकार है और बड़ी-बड़ी रिपोर्टों को देख कर उसने यह विधेयक तैयार किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आटोनामी की परिभाषा की गयी है। मैं किसी पर अटैक नहीं करता, पासिंग रिफ्लेक्शन डाल रहा हूं, अगर नयी परिभाषा है तो ज्यादा है सही है जिस पर चल कर हम उन्नति कर सकेंगे, पुरानी लकीर पीटने से क्या फायदा जिससे हम वहीं रह जायं। आटोनामी का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई स्थान नहीं। आटोनामी इम्परीलिस्ट सिस्टम आफ गवर्नमेंट का एक अंग था जब कि अंग्रेज तमाम दुनियां में कालोनीज फैलाये हुए थे। उस समय आटोनामी की चर्चा ठीक मालूम होती थी लेकिन आज जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तब आटोनामी कोई महत्व नहीं रखती। यह बात तो दूसरे विषय की थी लेकिन मैंने रिफ्लेशन इसलिये डाला कि हम ओल्ड कन्वेंशंस को तो हामी भरेंगे और हम देखना चाहते हैं आगे की तरफ। अगर आगे देखना है तो मेरा निवेदन है कि ओल्ड कन्वेंशन्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर आगे की तरफ देखना है तो नये रास्ते ढूंढने होंगे और उनके ढूंढने के लिये हमें अध्ययन करना होगा ताकि नये प्राविजन्स और नये स्कोप बढ़ा सकें। अगर यूनीटरी सिस्टम आफ एजूकेशन यूनिवर्सिटी का हमारे आदर्शों को पूरान कर सके तो उसका स्कोप बढ़ाना होगा। क्योंकि स्टूडेन्ट्स ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है और ऐसी बातें हो गयी हैं जो ३१ में नहीं थी, १८८९ में नहीं थीं। अगर सबको शिक्षा देना है और चीजें बदल गयी हैं तो फिर क्या इसमें परेशानी है कि एसोशियेटेड

कालेजेज होने से यूनीटरी कैरेक्टर खत्म हो रहा है। हमारे माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले थे उन्होंने कहा था कि आगरा यूनिवर्सिटी में लोग जायं और इलाहाबाद यूनिविसटी को यूनीटरी रहने दें। उनसे मैं केवल यही कहूंगा कि आप आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस में फर्क क्यों करना चाहते हैं। तमाम जगह विद्यार्थी पढ़ते हैं और हर जगह विद्यार्थी पढ़ते हैं। कोई कहीं पर अन्तर नहीं रहना चाहिये और बराबर सब रहें और यहां पर भी बराबर रहें। आज हमको इसी स्थिति को देखकर विचार करना होगा और इसी विचार से सारी यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट को इस स्तर पर लाना पड़ेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---६८

विपक्ष में---१४।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बिना सूचना का एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के २२१ नियम के अनुसार यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पर विवाद हो रहा है तब तक १७३ का जो उपनियम (७) है उसको सस्पेंड कर दिया जाय। यह नियम १७३ बिना सूचना के प्रस्ताव से संबंधित है और उपनियम (७) का सम्बन्ध विवाद को समाप्त करने के प्रस्ताव से है हमें इसको उपस्थित करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है लेकिन क्योंकि इस प्रकार प्रश्न उपस्थित करने की परिपाटी को सरकार ने रोज को कार्यवाही का एक अंग बना लिया है और उसका सरकारी दल की ओर से दुरुपयोग हो रहा है इसको देखकर हमें विवश होकर इस प्रकार का प्रस्ताव करने के लिये खड़ा होना पड़ा। श्रीमन्, आप भली-भांति परिचित हैं कि किस तरह से यह सरकार बाहर तो हमारे भाषण स्वतंत्रता के अधिकारों पर कुठाराघात करती ही है लेकिन इस सदन में भी वह मनमानी करना चाहती है। इधर हम भी विधान के अनुसार कार्य करना चाहते हैं लेकिन वह सदा हस्तक्षेप करती आयी है। जमींदारी एबालिशन बिल के सम्बन्ध में भी श्रीमान् को मालूम है कि वह उस पर ठीक प्रकार से वादविवाद किया जाता तो एक महीने से कम में समाप्त नहीं हो सकता लेकिन उसको इस सरकार ने ७ दिनों में पास कराया। आपने उसके सिलसिले में यह भी देखा कि हमको रात के १२ बजे तक जागना पड़ा। सरकार के लिये यह तो मामूली बात हो गयी है कि २ घंटे के लिये समय बढ़ाया जाय या शनिवार को बैठक रख दी जाय। सरकारी दल के अधिकारपूर्ण प्रवक्ता माननीय सदस्य शिवनारायण जी उसको यूं ही समाप्त कर देना चाहते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उसका समर्थन करते हैं। एक तरफ तो दूसरे के द्वारा यह प्रस्ताव रखाया जाता है इस बात को छिपाने के लिये कि यह सरकारी प्रस्ताव नहीं है और दूसरी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी आसानी से उसका समर्थन कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस समय तो यह अध्यक्ष का, आपका और हाउस का अपमान हो जाता है यह कहे जाने के बाद भी कि बिजनेस कमेटी बन गयी है और आज शाम को ही इस समस्या पर विचार होने वाला है। उसकी मीटिंग भी पांच बजे होने वाली है, उस समय ऐसे प्रस्ताव का लाना निहायत ही अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी दल समझता है कि अपने बहुमत के बल पर, अपनी ब्रूट मेजोरिटी के बल पर वह चाहे जो कर सकता है। हमारा दो ढाई साल का जीवन इस सदन में है उससे हम समझते हैं कि सरकार हमेशा ही पार्लियामेंटरी पद्धति का उल्लंघन करने का प्रयत्न करती रहती है। जहां तक सरकारी दल के सदस्यों का सम्बन्ध है वे तो वही बहस करेंगे जो कि वे समझकर आते हैं लेकिन हमें जो भी कुछ अपने सिद्धांतों के अनुसार कहना है उसको कहने की तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह---श्रीमन्, मेरी एक वैधानिक आपत्ति है वह यह है कि जब तक माननीय सदस्य को आपकी तरफ से इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने की इजाजत नहीं मिल जाती तब तक उनको ऐसा लम्बा भाषण नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो एतराज किया गया है वह सही है । अभी माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २२१ की ओर आकर्षित किया । उसके अनुसार अध्यक्ष की इजाजत के बिना माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर सकते । इसके अलावा मैं सूचना दे चुका हूं कि आज शाम को पांच बजे बिजनेस कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें इस बिल के सम्बन्ध में, समय के सम्बन्ध में कार्यवाही होगी । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्य को ऐसा प्रस्ताव पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरा यह कहना है कि जो आप अनुज्ञा दें वह तो ठीक है लेकिन उसी के बारे में जो आपसे निवेदन कर रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष---इस विषय में माननीय सदस्य काफी कह चुके हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आपकी आज्ञा तो मुझे मान्य है, मैं आगे नहीं बोलूंगा लेकिन मैं इसी स्टेज पर था कि आपके न्याय को मैं अपील करूं और वह स्थिति नहीं थी जबकि माननीय मंत्री जी को प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप बैठ जाइये, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी ।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि मेरे बोलने से पहले यदि माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब दे दिया जाता तो अच्छा होता ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो माननीय मंत्री जी को फैसला करना है कि वह किस स्टेज में और कब बोलना चाहते हैं । मैं उनको बोलने के लिये मजबूर नहीं कर सकता । मैं आपको उत्तर देने के लिये बुला चुका हूं, तो आप चाहें तो बोल सकते हैं और कांग्रेस बेंचेज से भी इस सम्बन्ध में कई स्पीचें हो चुकी हैं उनका भी शायद आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि क्या हमारी वर्तमान नियमावली के अनुसार जब किसी माननीय सदस्य ने कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो और उसका माननीय मंत्री जी ने जो सरकारी विधेयक के पाइलट करने वाले हैं, उसे निर्धारित करने वाले हैं, उन्होंने उसका उत्तर न दिया हो तो बिना उनके उत्तर दिये क्या कोई संशोधनकर्ता अपना अंतिम उत्तर दे सकता है या उन्हें देना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं कह चुका हूं कि यह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिये फैसला करने की बात है कि वे किस स्टेज पर और कब बोलना चाहेंगे । इसका विरोध कांग्रेसी बेंचों की तरफ से भी किया गया जो कि संशोधन पेश है, इसलिये माननीय सदस्य उसका अगर उत्तर देना चाहें तो उनके लिये यही मौका है कि उसका उत्तर दे दें ।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि अगर माननीय मंत्री जी इसके बाद कोई बात कहें तो संशोधक की हैसियत से मुझे फिर उसका जवाब देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

श्री जोरावर वर्मा––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इसके ऊपर अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया। मैं उनके लिये सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उसका उत्तर देने में वे असमर्थ हैं इसलिये उन्होंने इसका कोई उत्तर देना उचित ही नहीं समझा। आपके द्वारा मैं तो यह कहूंगा कि उनके पास कोई उत्तर है ही नहीं अगर होता तो वे जरूर बोलते। जिस संशोधन के ऊपर इतने लोग बोले और जिस संशोधन का समर्थन अगर पिछले भाषण को देखा जाय तो खुद उनके सरकारी दल के बहुत से सदस्यों ने किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी कमजोरी को महसूस करके यही सोचा कि इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि इसका उत्तर ही न दें। सबसे बड़ी चुप्पी उन्होंने अख्तियार की इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री अब्दुल मईज खां––आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, स्पीचेज के आर्डर के बारे में जो हमारी नियमावली में नियम १८५ है उसमें स्पष्ट है कि जब कोई मोशन कोई सदस्य लाता है ग्रांट कट करने का या कोई संशोधन का तो उसके स्पीच के बाद हाउस में जो डिबेट हो तो मिनिस्टर को अधिकार होता है कि वह इंटरवीन करके उसका स्पष्टीकरण कर दे लेकिन उनको रिप्लाई का जो अधिकार है वह मूवर की अंतिम स्पीच के बाद रिप्लाई का अधिकार है, फिर यह कैसे कहते हैं कि मिनिस्टर साहब रिप्लाई नहीं दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––मैं तो इसके ऊपर स्पष्ट कह चुका हूं कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह––श्रीमन्, अगर कहें तो मैं अभी जवाब दे दूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर मुझे जवाब देने का अधिकार है।

श्री जोरावर वर्मा––उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जिस नियम का उन्होंने जिक्र किया उसके अनुसार मैं फिर उनका उत्तर दे सकता हूं। यह तो मैंने पहले ही कहा था, पता नहीं वे सो रहे थे या क्या कर रहे थे? उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं कि पहले तो लोग सचेत रहते नहीं और फिर जब एकदम से जाग पड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि कहीं तूफान आ गया हो। यह तो मैंने पहले ही सोच रखा था और मैंने इसीलिये कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना चाहता हूं और सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इन विचारों का स्वागत करते हुए यह समझा कि सचमुच यह प्रश्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं है बल्कि शिक्षा प्रणाली का है। उन्होंने इसको महसूस करते हुए मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है, इसलिये मैं माननीय महाराजकुमार बालेन्दुशाह और माननीय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संशोधन का विरोध करते हुए भी वास्तव में मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने इस बात को बताया कि राधाकृष्णन कमीशन की जो रिपोर्ट है वह क्या कहती है और पहले मैं यह बता भी चुका था कि मूथम कमेटी को ही सरकार ने आधार माना है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जिस बाइबिल को कोट किया था, अगर उसके सफा १३६ से १४० तक अगर पढ़ा जाय तो उसमें ८० प्रतिशत इस प्रकार के शब्द धारणा और तथ्य मिलेंगे कि वह सब इस बात का समर्थन करते हैं कि एफिलिएटिंग कालेजेज नहीं होने चाहिये, क्योंकि इससे वास्तव में यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर चेन्ज हो जाता है। यह माननीय सदस्यों के विरोध से ही स्पष्ट हो गया है कि यह बिल इन दो पुस्तकों पर आधारित है या नहीं। रावत जी ने तो बड़े जोश के साथ न जाने क्या-क्या कह डाला। मैं उनकी थोड़ी सी बातों का जवाब देना चाहता हूं लेकिन उनकी दलीलें बिलकुल थोथी हैं, उन्होंने पता नहीं अपने लिये कहा या मेरे लिये कहा, मैं तो समझ नहीं सका जो

[श्री जोरावर वर्मा]

बातें बिना सिर पैर के थीं और मैं उनमें कोई तथ्य ही न देख पाया। आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के जो उच्चकोटि के विद्वान् हैं, देश के ही नहीं बल्कि जो संसार के एक बड़े विद्वान् हैं उनको तो सब ही मानते हैं लेकिन हमारे वक्ता महोदय पता नहीं क्यों आसमान ही में उड़ते रहे और विचारों के वायुमंडल में विचर कर उन्होंने अपनी बातों के द्वारा ही यह सिद्ध कर दिया कि जो कुछ वह कह रहे थे उसमें कोई सार नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने आगे यह भी कहा था कि जो ऐसा संशोधन ला रहे हैं वह कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड की तरफ जा रहे हैं। मालूम होता है, सम्भवतः उन्होंने मेरा भाषण नहीं सुना। मैंने पहले ही कहा था कि जो बृटिश शिक्षा पद्धति है उसी के आधार पर सरकार ने यहां यह चीज रखी है। जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली थी जिससे नालंदा और तक्षशिला के विद्यार्थी निकलते थे और दस दस हजार की तादाद में विद्या पाते थे और वह इस तरह के आज के से विद्यार्थी नहीं होते थे। वह भारतवर्ष की कौन कहे सारे संसार में ख्याति प्राप्त करते थे। मैंने तो केवल शिक्षा पद्धति का बयान दिलाया, कहीं का नाम नहीं लिया। वह तो सरकार ही कहती है कि ऐसा सब जगह हो रहा है और दूसरे देशों में भी हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर दो कालेजेज को एफिलिएट ही कर दिया जायगा तो यूनिवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर में क्या बड़ा परिवर्तन हो जायगा। यह तो एक छोटी सी बात है जिसको कामन सेंस कहते हैं जिसमें है वह जान सकता है यद्यपि "Common sense in not so Common which is found in everybody." लेकिन यूनिटरी रेजीडेंशियल और टीचिंग यूनिवर्सिटी वही है जहां पर एक जगह शिक्षा दी जाती है और जिसका कंट्रोल उन्हीं के मैनेजमेंट में हो जहां शिक्षा होती है। मैंने यह संशोधन इसीलिये रखा था और इसीलिये इस में जो मैनेजमेंट कमेटी की डेफिनिशन दी गयी है कि किस तरह से एफिलिएटिंग कालेजेज की मैनेजमेंट कमेटी होगी और किस तरह से विश्वविद्यालय उसकी सिफारिशों को मानेगा। अगर मैनेजमेंट अलग से होगा तो यूनिटरी कैरेक्टर किस तरह से रह सकता है। अगर वह दूसरे मैनेजमेंट में रन करेंगी तो यूनिटरी कैरेक्टर रह ही नहीं सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इस यूनिटरी कैरेक्टर के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी हो सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही मालूम होता है कि जो कुछ वह कहते हैं वही सत्य है और बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में महान् व्यक्ति हैं या जो और विद्वान् कहते हैं वह सब गलत कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन ने अपना निर्णय इस सम्बन्ध में दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी तीन टाइप की होती है। यूनिटरी, ऐफिलियेटिंग और फेडरेटिव। एक और टाइप की यूनिवर्सिटी उन्होंने उसमें जोड़ दी है जिसमें दो कालेजेज ऐफिलियेटेड होते हैं तो यह एक नया क्रियेशन कहा जाता है। अब यह उपाध्यक्ष महोदय, क्रियेशन (निर्माण) हो गया या डिस्ट्रक्शन (विनाश) हो गया। यह चीज न आजतक थी और मैं समझता हूं कि न भविष्य में भी होगी। इस तरह से विकृत रूप में उदाहरण पेश करना कहां तक उचित होगा इसे सदन ही जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जिसका यहां कहना उचित नहीं था लेकिन अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं उसका जवाब दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो हिस्टरी में तो एम० ए० हैं लेकिन पढ़ाते अंग्रेजी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि सरकार द्वारा सरकारी इंटर कालेजेज में और सरकारी स्कूल्स में ऐसे टीचर्स जो किसी दूसरे विषय में एम०ए० या एम० एस-सी० थे या जिन्होंने किसी दूसरे विषय में विशेष शिक्षा प्राप्त की है वहां से हटाकर दूसरी जगह रख दिया है जहां अब वे वह विषय पढ़ाते हैं जो बी० ए० में लिये थे तो ऐसी गड़बड़ियां सरकारी विभागों में होती हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसा हुआ है। मैंने उनका ध्यान आकर्षित भी किया है लेकिन उन्होंने उसको माना नहीं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको जाने दीजिये आप यहां मंत्रिमंडल में ही देख लीजिये जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं क्या

उनको उसी विषय का पोर्टफोलियों (कार्य विभाजन) दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिनको जिस विषय का ज्ञान विशेष है उनको उसका पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है।

श्री हरगोविन्द सिंह--अगर यही नियम लगाया जायगा तो आप भी यहां बोल नहीं सकते।

श्री जोरावर वर्मा--जरा जोर से कहिये तो उसी हिसाब से जवाब दिया जाय। हां, तो मैं यह कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वह उसकी स्वयं नहीं हैं बल्कि इस सरकार की प्रतिछाया है, जो यहां होता है उसका प्रतिबिम्ब सब जगह पड़ रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाये गये हैं उन्हीं का जवाब दिया जा सकता है। वक्ता महोदय, नये प्रश्न क्या उपस्थित कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वक्ता महोदय, उन्हीं पर भाषण दे रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--मैं उपाध्यक्ष महोदय इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। इस तरह से बराबर बीच में बाधा डालने से सदन का समय नष्ट होता है। चूंकि रावत जी ने ऐसा भाषण दिया इसलिये मैंने यह बात उठायी और इसीलिये उनका जवाब मुझे देना पड़ा।

अब मैं माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने मेरे विरोध में जो भाषण दिया है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पहले इस यूनिवर्सिटी ने बड़ी सेवाएं की हैं लेकिन अब नहीं कर रही हैं और उसके कारण में उन्होंने भी यूनिवर्सिटी का ही अपराध बतलाया। लेकिन मैं इसको बहुत निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक यहां ब्रिटिश शासन रहा है तब तक उसने अपने विशेष ढंग से जो ख्याति प्राप्त की थी, जो उसका गौरव था, जो उसका आदर था उसको उसने निबाहा लेकिन जब से हमारी यह जनप्रिय सरकार आया जब से इन महानुभावों ने हस्तक्षेप (इंटरफियर) करना शुरू किया तब से उसका स्टैन्डर्ड (स्तर) गिर गया, उसकी विशेषता खत्म हो गयी। अब उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर थोप देना उचित नहीं होगा। सरकार उसकी दोषी है। एक संत ने कहा है :--

बुरा जो दीखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय।

जो दिल दीखा आपना मुझसा बुरा न कोय॥

तो उपाध्यक्ष महोदय, जो इस तरह की बातें करते हैं उनको स्वयं अपने को भी तो देखना चाहिये कि जो वह कहते हैं वह उन पर कहां तक लागू होती है। हमें तो देखना चाहिये कि क्या वह कमी हम में भी है या नहीं। मैं यह समझता हूं, यह बहुत सीधी सादी बात है, देहात में भी लोग समझते हैं कि जैसा राजा वैसा प्रजा। जैसा हमारी सरकार का शासन होगा, जैसी हमारी सरकार की शासन व्यवस्था होगी उसी का प्रतिबिम्ब इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति में मिलेगा, प्रत्येक संस्था में मिलेगा और सब जगह मिलेगा इसलिये मैं तो समझता हूं कि बजाय इस यूनिवर्सिटी संशोधन के यह अधिक अच्छा होता कि जो सरकारी वातावरण है उस पर कोई संशोधन इस प्रकार का लाया जाता ताकि उसमें शुद्धि होती और इस बेचारे विश्वविद्यालय का जो गला घोंटा जा रहा है वह न घोटा जाता। उपाध्यक्ष महोदय, उन तमाम बातों के लिये मैं आपको क्या बताऊं और हमारे माननीय समर्थकों ने एक ऐसी बात कही जिसका मैं समझता हूं कि मान लेना उचित था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है, जैसा तेज प्रताप सिंह जी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी का जो बिल है उसकी जो पहली और दूसरी धारा है उसी को देख लिया जाय, पूरे बिल को न देखा जाय इससे पता लगता है कि वे दोनों परस्पर कितनी विरोधी हैं। यह

[श्री जोरावर वर्मा]

इसी प्रकार से जैसे साइन बोर्ड सा लगा हुआ है कि देशी घी की दूकान है और उसमें अन्दर देखा जाय तो रक्खा सब शुद्ध डालडा है। हमको तो सिर्फ इतना कहना था कि आपने प्रीएम्बिल में जिस बात को माना वही माने। और अगर आप समझते हैं कि हमारी मजबूरी है तो आप साहस करके प्रीएम्बिल को चेन्ज कर दीजिये। लेकिन धोका देने से तो मैं समझता हूं उस यूनिवर्सिटी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को मेरी बातों को मान लेना चाहिये।

मैं सिर्फ एक उदाहरण अन्त में जो मूथम कमेटी ने अपना निर्णय दिया है, आपकी आज्ञा से उसे सुना देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे कई सदस्यों ने यह कहा कि हम लोग न जाने कहां की बातें करते हैं मैं तो कहता हूं कि वह तो सरकार की एक अथराइज्ड शक्तिशाली कमेटी थी जिसका यही काम था और उसने जो अपना अंतिम निर्णय दिया है वह यह है:—

"Finally, it is right that we should make it clear that we have examined this matter from the point of view of the University alone. From that point of view we are of opinion that the unitary system should be retained."

कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक हमने यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण (प्वाइंट आफ व्यू) से जांच की है वहां तक हम इसी निर्णय पर आये कि यूनिवर्सिटी का यूनिटरी केरेक्टर रिटेन करना चाहिये, अब अगर कोई दूसरी कमी की बात आ गयी है और यह संशोधन ला रहे हैं यह दूसरी बात है, लेकिन जो दलीलें दी गयी हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है यह मेरी समझ में ठीक नहीं आया है और मुझे बहाना मात्र मालूम होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हमारे विरोधियों ने यह कहा कि शिक्षा की मांग बढ़ रही है तो मैं उन्हें बताऊं कि वे परिस्थिति में क्या करें? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि राधाकृष्णन के सामने डा० हृदयनाथ कुंजरू और डाक्टर अमरनाथ झा ने इस बात को कहा कि अगर शिक्षा की मांग बढ़ रही है तो इस बात का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये कि एक यूनिवर्सिटी कानपुर में खोल देनी चाहिये जो कि टीचिंग और एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो। उससे यह लाभ होगा कि जो आगरा विश्वविद्यालय पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है जिसको कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ७० डिग्री कालेज को एफिलियेशन दिये हुए हैं, जब कि २५ या ३० होने चाहिये। मेरे विचार से कानपुर के अन्दर एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये थी। जिससे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के आगे आने वाली संतान यह कहती कि माननीय मंत्री ने कुछ रचना की जो हमारे सामने आयी और जो यूनिवर्सिटी अच्छे ढंग से चल रही है, उसको विकृत कर दें, यह ठीक नहीं होगा। मुझे इस समय एक ही मिसाल याद आती है जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि मुर्गा बना देंगे उसी प्रकार यूनिवर्सिटी को मुर्गा बना कर खड़ा कर दिया है फिर यह कहना कि जो यह संशोधन है यह ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक होगा। कानपुर में बड़े-बड़े धनी मानी व्यक्ति रहते हैं अगर हमारी सरकार सर पद्मपति सिंहानियां और जो दूसरे कैपिटलिस्ट हैं उनसे कहे तो वहां यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये पर्याप्त रुपया मिल सकता है और अगर कानपुर से उन्हें प्रेम न हो तो गोरखपुर में या और भी किसी जगह जहां हमारे दूसरे विद्वानों ने राय दी है, वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है।

लेकिन उसी यूनिवर्सिटी को गड़बड़ घोटाला करके, उसका विकृत रूप करके हम उसका कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से न उसका जो रूप है उसी को हम मेंन्टेन कर सकेंगे और न जो आगे आने वाले लोग हैं, उनको वह उचित शिक्षा दे सकेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि आज कल हमारी यूनिवर्सिटी से जो स्टफ निकलता है, जो हमारे शिक्षार्थी वहां से निकलते हैं, जो ग्रेज्युएट्स निकलते हैं, वह बड़े ही

नाकाबिल और बहुत ही ख़राब निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह पूंछ सकता हूं कि आज तक जब इसका युनिटरी कैरेक्टर था तब जब यहां से इस तरह के विद्यार्थी निकलते थे तो अब उसका इस तरह से विकृत रूप कर देने के बाद तो उसमें से जो शिक्षा पाकर विद्यार्थी निकलेंगे वे क्या इनसे भी ख़राब नहीं होंगे? क्या वे इनसे अच्छे निकलेंगे? बजाय दवा देने के आप तो उसका गला ही घोंट रहे हैं और फिर भी आशा करते हैं कि वह इससे अच्छी हालत में हो जायगी।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कही गई कि यह तो और युनिवर्सिटीज़ के साथ अन्याय होगा और विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय होगा कि एक इलाहाबाद युनिवर्सिटी यूनिटरी बनी रहे और आगरा युनिवर्सिटी एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी रहे। यह अन्याय होगा आगरा युनिवर्सिटी के साथ और अन्य युनिवर्सिटीज़ के साथ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे एक माननीय सदस्य ने इस बात को महसूस किया कि विषमता है और वह विषमता दूर हो रही है हमारी युनिवर्सिटियों से। बजाय इसके कि हम सामाजिक क्षेत्र में समता लायें, आर्थिक क्षेत्र में समता लायें, राजनीतिक क्षेत्र में समता लायें, हम युनिवर्सिटियों में समता लाने की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सामाजिक क्षेत्र में जहां हरिजनों को आदमी नहीं समझा जाता, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता और उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही जानते होंगे क्योंकि आपके यहां अल्मोड़ा में भी हरिजनों की कितनी बुरी हालत है .....।

श्री रामनरेश शुक्ल—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों की समस्या इस इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिल से कहां सम्बन्ध रखती है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं इससे इसका कोई सम्बन्ध तो नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—मैं उसको कह नहीं रहा था मैंने तो एक उदाहरण दिया था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम समता ला रहे हैं। उसी पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि समता ला रहे हैं तो युनिवर्सिटियों में ही समता लाना है? क्या मैं आपके द्वारा उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया है कि समाज के हर क्षेत्र में वह समता लाने का बीड़ा उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय शुक्ल जो हरिजनों की दयनीय दशा की बात को सुनना भी गवारा नहीं कर सकते।

हां, मैं यह कह रहा था कि इस तरह की समता लाने से इस विद्यालय की भलाई नहीं होगी और जो एफिलिएटेड कालेजेज़ होंगे उनकी भी भलाई नहीं होगी क्योंकि अभी तक जो आगरा युनिवर्सिटी एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी थी तो उसके सामने यह एक बात रहती थी कि एक युनिवर्सिटी इलाहाबाद है वह आगे स्टैंडर्ड में बढ़ती जा रही है, उसके स्टूडेंट्स इतने अच्छे निकल रहे हैं, तो हम भी अपने स्टूडेंट्स को वैसा ही बनावें, हम भी उसके मुकाबले में आगे बढ़ें, हम भी उसके ही समान विद्यार्थी पैदा करें। लेकिन अब वह चीज़ भी ख़त्म हो जायेगी। अब जो स्थिति आगरा युनिवर्सिटी की है, वही इसकी भी होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इस लिये रखा था कि हमारे इस राज्य में एक युनिवर्सिटी तो एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी रहे और जो और दूसरे विश्वविद्यालय हैं वह यूनिटरी टीचिंग और रेजीडेंशियल कैरेक्टर के रहें और अगर उनकी इच्छा है कि हम कुछ एसोशिएटेड कालेजेज़ जोड़ना चाहते हैं तो आगे आने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में जोड़ देते और फिर ये तीनों तीन तरह की युनिवर्सिटीज़ हो जातीं। अगर यह निर्णय करना है कि कौन युनिवर्सिटी किस तरह की शिक्षा देती है तो सबको इस तरह से आजमा करके देख लेते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की जो बातें जैसा कि सरकारी दल के लोग कहते हैं, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले टाइम में सम्भवतः बनारस युनिवर्सिटी में भी कुछ एफिलिएटेड कालेजेज़ कर दिये गये हैं। इससे उसकी क्या दुर्दशा हो गयी

[श्री जोरावर वर्मा]

है, उसके बारे में मेनन साहब, जो वहां के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, आपकी आज्ञा से मैं उसे सुना देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के दूसरे वाल्यूम का फर्स्ट पार्ट है। उन्होंने उसमें यह गवाहीं दी है। उसमें उनसे जो क्वेश्चनेयर (प्रश्न) किया गया था उसके उत्तर में उन्होंने कहा है--यह राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट का पार्ट २ है उसका पहला खंड है, पेज २२३ पर--

"The Banaras University has been affiliating colleges of late and the results have not been happy. A mixture of the affiliating and unitary type is harmful. The purely unitary alone will be useful." यह राधाकृष्णन ने जो क्वैश्चनेयर किया था यह उसका जवाब है। एक और जे० एम० मेहता महोदय हैं उन्होंने भी काफी ज्ञान इस सम्बन्ध में प्राप्त किया है और उनका कथन है कि--

"I would like to emphasise the need for more unitary residential and teaching univrsities in this country." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि हम अपने देश का उद्धार तभी कर सकते हैं और सच्ची शिक्षा तभी दे सकते हैं जब कि हम रैज़ीडेंशियल युनिवर्सिटी की स्थापना करें। मैं मानता हूं कि उसमें सरकार का अधिक खर्चा होगा लेकिन जो चीज क़ीमती है उससे क़ीमती मसाला भी तो मिलेगा। सस्ती युनिवर्सिटी से सस्ता स्टाफ़ आवेगा और अगर उनकी भर्ती वार-टाइम के ग्रेजुयेट्स की तरह होगी तो इस देश का कल्याण कहां तक होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मौक़ा लगा तो मैं माननीय मंत्री जी के भाषण का उत्तर दूंगा और इस समय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इस समय तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, बात तो यह अवश्य थी कि विधेयक के इस अंश पर आज के पूर्व ५ दिन तक इस भवन में इतनी बहस हो चुकी थी और आज भी इस पर इतनी बहस हुई है कि मैं यह आवश्यक नहीं समझता था कि इस पर बोलूं। लेकिन शायद इसका अर्थ यह लगाया जाता कि मैंने विरोधी दल का आदर नहीं किया और इसी कारण मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिये मैं आपसे और सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे भूल जावें कि उनके सामने कोई प्रयाग विश्वविद्यालय के ऐक्ट के संशोधन का विधेयक है और तब मैं उनसे पूछूंगा कि प्रयाग विश्वविद्यालय का कौन सा स्वरूप आपके सामने है। कहा तो यह गया कि प्रयाग विश्वविद्यालय के स्वरूप को मैंने विकृत किया इस बिल में, मैंने उसे तोड़ा और मरोड़ा, एक ऊंचे स्तर से मैं उसे नीचे लाया। लेकिन मैं यह पूछता हूं और सचमुच मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों से सुन कर जो प्रयाग विश्वविद्यालय के यूनिटरी कैरेक्टर को रख कर उसके पक्ष में बोलें और मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया कि आज जो विश्वविद्यालय का स्वरूप है, जो उसके पास है, उससे विलग इस विधेयक में कोई नयी चीज नहीं रखी गयी है। तो यह कहना कि इस विधेयक के द्वारा विश्व-विद्यालय के रूप को बिगाड़ा गया, यह बिलकुल ही निराधार है। आज यदि यह विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत न होता तो जो विश्वविद्यालय का रूप, जो वस्तुस्थिति इस समय थी, वही ज्यों की त्यों बनी रहती। इस विधेयक ने केवल एक कार्य किया और वह यह है कि जो आज स्थिति है, जो आज उसका स्वरूप है, उसके निस्बत कानूनी दो रायें थीं। एक तो राय मूथम साहब ने अपनी रिपोर्ट में दी और उन्होंने यह कहा कि मेरी राय में जो डिग्री इन एसोसिएटेड कालेजेज के छात्रों को मिली है वह इल्लीगल है और नियम के अनुकूल नहीं है। इसके पहले गवर्नमेंट के लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने एक राय यह दी थी कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी का जो ऐक्ट है उसके अन्दर यह कालेजेज लिये जा सकते हैं। यह उसके पहले उन्होंने राय दी थी जिस समय यह विधेयक बनाया जाने लगा तो यह दो कानूनी राय हमारे सामने थी। एक मूथम साहब की और दूसरी वह जो उसके पूर्व ला डिपार्टमेंट ने दी थी तो दोनों रायों में यह हो सकता था कि ठीक वह राय मानी जाती जो मूथम साहब की राय थी और यह कर दिया जाता महादेव प्रसाद कलेज से, इविंग क्रिश्चियन कालेज से, नैनी इंस्टीट्यूट से जो

छात्रों को डिग्री मिली हैं वह सब नल एंड वायड हो जाती और हाई कोर्ट में मामला जाता। इस विधेयक के जरिये यह किया गया कि इसको कानूनी स्वरूप दे दिया गया, जिससे ऐसी आशंका न रहे कि आज के पश्चात् भविष्य में कोई यह कह सके कि इस एक कालेज के छात्र की डिग्री कानूनन नाजायज है, यह तो एक पक्ष हुआ। इसमें विकृत करने की कोई बात नहीं है। यह मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती हुई है विरोधी पक्ष की तरफ से यह कहना कि इसकी तोड़ मरोड़ की गई है।

दूसरी बात अब प्रश्न यह होता है कि यह किया किसने। मैं श्री नारायण दत्त जी से ही पूछता हूं कि सन् १९३० ई० में नैनी इंस्टीट्यूट को जब इस विश्वविद्यालय ने अपना अंग माना तो गवर्नमेंट ने कुछ किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप बिलकुल ग़लत कहते हैं उस समय गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था और इलाहाबाद युनिवर्सिटी ने स्वतः अपने से १९३० में नैनी इंस्टीट्यट को अपना अंग बनाना स्वीकार किया था। पहले पहल इस सम्बन्ध में जब गवर्नमेंट आई तो उसका पत्र जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी को भेजा गया वह मैं आपके सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि व्यवस्थापिका सभा में विरोध तो होना चाहिये लेकिन चीजों को तोड़ मरोड़ कर नहीं रखना चाहिये, क्योंकि यहां कोई वकील नहीं है, बल्कि यहां हम अपने देश के लिये कानून बना रहे हैं। इसलिये इसमें ऐसी चीज दी जाय जिस पर विचार हो सके। यहां विरोधी पक्ष का यह काम नहीं होना चाहिये जैसे कि एक वकील अपने पक्ष की ही बात रखता है वैसे ही यहां भी रखा जाय।

श्री राजनारायण—यह तो किसी पक्ष का काम नहीं होना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी।

"In continuation of my telegram dated July 19, 1951 regarding the proposal for the affiliation of the Eving Christian and Kayasth Pathshala Colleges, Allahabad, with the Agra University, I am directed to say that as the proposal also involves amendment to section 4(5) and 24(1) of the Agra University Act, His Excellency the Chancellor is unable to grant the proposed affiliation only under the provisions of Section 49 of the Allahabad University Act. In this connection I am also to point out that having once granted permission to the two colleges referred to above to open B.Sc. classes the recommendation of the Allahabad University that B.A. classes of these colleges be affiliated to the Agra Universty appears neither logical nor practicable and it might mean uninvited diarchy and confusion in these institutions."

सन् १९४७ में यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौंसिल ने एक छोटी सी कमेटी बनायी और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि इलाहाबाद के इन कालेजों में अगर यह शर्तें पूरी हो जायं तो इनको इलाहाबाद युनिवर्सिटी का एक अंग मान लिया जाय। एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने उसको मंजूर किया तो सन् ४७ में इस तरह से बात शुरू हुई। सन् ४७ के बाद सन् ४९ में वहां की एकेडेमिक कौंसिल या किसी ने इसका विरोध किया। उसके बाद बी० एस-सी० कालेजेज खोलने का उनको हुक्म दे दिया और वह खुल गया। जब बी० ए० का प्रश्न आया तो उन कालेजों ने कहा कि बी० एस-सी० पढ़ाने में खर्चा बहुत होता है इसलिये हमको बी० ए० पढ़ाने की इजाजत दी जाय। नैनी इंस्टीट्यूट को सन् ३० में अधिकार दे दिया गया था, उसके बारे में कभी सरकार से कोई लिखा पढ़ी युनिवर्सिटी की नहीं हुई थी। तब गवर्नमेंट ने यह कहा कि अब अगर आप यह कहते हैं कि आगरा युनिवर्सिटी से बी० ए० को एफिलिएट करायें और बी० एस-सी० को इलाहाबाद युनिवर्सिटी से करायें तो यह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

चीज सरकार ठीक नहीं समझती । तो यह तो स्थिति थी और आक्षेप सरकार के ऊपर किया जाता है कि सरकार ने यह सब कराया । नैनी इंस्टीट्यूट के बारे में कभी स्वप्न में भी सरकार से नहीं पूछा गया और इन दो कालेजों के बारे में शायद वहां के एकेडेमिक कौंसिल ने एक कमेटी बनायी और उसने एक सिफ़ारिश की, उसको एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने माना और उसके बाद इन कालेजेज को एफ़िलिएशन दिया गया। बी० ए० का प्रश्न क्यों? तब उन्होंने कहा कि आगरे में भेजा जाय। उसके बाद सरकार ने यह किया और ऐसा बवंडर यहां पैदा किया जा रहा है कि वह मेरी समझ में नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को यदि इस तरह से देखा जाता तो यह आक्षेप नहीं होता। हां, अब मूथम साहब की यह कमेटी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि कोई विश्वविद्यालय हो और उस विश्वविद्यालय का करैक्टर युनिटरी हो तो वहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। निस्संदेह इसमें कोई दो राय की बात नहीं हो सकती है, लोग इस बात को मानेंगे। लेकिन बात क्या हुई? मूथम साहब के सामने जब यह सवाल पैदा हुआ तो उन्होंने यह कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि यदि युनिटरी कैरेक्टर की युनिवर्सिटी हो तो उसमें पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन अब हो क्या? तो उन्होंने कहा कि इसके भी तरीक़े हो सकते हैं। एक तो यह है कि अब उन कालिजों को यहाँ से हटा दिया जाय, इनको आगरे से एफ़िलिएट किया जाय, या दूसरी बात यह हो सकती है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी को डिग्री विभाजित कर दी जाय दो अंशों में, एक आंतरिक और एक वाह्य या एक्सटर्नल तो इन्होंने दो बातें यह कहीं। यदि इन कालिजों को आगरा युनिवर्सिटी को भेज दिया जाता है तो उसमें तो एक्सटर्नल इंटरनल का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब यह कहा जाता है कि आप एक्सटर्नल डिग्री दीजिये तो वह डिग्री तो हुई इलाहाबाद युनिवर्सिटी की, वह कालिजेज असोसिएट होंगे इलाहाबाद युनिवर्सिटी से ये दो रास्ते उन्होंने बताये हैं। अब यह विधेयक बनाते समय हो सकता था कि हम यह सोचते कि अच्छा, इन कालिजेज को आगरा को दे दो और युनिवर्सिटी के यूनिटरी केरेक्टर को रखो, क्योंकि रेज़ीडेंशियल तो न वह है और न हो सकती है, लेकिन युनिटरी कैरेक्टर रहे, जहां तक टीचिंग का सम्बन्ध है उसको रखना चाहिये, यह एक बात हो सकती है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता? उसका परिणाम यह होता कि इलाहाबाद शहर में दो युनिवर्सिटीज होतीं। एक आगरा यूनिवर्सिटी, एक इलाहाबाद युनिवर्सिटी और यदि आगरा युनिवर्सिटी का स्तर नीचा माना जाय तो यह कि एक कालिज में वहीं नीचे की शिक्षा होती--डिग्री हम वही देते और एक कालिज में या यूनिवर्सिटी में ऊंचे स्तर की शिक्षा होती इतना ही होता। अब किसी विश्वविद्यालय का स्तर बनता कैसे है, यह भी सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के नाम से स्तर निर्धारित नहीं होता। किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर क्या है, यह निर्धारित होता है सज्जा पर, सामग्री पर, पढ़ाने वालों पर और विद्यार्थियों पर इन्हीं चार पर यह निर्धारित होगा। जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, उसमें तो कोई अन्तर है नहीं। जो इंटरमिजियेट एग्जामिनेशन पास करके जायगा, चाहे वह कायस्थ पाठशाला में भर्ती हो, चाहे युनिवर्सिटी में भर्ती हो, उसमें कोई अन्तर नहीं है, न उसमें डिवीज़न का फर्क है, न कानूनन हो सकता है और आजतक यह नहीं कहा जा सकता कि विश्वविद्यालय में थर्ड डिवीज़न नहीं लिये जाते। आज भी लिये जाते हैं और लिये जायेंगे, कोई अन्तर नहीं हो सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--आगरा युनिवर्सिटी में ऐसा प्राविज़न है?

श्री हरगोविन्द सिंह--ज़रा सुनिये, इलाहाबाद युनिवर्सिटी की बात कर लीजिये, आगरे की फिर कर ली जायगी।

तो जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, विद्यार्थी वही जाते हैं जो इंटरमीजिएट बोर्ड की परीक्षा पास कर के जाते हैं, इसमें तो कोई अन्तर हुआ नहीं। जहां तक पढ़ाने वालों का

सम्बन्ध है वहां इस विधेयक में इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि उसी स्तर के पढ़ाने वाले अब इन असोसिएटेड कालेजेज में रखे जायंगे जो युनिवर्सिटी के स्तर के होंगे। तो जहां तक पढ़ाने वालों का सम्बन्ध है उसमें भी कोई अन्तर नहीं। जो सेलेक्शन कमेटी असोसिएटेड कालेजेज के लिये अध्यापक नियुक्त करेगी वही सेलेक्शन कमेटी विश्व-विद्यालय के लिये अध्यापक नियुक्त करेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वेतन भी वही होगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—वेतन का सवाल तो नहीं है, तो सेलेक्शन कमेटी तो वही है, तो दो चीजें हो गयीं। जहां तक सामग्री का सवाल है उसमें आप यह तो समझ सकते हैं कि उन कालेजों को रिसर्च की पर्मीशन नहीं है। एम० ए० की शिक्षा भी नहीं दे सकते यह एसोसियेटेड कालेज। खाली डिग्री क्लासेज पढ़ा सकते हैं। डिग्री क्लासेज के लिये युनिवर्सिटी ने स्वीकृति दिया कि वह साइंस भी हो सकता है और आर्ट्स भी हो सकता है। आर्ट्स में तो सामग्री अध्यापकों की ही समझता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लाइब्रेरी?

श्री हरगोविन्द सिंह—लाइब्रेरी में तो वहां अब भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी तो ऐसी चीज नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बन्द नहीं है किसी के लिये। आर्ट्स कालेज में दो स्तर होंगे यह तो इस प्रकार से असम्भव कर दिया गया कि पढ़ाने वाले दोनों के एक ही प्रकार के चुने जायंगे तो आर्ट्स तो ऐसे निकल गया। अब साइंस की बात रह गई यह दोनों कालेजेज जो थे यह इलाहाबाद युनिवर्सिटी के बनने से पहले दोनों डिग्री कालेज थे। जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय के रूप में १९२१ में नहीं आया था तो यह दोनों डिग्री कालेजेज थे। तो डिग्री क्लासेज पढ़ाने के लिये युनिवर्सिटी ने कायस्थ पाठशाला और इविंग क्रिश्चियन कालेज को साइंस पढ़ाने की अनुमति दे दी। तो यह मानना पड़ेगा कि जब यूनिवर्सिटी ने यह समझा कि इन कालेजों के पास साइंस पढ़ाने की जितनी सामग्री चाहिए वह उनके पास है तभी तो उनको अनुमति दे दी। तो मैं पूछता हूं कि किस प्रकार से इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मुझे यह कहा गया कि मैं तो उसका बध सा कर रहा हूं। इस पर इतना कहा जा चुका है कि अगर इलाहाबाद युनिवर्सिटी एक युनिटरी कैरेक्टर मेंटेन किये होती और आज हम इस विधेयक द्वारा यह कहते कि नहीं उन कालेजों को मिलाना पड़ेगा तब तो यह आक्षेप मुझे स्वीकार होता और उसके बारे में जो मेरे पास दलील होती वह मैं देता। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है, वास्तव में बात यह है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी जिस तरीके की आज है उसको मैंने यह कहा इस विधेयक में कि इस तरह का है, उसके लिये संज्ञा मुझे बधिक की दी गयी। तो मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ एक अन्याय की बात हुई। पांच रोज इतनी बहस हो चुकी, आज भी इतनी बहस हुई तो मैं समझता हूं कि उसका कोई सम्बन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्वरूप को विकृत करने से नहीं है। जो उसका स्वरूप था वही उसको दे दिया गया। हां, यह जरूर किया गया कि अभी तक ऐक्ट में जरूर यूनिटरी कैरेक्टर था असोसिएटेड कालेज के लिये कोई स्थान नहीं था, साइनबोर्ड यह जरूर लगा था लेकिन इस विधेयक में जो असोसिएटेड कालेजों को स्थान मिल गया तब यह सब लोग जानेंगे कि यह तीन कालेज इस तरह से मिले हुये हैं। भविष्य के लिये क्या होगा? यह भी एक प्रश्न है। कानूनी दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह बड़ी ग़लत चीज होगी कि यह आज कह दिया जाय कि तीन कालेज जो हैं यह तो इसमें रहें आइन्दा के लिये नहीं होंगे। हम यह आशा करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आशा न होती तो शायद मैं यही कहता कि इन तीनों कालेजेज को आगरा से मिला दिया जाय, लेकिन मुझे आशा है हम उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे। दोनों के विद्यार्थी एक ही परीक्षा में बैठेंगे, एक ही पर्चा खुलेगा। अगर यह होता कि एसोसियेटेड

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कालेजेज में लड़के होंगे ८ हजार और युनिवर्सिटी में २०० या ३०० तब तो हम यह मान सकते थे कि युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड निर्धारित होगा इन कालेजेज के स्टैंडर्ड से लेकिन जब युनिवर्सिटी में लड़के हैं ८ हजार और इन कालेजेज में लड़के हैं २००, तो मैं यह नहीं मान सकता कि यह कालेजेज यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को नीचा कर देंगे, बल्कि प्रयत्न होगा कि ये ऊंचा उठ कर युनिवर्सिटी स्टैंडर्ड तक स्वतः पहुंचें। इसीलिये इनको यूनिवर्सिटी में रक्खा गया। लखनऊ के बारे में तो मैं आपको बतलाऊं कि सरकार से किसी ने पूछा भी नहीं कि हम इन कालेजेज को अपने यहां रिकगनीशन दें या न दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--गुप्ता जी तो वहां थे।

श्री हरगोविन्द सिंह---जी, आचार्य नरेन्द्रदेव थे तब की बात बतला रहा हूं। गुप्ता जी की बात छोड़ दीजिये।

श्री राजनारायण--गुप्ता जी पहले थे।

श्री हरगोविन्द सिंह--लेकिन नरेन्द्रदेव जी वाइस-चांसलर थे। खैर, इन व्यक्तियों को यहां ले आना हमारी आपकी सभ्यता के नीचे की बात है। मैं यह कह रहा था कि सरकार पर जो आक्षेप लगाया जाता है कि सरकार ने इन युनिवर्सिटीज को मजबूर किया एसोसिएटेड कालेजेज बनाने के लिये उसका जवाब मैं यह दे रहा हूं कि इलाहाबाद की बाद में बतलाऊंगा। लखनऊ में तो कभी किसी ने पूछा तक नहीं, बल्कि मैंने ही एक दफा लिखा कि आप कालेजेज को रिकगनीशन दे रहे हैं यह किस रूल या कायदे में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अच्छा किया।

श्री हरगोविन्द सिंह--अच्छा किया या बुरा किया यह निर्णय आपसे नहीं चाहता। यह तो वास्तविकता थी जिसको मैं बतला रहा हूं। यह जो विधेयक में रक्खा गया है कि भविष्य में अगर कोई कालेज एसोसियेटेड कालेज बनना चाहे तो वह स्टेट्यूट्स के द्वारा बन सकेगा। यूनिवर्सिटी की कोर्ट स्टेट्यूट्स बनाती है, वह जब स्वीकार करेगी तब वह स्टेट्यूट सरकार के पास आयेगा और सरकार जब उसे मंजूर करेगी तब जाकर किसी कालेज को एसोसिएटेड कालेज का स्तर मिल सकता है। यह बड़ा ही अनुचित होता कि यह रक्खा जाता कि आज तक तो जो चीज है वह मान ली जाय और जो बाद में आये उसे न मानें। कानून में उसकी गुंजायश तो जरूर रखिये चाहे भविष्य में मानिये या न मानिये। इलाहाबाद युनिवर्सिटी की कोर्ट, किसी कालेज को एसोसिएटेड कालेज नहीं बनाना चाहती है तो उसको कोई बना नहीं सकेगा और यह कहा गया कि वह एफिलिएशन को इन्कार नहीं कर सकती यह बिलकुल गलत है। कोर्ट के ऊपर इस विधेयक में छोड़ा गया है कि कोर्ट चाहे तो एसोसियेट कालेज किसी को बना सकता है लेकिन कोर्ट, सरकार और चांसलर सब चाहें तभी हो सकता है, वर्ना बीच में नहीं बन सकता और यही नहीं जो अब तक नहीं था यह भी अख्तियार दिया गया है युनिवर्सिटी को कि अगर वह चाहे तो रिकगनीशन वापस ले ले। तो आज तक युनिवर्सिटी ने जो उनको मान्यता दे रखी है उसका कोई आधार उनके यहां अभी तक कानून में नहीं है कि एक दफ़ा मान्यता दे देने के बाद वह उनसे उस मान्यता को वापस ले सके। तो यह भी सोचा गया कि इसके कारण सम्भव है कि यह कालेजेज अपना स्तर नीचा करें। तो अब यूनिवर्सिटी को यह भी अख्तियार दिया गया कि उनकी मान्यता को वह वापस ले सके।

दूसरा संरक्षण जो रखा गया है वह यह है कि इन कालेजेज को कोई प्रतिनिधित्व वहां युनिवर्सिटी बाडी में नहीं दिया गया है। वह वहां जाकर अपने जरिये या पार्टीबन्दी के जरिये से या जो भी कारण हो सकता था कुछ कर सकती है तो इसलिये उनको यह भी प्रति-

निधित्व नहीं दिया गया है कि वह वहां रहें । सिर्फ सेलेक्शन कमेटी में यह कहा गया है कि उनका एक प्रतिनिधि रहेगा ; तो इतने प्रतिबन्ध के साथ जो वहां की वास्तविकता थी और जो वहां का वास्तविक स्वरूप है उसको विधेयक में कानूनी जामा पहना दिया गया जिससे भविष्य में यह न हो कि कोई हाई कोर्ट में या कोई मुकदमा लड़ कर अदालत में यह फैसला करा सके कि यह डिगरी बिलकुल इल्लीगल है। फिर भी यह आक्षेप लगाना कि यह स्वरूप बदल दिया गया मैं समझता हूं बिलकुल तथ्य से परे की बात है। बड़ी-बड़ी मोटी किताबें हमने भी पढ़ी हैं, उसको सभी लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको हम या और कोई नहीं जानता कि यूनिटरी करेक्टर की युनिवर्सिटी अच्छी होती हैं और उसकी शिक्षा ऊंची होती है।

दूसरी बात आप सोचिये कि आपके प्रान्त में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें वास्तव में अलीगढ़ को तो मैं नहीं जानता कि उनके पास भी कोई कालेज है या नहीं है, लेकिन और कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो सचमुच यूनिटरी हो। लखनऊ के पास कालेज हैं, इलाहाबाद के पास कालेज हैं, बनारस के पास कालेज हैं और आगरा तो आखिर कालेजेज का एक समुच्चय है ही। तो हमारे इन विश्वविद्यालयों में जितने लड़के पढ़ेंगे वह तो नीचे स्तर के होंगे जैसा कि कहा गया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊंचे स्तर के होंगे। मूथम साहब ने कहा है कि लड़कों की संख्या निर्धारित हो जानी चाहिये और वह ५ हजार से ज्यादा न हो। आप यह बतायें कि एक लाख के करीब ग्रेजुएट हमारे इन विश्वविद्यालयों से निकलेंगे और ५ हजार वहां सब होने चाहिये तो ५ हजार बी० ए०, एम० ए० चाहे वह २०० हों, ३०० हों या १ हजार हों या २ हजार हों या मान लीजिये कि ४ हजार हों वह ग्रेजुएट निकलेंगे वहां प्रयाग विश्वविद्यालय से और वह विश्वविद्यालय यूनीटरी रहा तो वहां से जो यह ३ हजार या ४ हजार लड़के निकले क्या इनकी हम पूजा करेंगे ? इसलिये कि उनका स्तर बड़ा ऊंचा है और एक लाख ग्रेजुएट जो आगरा युनिवर्सिटी, बनारस, अलीगढ़ और लखनऊ से पास करके निकले उनका स्तर नीचा होगा। यह बात नहीं होनी चाहिये। कोशिश इस बात की करनी चाहिये कि हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं उनका स्तर एक हो और वह ऊंचा भी हो। इनकी शिक्षा का स्तर सम हो और वह ऊंचा भी हो। इस बात को कोशिश करनी चाहिये न कि एक को ऊंचा कर दिया और वहां का ऊंचा हो। यह हमको नहीं देखना चाहिए हमको तो सभी विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट को बराबर से देखना चाहिये और कोई खास बात नहीं देखनी चाहिये, कोई खास बात तो देखी नहीं लेकिन अगर फिर भी यह मान लिया जाय कि यह सत्य है, इसको अगर ठीक भी मान लिया जाय तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि दूसरे एक लाख ग्रेजुएट्स कूड़ाखाने वाले या घास छीलने वाले हैं और तीन चार हजार जो यहां से निकले हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उनको आप क्या समझते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने उनमें कोई फर्क नहीं समझा वह अपने को कुछ समझते हों तो दूसरी बात है। हां, विकृत बुद्धि तो मैंने यह देखी कि वहां के जितने भी ग्रेजुएट यहां पर हैं वह खास कर इलाहाबाद के रहने वाले हैं उनकी बुद्धि में यह आता है कि कुछ करना ही नहीं चाहिये, क्योंकि वहां का स्तर ऊंचा है। जितने इलाहाबाद के रहने वाले ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने यह कहा और बड़े गौरव से कहा कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिलकुल शुद्ध है और मूथम कमेटी बिलकुल ग़लत है। इसके अलावा यह भी कहा गया और इस पर मुझे उनकी बुद्धि पर ताज्जुब है कि उन्होंने कहा कि यहां पार्टी गवर्नमेंट है अगर वहां पार्टीबाजी है तो क्या बुराई है और यह कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी कोर्ट में पोलिटिकल पार्टी होनी चाहिये, यह वहां की बुद्धि का नतीजा है जो देखने में आया। मैं ईश्वर की कृपा से प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी तो नहीं था, मैं ऐसे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था जहां उस समय महामना मालवीय जी के लोग पैरों पड़ते थे कि आप यहां के वाइस-चांसलर बने रहिये और वे कहते थे कि मैं नहीं बनूंगा और उस जमाने में लोग वाइस-चांसलरी के लिये दरवाजे-दरवाजे नहीं दौड़ते थे। इसके अलावा भी और जो कुछ बातें हैं वे सब इन पन्नों में

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लिखी हुई हैं। इलाहाबाद युनिवर्सिटी का पूरा नंगा चित्र इसमें दिया हुआ है। मैं क्या कहूं, मैं माननीय मदनमोहन जी का आभारी हूं कि वे यह कहने में तनिक भी न हिचके कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में कोई ख़राबी है। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हवाला दिया गया लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई कालेज नहीं है। जहां केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहां देखिये तो आप को मालूम होगा कि वहां कुछ भी नहीं है। मालूम होगा कि वह फैडरेटिव युनिवर्सिटी है क्या होती है यह भी बताया गया। जब विश्लेषण की आदत पड़ गयी है, जब कानूनी चक्की चलाने की आदत पड़ गयी है तो फिर कुछ न कुछ कहे ही बनता है। उसमें देखिये तो कालेजेज़ को मिला कर युनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में कालेजेज़ होंगे तो कहा जाता है कि हम उसको विकृत कर रहे हैं। अगर फैडरेटिव युनिवर्सिटी बने तब तो ठीक लेकिन अगर उसको युनिवर्सिटी की संज्ञा दे दी जाय तो हम उसको ख़राब कर रहे हैं। यद्यपि इन सब बातों का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल दे दिया था और कोई खास बात कहनी बाक़ी नहीं रह गयी थी लेकिन चूंकि इसमें ऐसी तोड़ मरोड़ की गयी, चीजों को इतना छिपाया गया है कि मैंने आवश्यक समझा कि इसका जवाब दे दूं और इसलिये मैं ज़रूर इस संशोधन का विरोधी हूं और मैं चाहता हूं कि इस वक्त इलाहाबाद युनिवर्सिटी जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी की यह कथा ख़तम हो गयी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि मैंने मूथम कमेटी की रिपोर्ट सारी पढ़ दी लेकिन जो इस विश्वविद्यालय में खराबियां हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने नहीं कहा था, माननीय मदन मोहन जी ने ऐसा कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने उसको दोहराया तो क्या आपकी राय नहीं है, अगर आप की राय नहीं है तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:—

"२—इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा (२) में:

(१) खंड (*a*) के स्थान पर खंड (*b*) को रख दिया जाय और उसको खंड (*a*) माना जाय और खंड (*a*) को खंड (*b*) मान कर निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"(*b*) 'College' means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which tutorial and other supplementary instruction is provided under conditions prescribed by the statutes."

(२) निम्नलिखित को खंड (*d*) के रूप में रख दिया जाय :

"(*d*) 'Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of the students of the University not residing in or attached to a college or a hostel."

(३) निम्नलिखित को खंड (*e*) के रूप में रख दिया जाय:

"(*e*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted."

(४) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(i) 'Teacher of the University' means a person appointed by the Univesity to give instruction for degrees or to guide or conduct research in the University."

(५) खंड (l) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (*a*) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "in which" व "supplementary" के बीच में शब्द "tutorial and" बढ़ा दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है।

श्री हरगोविन्द सिंह---मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (*a*) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "in which" व "supplementary" के बीच में शब्द "tutorial and" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन को मान लिया है और मेरे संशोधन का भी यही मतलब है कि माननीय मंत्री जी ने 'ट्यूटोरियल' शब्द को छोड़ दिया था। अगर अपनी इस धारा को हटा दें तो पुरानी धारा रहती है जिसमें ट्यूटोरियल और सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शन प्राविजन है। इसलिये चूंकि माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन को उन्होंने मान लिया है इसलिये इसे पेश करना नहीं चाहता हूं ताकि इस सदन का समय व्यर्थ में ख़राब न हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :---

खंड २ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (*aa*) की पंक्ति २ में शब्द "the University" और शब्द "and authorised" के बीच में शब्द "before the commencement of this Act." रख दिये जायं।

श्रीमन्, इस अमेंडमेंट के बाद यह (*aa*) सब-क्लाज इस तरह पढ़ा जायगा :---

"Associated College'means an institution recosnised by the university before the commencement of this Act and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(इस समय ४ बज कर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री नवलकिशोर]

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैंने रखा है इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। हमें कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि असोसिएटेड कालेजेज का प्राविजन कोई नई चीज नहीं है और उसी बात को आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी दोहराया था और बताया था कि जो अभी तक युनिवर्सिटी का स्वरूप है उसी को इस बिल में रखा है और इसलिये भी यह करना आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अब तक कालेजेज जो एफिलियेटेड हैं उनको एफिलिएट करने का अधिकार युनिवर्सिटी को था या नहीं? मूथम कमेटी की तो राय है कि कानूनन ऐसा नहीं हो सकता, अतः इस अड़चन को भी पूरा किया गया है। इस वस्तुस्थिति को मैं मानता हूं लेकिन जैसा कि मैंने रखा है अगर यह रोकटोक नहीं लगायी गयी तो हो सकता है कि दस पांच साल के बाद ऐसे कालेजेज की इतनी तादाद हो सकती है कि जिससे इलाहाबाद युनिवर्सिटी एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी बन जाय जिस समय आगरा युनिवर्सिटी एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी बनी थी उस समय उसके साथ जितने कालेजेज थे अब उनकी तादाद ५ गुनी हो गयी है। इसलिये यदि यहां भी इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी तो वही करेक्टर यहां भी पैदा हो सकता है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह उचित न होगा कानून की दृष्टि से कि तीन कालेजेज को तो हम एसोसिएटेड मान लें और भविष्य में बनने वाले कालेजेज को इस प्रीविलेज से वंचित रखें और इस प्रकार की पाबन्दी लगा दें। श्रीमन्, उचित तो यही होता कि हम इन तीन कालेजेज को पूर्णरूपेण इलाहाबाद युनिवर्सिटी का अंग तथा भाग मान लेते परन्तु चूंकि ऐसा करने में कुछ फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स (Implications) हैं और कालेजेज के मैनेजमेंट का भी सवाल है, इसलिये मैंने इस पर जोर न दे कर इन तीन कालेजेज के लिये एसोसिएटेड कालेजेज मान लिया। चूंकि यह एक मजबूरी थी और वास्तविक स्थिति भी थी इसलिये उनको इलाहाबाद युनिवर्सिटी से ही एफिलिएट रखा जाय बजाय इस के कि दूर की आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएट किया जाय। इस चीज को मानते हुये मेरी राय यह है कि भविष्य में यह अन्देशा न रहे कि बहुत से कालेजेज इसके साथ एन्टेग्रेट होते चले जांय और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हो जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री तेजप्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवल किशोर जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। यद्यपि मेरी और बहुत से साथियों की इच्छा थी कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के युनिटरी केरेक्टर को मेन्टेन किया जाता लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद और माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद जैसा कि सम्भवतः उन्होंने कहा, यह आवश्यक हो जाता है कि हम आगे के लिये कुछ न कुछ प्रतिबन्ध करें कि कोई और दूसरे कालेजेज एफिलिएशन न मांग सकें और यह उचित है और उनके आश्वासन के अनुकूल है क्योंकि और भी जो कुर्बाजवार के कालेजेज होंगे वह भी एफिलिएशन जरूर मांगेंगे और उनको रोका न जा सकेगा। माननीय मंत्री जी ने भी अपने लम्बे भाषण में यह प्रकट किया था कि वास्तव में हम उनको रोक नहीं सकेंगे और यह भी कहा था कि रोकना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि कानून में कोई बन्दिश नहीं रख सकते हैं कि दूसरे कालेजेज को रोक सकें। यदि मौजूदा परिस्थिति में जो कालेजेज हैं केवल उन्हीं की स्टेट्स को रखें तब भी हम वहां के मौजूदा करेक्टर को मेन्टेन रख सकते हैं, और जो स्तर इलाहाबाद युनिवर्सिटी का है उसको कायम रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि सदन को इस संशोधन को मान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, नवलकिशोर जी ने जो अमेंडमेंट उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि सरकार ने जो कुछ किया है यह अमेंडिंग बिल

वह लायी है। सरकार ने पूर्णरूपेण विचार करके पुराने ऐक्ट में चेंज लाने के लिये जो ख़राबियां हैं उनको दूर करने के लिये यह सब किया है। यह इसलिये सरकार कर रही है कि उन ग़रीबों को जिनको अब तक युनिवर्सिटी का मुंह देखने का अवसर नहीं मिलता था अवसर इन असोसिएटेड कालेजेज के ज़रिये से दिया जाय। सरकार कोई इसमें बुराई नहीं कर रही है बल्कि एक सुधार कर रही है। हमारे सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों ने नैनीताल में बैठ कर और शिक्षा क्षेत्र के बड़े-बड़े विद्वानों से मिल करके सरकार ने यह बिल बनाया है। मैं माननीय नवलकिशोर जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो संशोधन उनका है उसको वह वापस ले लें क्योंकि सरकार ने जो क़दम आज यह पहला इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये उठाया है वह बड़ा उचित है और इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय नवल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये श्रीमन् विवश हूं। जब अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस बात को ही उचित समझा.....

श्री अध्यक्ष--उन्होंने तो आपके संशोधन को स्वीकार कर लिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उसका सवाल तो अब खत्म हो गया है। यह तो जोरावर वर्मा जी के संशोधन का सवाल है। वह तो जो असोसिएटेड कालेजेज की बात है उसके बारे में तो हमारा विरोध है सिद्धान्ततः लेकिन अब जैसा चित्र है उसमें ही जरा अपनी तूलिका से सुन्दर बनाना चाहता हूं। वह चित्र अब हमारा तो नहीं रहा लेकिन माननीय मंत्री जी का जो चित्र है, उसके चेहरे पर जो दाग लगे हुये हैं उनको इस प्रकार से दूर किया जाय तो इसमें कुछ कृति हमारी भी हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से मैंने जैसा बताया मुझे विवश हो कर माननीय नवल किशोर जी के संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है। श्रीमन्, आप देखें कि इस समय जो असोसिएटेड कालेजेज रिकग्नाइज्ड हैं वह जहां तक मुझे मालूम है केवल साइंस क्लासेज के लिये हैं। जिस प्रकार से यह विधेयक बनाया गया है इसमें उनको आर्ट्स क्लासेज खोलने की भी इजाजत बाद को मिल सकती है। अगर्चे पोस्ट-ग्रेजुयेट क्लासेज की इजाजत नहीं भी है तब भी अण्डरग्रेजुएट क्लासेज में आर्ट्स क्लासेज खोलने की इजाजत मिल सकती है। इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है। इस समय तो साइंस क्लासेज महादेव प्रसाद डिग्री कालेज और इविंग क्रिश्चियन कालेज में हैं लेकिन कल को ऐसी स्थिति आ सकती है कि यही कालेजेज आर्ट्स क्लासेज खोलने के लिये प्रार्थना करें और श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना मिली है इविंग क्रिश्चियन कालेज ने तो इस बात की सूचना दे दी है कि अगर आर्ट्स क्लासेज खोलने की इजाजत नहीं मिली तो हमें साइंस क्लासेज भी बन्द कर देना पड़ेगा और यह प्रश्न आज युनिवर्सिटी अथारिटीज के सामने आया है। तो हमें देखना है कि अगर हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो उससे क्या होगा कि अन्ततः साइंस क्लासेज तो खुले ही, आर्ट्स क्लासेज भी खुलेंगे। इविंग क्रिश्चियन कालेज और महादेव प्रसाद डिग्री कालेज दोनों में तो इस समय है ही, इसके बाद गवर्नमेंट इंटर कालेज है, ऐंग्लो बंगाली कालेज है, अग्रवाल विद्यालय इंटर कालेज है, केसरवानी पाठशाला है और एक कोई सी० ए० बी० इंटर कालेज है यानी जितने कालेज हैं अब उन सब को इसकी इजाजत हो सकती है कि वह स्टैट्यूट्स के जरिये यूनिवर्सिटी को ऐप्रोच करें कि उनका भी नाम उसमें रखा जाय और यह भी हो सकता है कि सरकार को भी अन्ततः मजबूर होना पड़ेगा और चांसलर महोदय के लिये भी स्वाभाविक होगा कि उससे इन्कार न करें। तो इसलिये जो माननीय नवलकिशोर जी ने 'सो फार ऐंड नो फरदर' यानी जितना कर चुके हैं उतना ही हो उसके आधार पर जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं विवश हूं।

इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है और एक बात की ओर श्रीमन्, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अध्यापक होंगे, यह सही है कि इस विधेयक के अनुसार सेलेक्शन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कमेटी दोनों के अध्यापकों को नियुक्त करेगी, चाहे ऐसोसियेटेड कालेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों। लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क है जिसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मिसाल के लिये अगर मान लीजिये डा० ईश्वरी प्रसाद, पोलिटिक्स के हेड हैं, क्या अब यह सम्भव हो सकेगा कि डा० ईश्वरी प्रसाद ऐसोसियेटेड कालेज के किसी बी०ए० के छात्र को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसियेटेड कालेज की क्लासेज नहीं ले सकते हैं ठीक उसी प्रकार ऐसोसियेटेड कालेज के टीचर यूनिवर्सिटी की क्लासेज नहीं ले सकते हैं। इसलिये अवश्यम्भावी है कि जो पुराने अनुभवी अध्यापक यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ायेंगे उनकी सेवा किसी भी प्रकार ऐसोसियेटेड कालेज को नहीं मिल सकती है। इसलिये दोनों के स्टैन्डर्ड में लाजिमी फर्क होगा। चाहे एक ही सेलेक्शन कमेटी नियुक्त करे, चाहे पर्चे एक ही हों, स्टैन्डर्ड जरूर भिन्न होगा। इस प्वाइंट आफ व्यू से हम यह चाहते हैं कि ऐसोसियेटेड कालेज की संख्या न बढ़े।

तीसरी बात यह है कि जहां तक कानूनी दृष्टिकोण का सवाल है पुरानी डिग्रीज का क्या होगा। वह गैरकानूनी होंगी। अगर माननीय मंत्री जी इस विधेयक के जरिये ऐसोसियेटेड कालेज की ऐसी परिभाषा रखते हैं जिसका रेट्रासपेक्टिव एफेक्ट होता है। अगर ऐसोसियेटेड कालेज की परिभाषा सन् १९३० से मानी जाती जब से नैनी इंस्टीट्यूट बना तब तो कोई अर्थ होता। माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी मुझे बतायें सन् १९३० से १९५४ तक, इस विधेयक के पास होने तक जो डिग्रियां डी०सी०सी० चौधरी महादेव प्रसाद कालेज या नैनी इंस्टीट्यूट ने दी है क्या वह इल्लीगल रहेंगी या नहीं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया होता तो यह कानूनी खामी दूर हो सकती थी। लेकिन इस बात का दावा करना कि हम एक कानूनी स्वरूप उसको दे रहे हैं और जो गैरकानूनी स्वरूप अब तक था उसको ठीक न करना, मैं समझता हूं बड़ा विरोधाभास है, इसको ठीक करना है।

चौथी बात, यह प्रीएम्बिल जो होता है वह विधेयक के विशाल स्वरूप का मूर्तिमान एक साक्ष्य होता है। जिस प्रकार की छोटे से वैल्यूम को फूंककर बड़ा वैलूम बना लेते हैं उसी प्रकार प्रीएम्बिल सारे विधेयक की विशालता का स्वरूप होता है। तो जहां तक हो सके विधेयक को इस प्रकार ढालना चाहिये कि वह प्रीएम्बिल का .....।

श्री हरगोविन्द सिंह---मुझे एक आपत्ति है। माननीय सदस्य संबंधित विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो इसका अर्थ यह है कि जितने एसोसियेटेड कालेजेज कम होंगे, जैसा नवल किशोर जी का कहना है, उतने ही हम प्रीएम्बिल के नजदीक पहुंचेंगे क्योंकि प्रीएम्बिल में यूनिटरी यूनिवर्सिटी है। तो हम विधेयक को इस प्रकार ढालें कि कम से कम एसोसियेटेड कालेज हों ताकि यूनिटरी कैरेक्टर रह सके। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन को स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को, जो उन्होंने कहा, उसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष---(श्री हरगोविंद सिंह के खड़े होने पर) आप बीच में बोल चुके हैं अब आप आखीर में बोलें।

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं जरा और स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष—इसी लिये मैंने आपको बीच में मौका दिया था ।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने तो यह समझा था कि लोग काफी समझदार हैं समझ जायेंगे लेकिन नहीं समझे तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं समझा दूं ।

श्री अध्यक्ष—अब जब तक क्लोजर न हो तब तक आपको नहीं बोलना चाहिये ।

*श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुयी इस बात को देखकर कि जिस भावना का समर्थन माननीय नारायणदत्त जी ने किया वह एक बुर्जुआ मेंटलिटी है । वह इस प्रकार से बुर्जुआ मेंटलिटी है कि आप ऊंची पढ़ाई को सीमित करनें का प्रयत्न कर रहे हैं और चाहते यह हैं, ज्यादा से ज्यादा पसन्द यह करते हैं कि इलाहाबाद में कोई एसोसिएटेड कालेज न रहे । सब लड़के हास्टेल में रहें और जिनकी इतनी लम्बी आमदनी हो उन्हीं के बच्चे पढ़ सकें, बाकी गरीब बच्चे न पढ़ सकें । जैसा कि उन्होंने अभी कहा प्रीएम्बुल की तरफ इशारा करते हुए कि ज्यादा अच्छा यही होता कि अगर यह भी न हो और इसके बाद वह भी न हो तो प्रीएम्बुल के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते । किसी ऐसे देश में अध्यक्ष महोदय, जहां कि ऊंची शिक्षा बिलकुल फ्री न हो, वहां पर इस प्रतिबन्ध को लगाना मैं एक बड़े आदमियों की चाल समझता हूं. अगर चाल नहीं तो उस मनोवृत्ति का प्रतीक समझता हूं । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और विरोध इसलिये करता हूं मैं उस नक्शे को भी कभी-कभी देखने का प्रयत्न करता हूं कि जिसमें सारा प्रान्त हमारा पूरा राज्य जो है, वह यूनिवर्सिटियों के जोन में बंट जाय और प्रत्येक यूनिवर्सिटी का एक अपना जोन हो और यदि सम्भव हो तो जो केन्द्र विन्दु यूनिवर्सिटी हो, जो कालेज हो, वह एक रेजीडेंशियल कैरेक्टर रखे । बाकी और कालेजेज जो हों वह उससे एसोसिएटेड कालेजेज के रूप में रहें और सारे देश में शिक्षा का प्रचार करें । इस बात से मैं बिलकुल समहत नहीं हूं कि एसोसियेटेड कालेजेज में स्टैन्डर्ड गिर जायगा । मुझे भी अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य मिला है एक ऐसे कालेज में रहकर के पढ़ने का, के०पी० कालेज इलाहाबाद में है वहां की पढ़ाई का स्टैन्डर्ड किसी भी हालत में युनिवर्सिटी से कम नहीं था । वहां के टीचर किसी हालत में युनिवर्सिटी के टीचरों से कम नहीं थे । डा० ताराचन्द महोदय, के नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन पूरी तरह से जानकारी रखता है । वह उस कालेज में भी पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी में भी क्लास लेते थे । तो मैं इस झगड़े में तो अध्यक्ष महोदय, पड़ना नहीं चाहता कि पुराने समय में क्या उसकी हालत थी, उस पर मैं पिछले दिन अपनी राय प्रकट कर चुका हूं, इस संशोधन का मैं केवल इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि यह ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो एक रास्ता खुला हुआ है उसको यह बन्द करने का प्रयत्न करता है और किसी ऐसे देश में जिसकी प्रगति इस हद तक न पहुंची हो कि वह उच्च शिक्षा को फ्री दे सके, उसके अन्दर इसका बन्द करना खतरनाक है । खतरनाक कम से कम गरीबों के लिये है, उनके लिये है जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिये है जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के हास्टेल में अपने लड़के को रखकर पढ़ा सकें । अध्यक्ष महोदय, अन्त में इतना कहकर के मैं बैठूंगा कि क्या माननीय नारायण दत्त जी ने इस बात की कल्पना की है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल बड़े-बड़े अफसरों के ही लड़के पढ़ सकें, बड़े-बड़े कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, आई०सी०एस० और पी०सी०एस० के ही लड़के वहां पढ़ सकें, जैसा कि पुराना ख्याल था और जैसा कि पहले होता था, क्या उसी प्रकार का चित्र उनके मस्तिष्क में है ? अगर ऐसा है तो यह मनोवृत्ति एक बुर्जुआ मनोवृत्ति है ।

श्री शिवनारायण—अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री कुंवरकृष्ण वर्मा के बोल लेने के बाद मैं अब इसको लूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---जो संशोधन इस वक्त सदन के सामने रखा गया है और जो भाषण कि माननीय नवलकिशोर जी ने दिया मैं समझता हूं कि उनका मंशा इस संशोधन से हरगिज नहीं पूरा होता । यह क्लाज के बाद यह बढ़ाया गया था कि–

"Associated College means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this A ct to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the university."

इसमें शब्द this Act जो आया है उसका मंशा पहले ऐक्ट से है । संशोधन में before the commencement of this Act. आप चाहते हैं जोड़ना University और authorised के बीच में । इसके मानी यह होंगे कि मूल ऐक्ट के पहले जिन कालेजेज को रिकगनीशन मिला या अथराइज्ड किया गया है उन पर यह चीज लागू होगी, न कि उसके बाद हालांकि आपका मंशा यह नहीं है । आपका मंशा तो यह था कि उस ऐक्ट के बाद और इस अमेंडमेंट के बीच में जिन कालेजेज को रिकगनाइज किया गया है या अथराइज किया गया है उन्हीं पर यह चीज लागू हो । तो मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन आउट आफ आर्डर है । इससे आपका मंशा बिलकुल पूरा नहीं होता और यह संशोधन जिस रूप में है हरगिज भी सदन के सामने नहीं रखा जा सकता ।

इसके अलावा, जैसा कि अभी बतलाया गया है, यह भी हो सकता है कि बहुत से कालेज ऐसे भी निकलें जिनका पठन-पाठन, स्टैन्डर्ड शायद इस ऐक्ट से भी कहीं ऊंचा हो, तो उस हालत में क्या यह समझा जायगा कि उनको रिकगनीशन देना या अथराइज करना अनुचित होगा ? जैसा कि मंत्री जी ने कहा था, ऐसा कानून बनाकर आगे के लिये रोक लगा देना मुनासिब नहीं होगा । मालूम नहीं कि आगे क्या हो उस चीज को देख कर ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं पहले ही से कोई पाबन्दी लगाना बिलकुल नामुनासिब है । तो मैं इन दोनों कारणों से इस संशोधन का विरोध करता हूं । अगर इसे आउट आफ आर्डर मान लिया जाता है तो इस पर कोई ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

श्री अध्यक्ष---यह कानूनी प्रश्न उठाया गया है, और before the commencement of this Act का मतलब तो यही होता है, जो माननीय सदस्य ने अभी बताया परन्तु यह बात है कि इतनी इस संशोधन पर बहस हो चुकी है और क्लोजर भी मूव हो गया है तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा शाब्दिक परिवर्तन करने की मैं इजाजत दे देता माननीय नवलकिशोर जी को कि वह before the commencement of this Act के बजाय और कोई शब्द रख दें जिसमें असम्बद्धता दूर हो सके । अब मैं इस वक्त क्लोजर के ऊपर ही राय लूंगा और अगर वह स्वीकार हो जाता है तो नवल किशोर जी का जवाब होकर इस प्रश्न को समाप्त किया जा सकता है । प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नवलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने साथी माननीय शुक्ल जी का भाषण सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने यह बात फरमाई कि इसमें कुछ उनको बुर्जवाई मैन्टेलिटी की बात दिखलायी पड़ी । मैं यह समझता हूं कि शायद स्थिति बिलकुल उसके विपरीत है । मेरा ऐसा मत है कि आजकल के विश्वविद्यालय ज्यादा हायर एजूकेशन देकर ज्यादा बुर्जवाई मैन्टलिटी पैदा करते हैं । अगर माननीय शुक्ल जी कहते कि एजूकेशन के सिस्टम को ऐसा बना दिया जाय कि जिससे जनसाधारण में अच्छी भावनायें आवें तो मैं उनकी बात समझ सकता था लेकिन यह न कहकर उन्होंने बुर्जगवाई मैन्टेलिटी की बातें कहीं सो मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं । क्योंकि अगर वे देखें तो हायर एजूकेशन जैसा कि उन्होंने कहा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम उसके अधिकार को छीनना चाहते हैं तो ऐसी मंशा नहीं थी मगर जैसी की आज हायर एजूकेशन है उसके संबंध में तो मेरा मत यहां तक है कि अगर इसको बंद भी कर दिया जाय तो भी इससे देश की विशेष हानि होने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है उस सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है कि आजकल की यूनिवर्सिटीज अनइम्पलायड यूथ्स पैदा करने की एक फैक्टरी बन चुकी हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज को लेकर हम क्या करें? इनके विद्यार्थी जब इनमें से निकलते हैं तो वह ऐसे होते हैं कि बजाय इसके वह देश के लिये एक असेट बनें वह लायबिलिटी बनते हैं तो मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं।

एक साहब ने यह कहा कि मेरा संशोधन आउट आफ आर्डर है हो सकता है क्योंकि यह कानून की बात है। 'अंडर दी प्राविजन आफ दिस ऐक्ट' के माने मैं यही समझा था कि अंडर दी प्राविजन आफ दिस अमेंडिंग ऐक्ट अगर इसमें सदन को कोई आपत्ति है तो मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि इसके बजाय 'बिफोर दी कमेंसमेंट आफ दिस अमेंडिंग ऐक्ट' रख दिया जाय। माननीय शुक्ल जी ने बतलाया कि कुछ ऐसे कालेजेज भी होते हैं जिनमें बड़े-बड़े प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और उनसे विद्यार्थियों को बहुत फायदा पहुंचता है। मैं कायस्थ पाठशाला यूनिवर्सिटी कालेज के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं वह एक बहुत बड़े महानुभाव हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने माननीय दोस्त से यह जानना चाहता हूं कि वह कितने ट्यूटोरियल क्लासेज लेते हैं या किन-किन चीजों का अध्यापन कराते हैं। क्या यह सही नहीं है कि वह वहां पर सिर्फ इसीलिये हैं कि इससे इनको यूनिवर्सिटी ऐक्जीक्यूटिव में एक सीट मिल जाय। मैं तो स्वयं इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे माननीय साथी ने ऐसी कुछ बातें कह दीं जिनकी वजह से मुझे जिक्र करना पड़ा।

दूसरे एक साथी ने यह बात कही कि अगर किसी कालेज का स्तर यूनिवर्सिटी से ऊंचा हो तो उसको क्यों न इस यूनिवर्सिटी में एफीलियेट किया जाय। यह एक बहुत बड़ा आइडियल कनसेप्शन है उनका। माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि यह जो तीन कालेजेज हैं इनका एफीलियेशन हो जाने के बाद स्तर ऊंचा हो जायगा। आज तक उन कालेजेज का स्तर ऊंचा नहीं हो पाया है जो एफिलियेटेड हैं तो उनको जो यह आशा है तो क्या ऐसा कोई आदर्श कालेज स्वर्ग से सीधा उतर आयेगा अगर ऐसा कोई आइडियल कालेज हो जाय तो यह सम्भव हो सकता है और मैं समझता हूं कि उस समय यह उचित भी होगा कि एक संशोधन इस बिल में ले आया जाय कि इस आदर्श कालेज को भी इस यूनिवर्सिटी से एफीलियेट कर लिया जाय। मैं इन शब्दों के साथ अपना संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि वह स्वीकार किया जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, यह वास्तविकता से मैं समझता हूं कि श्री नवलकिशोर जी भी बहुत अलग हट गये। आज स्थिति यह है कि इन कालेजेज के सम्बन्ध में कानूनी दो रायें हैं कि उनकी डिग्री नाजायज है कानूनन। दूसरी राय यह है कि उनकी डिग्री जायज है तो आज यह असोसियेटेड कालेज संदिग्ध हैं कि वह यूनिवर्सिटी के अंग एज असोसियेटेड कालेजेज हैं या नहीं। जब उनको एफीलियेशन दिया गया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में यह सम्भव था या नहीं, इस सम्बन्ध में दो रायें हैं। अगर यह जोड़ दिया जाता है कि "कमेंसमेंट आफ दिस अमेंडिंग ऐक्ट" और इसको मान लिया जाता है तो कितने कालेज हैं जिनको आप बनायेंगे। अगर यह राय सही है कि उनकी डिग्री नाजायज है और उनका कोई अस्तित्व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है। यह कानूनी राय ठीक है और यह संशोधन मान लिया जाय तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा और न कोई असोसियेटेड कालेज हैं इसलिये मैं समझता हूं कि अब वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेता हूं वैसे मैं माननीय शिक्षा मंत्री के आरगूमेन्ट्स से कन्विंस नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि ५ बज चुके हैं, अब वोटिंग कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष—दो चार मिनट मैं बढ़ा सकता हूं। जब सदन की इच्छा है कि वोटिंग विभाजन से हो तो उसकी इच्छा यह भी है कि समय कुछ अधिक लगे तो बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७५

विपक्ष में—१३ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;

दिनांक १२ अक्तूबर, १९५४ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ कुमायूं द्वारा की गयी मांगें और उन पर की गयी कार्यवाही की तालिका :—

मांगें	उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण
१—वेतन में वृद्धि की जाय ।	सार्वजनिक निर्माण विभाग में श्रमिकों को बाजार भाव के अनुसार मजदूरी दी जाती है, इसलिये वर्तमान स्थिति में उनका वेतन बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।
२—दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज स्टैबलिशमेंट पर नियुक्त कर्मचारियों को रेगुलर इस्टैबलिशमेंट पर नियुक्त किया जाय । तथा नौकरियों को स्थायी किया जाय ।	सरकार इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि दैनिक वेतन और वर्क-चार्ज इस्टैबलिशटमेंट के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या वैभागिक कार्यों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है ।
३—श्रमिकों को आकस्मिक, ४—उपार्जित तथा ५—बीमारी की छुट्टी और ६—प्रीविलेज छुट्टी दी जाय ।	इन कर्मचारियों को अब एतवार तथा बड़े-बड़े त्योहारों पर साल में दस छुट्टियां दी जाती हैं । उपार्जित छुट्टी, बीमारी की छुट्टी तथा प्रीविलेज छुट्टी केवल रेगुलर इस्टैबलिशमेंट पर नियुक्त कर्मचारियों को दी जाती हैं, दैनिक वेतन या वर्कचार्ज इस्टैबलिशमेंट के ही आधार पर काम करने वालों को नहीं ।
७ व ८—पेंशन तथा प्रावीडेंट फंड की व्यवस्था की जाय ।	पेंशन तथा प्राविडेंट फंड की व्यवस्था केवल स्थायी कर्मचारियों के लिये ही की जाती है, इसलिये सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकती ।
९—नि:शुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय ।	इसका प्रबन्ध सरकारी तथा जिला अस्पतालों में पहले ही से है और कर्मचारी उनसे लाभ उठा सकते हैं ।
१०—बरसाती तथा कम्बलों की व्यवस्था की जाय।	इस मांग पर सरकार विचार कर रही है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर।)

राप्ती नदी के उत्तरी ओर निम्नलिखित कार्य पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित थे—

गोंडा

(१) बलरामपुर-तुलसीपुर प्रांतीय मार्ग १७ मील .. नया निर्माण
(२) गगौली-तुलसीपुर ओ० डी०आर० १३ मील .. जिला बोर्ड को हस्तान्तरित कर दी गयी।
(३) गैनसारी-तुलसीपुर ओ०डी०आर० ८ मील।

पुल

(१) बलरामपुर में राप्ती नदी पर उत्तरी-पूर्वी रेलवे पुल की डेकिंग तथा उसकी एप्रोचों का निर्माण।

बस्ती

स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण:—

(१) बस्ती-डोमरियागंज-बढ़नी एम०डी०आर० ५० १/२ मील
(२) शोहरतगढ़-नैपाल सीमा ५ १/२ मील

नवनिर्माण

(१) बस्ती-नौगढ़ प्रान्तीय मार्ग ९ मी० ६ फर्लांग
(२) नौगढ़-शोहरतगढ़ प्रांतीय मार्ग १४ मी० २ फ०

गोरखपुर स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण

(१) गोरखपुर-फरेंदा प्रान्तीय मार्ग ५ मी० ६ फ०
(२) गोरखपुर-महराजगंज, एम०डी० आर० २६ मील
(३) शिकारपुर-परतावल-कैप्टेनगंज-तमकोही, एम०डी०आर० ९ मील

नव-निर्माण

	मी०	फ०	गज
(१) गोरखपुर-फरेंदा प्रांतीय मार्ग	२१	६	१३५
(२) सिसवा-हत्ता, एम०डी०आर०	३०	५	
(३) गोरखपुर-देवरिया प्रांतीय मार्ग	१६	०	२५३

सीमेंट-कांक्रीट टैक्स

(१) सिसवा से शिवदत्त छपरा	३	०	०
(२) सिसवा-हवाली	२	०	०
(३) कसमी फार्म पिपरैच मिलें	६	०	०
(४) सराय गुलरिया से तुलसीदेव	५	०	०
(५) बिशुनपुर-फदरहा-पकरी	६	०	०
(६) बरगधी से पिपरैच सड़क	५	०	०
(७) फरेंदा-महराजगंज	४	०	०
(८) पिपरैच-सोनबरसा मार्ग पर बेला से १३ मीलों को मिलाते हुए पक्का कसिया मार्ग ..	४	०	०
(९) सोनबरसा-फतेवा-इनार	६	४	२५५
(१०) चौरी-चौरा-मोतीपाकर	२	५	०

ओ०डी० आर्स० तथा बी० आर्स०	मी०	फ०	ग०	
(१) महाराजगंज-फरेंदा ओ०डी०आर०	१८	३	०	सार्वजनिक निर्माण
(२) निचलौल-महराजगंज	१५	२	०	विभाग द्वारा
(३) मोहनपुर-कोल्हई-नौतनवा ओ०डी०आर०	१६	५	०	रोकी गयी।
(४) नौतनवा-तूतीबारी-निचलौल ओ० डी० आर०	२६	६	०	
(५) मोहनपुर-फरेंदा ओ०डी०आर०	११	०	०	
(६) निचलौल-सिसवा बाजार ओ० डी० आर०	१२	०	०	
(७) महराजपुर-बैजनाथपुर-चौक ओ० डी० आर०	६	३	३३०	जिला बोर्ड को
(८) गढ़बरही बी०आर०	४	३	०	हस्तांतरित कर दी
(९) पिपरैच-महुआ बी०आर०	३	०	०	गयी।
ओ०डी० आर्स० तथा बी०आर्स० का पक्की करना				
(१) महराजगंज-निचलौल ओ०डी० आर०	१५	२	०	
(२) फरेंदा-नौतनवां ओ०डी०आर०	२७	५	०	
देवरिया स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण				
(१) पदरौना-कसिया एम०डी०आर०	११	३	०	
नव-निर्माण				
(१) गोरखपुर-देवरिया प्रांतीय मार्ग	१२	६	२३२	
(२) सलेमपुर-तुरतीपुर प्रांतीय मार्ग	१२	४	०	
(३) शिकारपुर-परतावल-कैप्टेनगंज-तमकोही एम०डी०आर० ऐप्रोचों के साथ	४४	०	०	
सीमेंट-कंकरीट टैक्स				
(१) बैतालपुर-हिरेन्दपुर-बैजनाथ	८	०	०	
(२) रामकोला-कैप्टनगंज जिला बोर्ड मार्ग पर रामबाग ग्राम से लक्ष्मीगंज तथा कैप्टेनगंज नौरंगिया जिला बोर्ड मार्ग पर आगे देवरिया छपरा खत्तल तक मार्ग	६	०	०	
(३) गौरी हत्ता मार्ग पर रामपुर ग्राम से हत्ता देवरिया मार्ग पर रामपुर ग्राम तक	६	०	०	
(४) रामकोला से सिंघा मार्ग	६	०	०	
(५) रामकोला से कसिया मार्ग	६	०	०	
(६) तुलसीपुर-भटनी वाया धोबी	५	०	०	
(७) फैक्ट्री से रसिया कन्सर्न	२	४	०	
(८) फैक्टरी से खिरकिया पुल	३	०	०	
(९) खिरकिया पुल से परारी	३	०	०	

		मी०	फ०	ग०
(१०)	हाताखास से ट्रामवे पर करमहा	२	०	०
(११)	गोरखपुर कसिया रोड से मिलाने के लिये भरगंवा ट्रामवे तक	१	३	०
(१२)	देवरिया-रामकोली-पटखौल	८	०	०
(१३)	कठकुइयां-धिया	७	१	०
(१४)	कैप्टेनगंज-सिक्ता	६	०	०
(१५)	खड्डा-नेवया	६	०	०

ओ० डी० आर्स० तथा बी० आर्स०

(१)	रुद्रपुर-देवरिया ओ०डी०आर०	१२	०	०
(२)	रुद्रपुर-मदनपुर बी०आर०	६	०	०
(३)	भटपुर-रानी मंगर वी०आर०	६	०	०

बड़े पुल

	ऐप्रोचेज मिलाकर तुरतीपुर पर घाघरा नदी के ऊपर उत्तरी रेलवे पुल की डेकिंग देवरिया-भीकमपुर रोड को पक्की करना तथा उन्नति करना	७	१	०

सत्यमेव जयते

जिला	क्रम संख्या	काम की मद	वर्गीकरण	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकारण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्रीकरण	टाप इन्टर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कांक्रीट बिछाना	पहला कोट पेंट	दूसरा कोट पेंट	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
गोंडा		नव-निर्माण—														
	१	बलरामपुर–तुलसीपुर डी०डी०आर० तथा बी०आर०	प्रांतीय मार्ग ...	१७	१७	१७	१७	१७	१४-६	१४-६	—	—	—	—	—	
	२	गुगावली–तुलसीपुर	ओ० डी० आर०	१३	११-४	० २	एम	आर	—	—	—	—	—	—	—	
	३	गैसारी तुलसीपुर पुल	,,	८	७-३	१-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	जिला बोर्ड को हस्तांतरित कर दी।
	४	बलरामपुर में राप्ती नदी पर उत्तरी–पूर्वी रेलवे पुल की डेकिंग तथा उसकी ऐप्रोचों का निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
बस्ती		स्थानीय पक्की सड़कों का पुन–निर्माण–														
	१	डुमरियागंज-बढ़नी	एम० डी० आर०	५०-४	५०-४	५०-४	४९-४	४७-०	४७-०	४३-०	—	—	—	—		

प्रधान सभा

जिला	क्रम संख्या	काम की मद	वर्गीकरण	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकरण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्रीकरण	इन्टर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कांक्रीट बिछाना	पहला कोट पेंट	दूसरा कोट पेंट	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	२	शोहरतगढ़-नैपाल सीमा नवनिर्माण	एम० डी० आर०	५-४	—	एन०आर०	-	—	५-४	५-४	५-०	५-०	—	—	—	
	३	बनसी—नौगढ़	प्रांतीय मार्ग ..	९-६	९-६	८-४	९-२	८-२	८-०	६-२	—	—	—	—	—	
	४	नौगढ़—शोहरतगढ़ स्थानीय पक्की सड़कों का निर्माण—	,,	१४-२	१४-२	१४-०	१४-२	१४-०	१४-०	१४-०	—	—	—	—	—	
गोरखपुर	१	गोरखपुर—फरेंदा	प्रांतीय मार्ग	५-६	—	—	एन० आर०	—	५-६	५-६	—	—	—	—	—	
	२	गोरखपुर-महाराजगंज	एम० डी० आर०	२६-०	—	—	—	—	२६-०	२६-०	—	—	—	—	—	
	३	शिकारपुर—परतावल कैप्टेनगंज—तमकोही	—	९-०	—	—	—	—	९-०	९-०	—	—	—	—	—	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	नव-निर्माण--													
१	गोरखपुर-फरेंदा	प्रांतीय मार्ग	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	२१-६	–	–	–
			१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	–	–	–
२	सिगवा-हाता	एम० डी०आर०	३०-५	३०-२	२९-२	१६-४	४-५	८-२	२-३	–	–	४-०	–	–
३	गोरखपुर-देवरिया	प्रांतीय मार्ग	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	१६-०	–	–	–
			२५३	२५३	२५३	२५३	२५३	२५३	२५३	२५३	२५३	–	–	–
	ओ०डी०आर० तथा बी० आर०													
१	महराजगंज-फरेंदा	ओ० डी०आर०	१८-३	१८-३	१८-३	–	–	–	–	–	–	–	–	–
२	निचलौल-महराजगंज	,,	१५-२	१५-२	१२-२	–	–	–	–	–	–	–	–	–
३	मोहनपुर-कोल्हई-नौटनवा	,,	१६-५	१६-५	१३-५	–	–	–	–	–	–	–	–	–
४	नौटनवा-तुरतीवारी-निचलौल													
५	मोहनपुर-फरेंदा	–	११-०	११-०	११-०	–	–	–	–	–	–	–	–	–
६	निचलौल-सिसवा बाजार	–	१२-०	१२-०	१२-०	–	–	–	–	–	–	–	–	–
७	महाराजगंज-बैजनाथपुर चौक	–	६ ३ १/२	६ ३ १/२		एन०आर०								
८	गढ़-बरही	बी० आर०	४-३	४-३	०-३	एन०आर०		–	–	–	–	–	–	
९	पिपरैच-महुआ	,,	३-०	३-०	०-	एन० आर०		–	–	–	–	–	–	

जिला बोर्ड गोरखपुर को हस्तांतरित कर दी गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	क्रम-संख्या	काम की मद	वर्गीकरण	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकरण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्रीकरण	इन्टर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कंक्रीट बिछाना	पहला काट पेंट	दूसरा कोट पेंट	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		ओ०डी०आर०तथा बी० आर० को पक्का करना														
	१	महराजगंज—निचलौल	ओ०डी० आर०	१५-२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	२	फरेंदा—नौटनवा	,,	२७-५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		सी०सी० ट्रैक्स—														
	१	सिसवा—शिवदत्त चोपरा	—	३-०	३-०	३-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	२	सिसवा-हवाती	—	२-०	२-०	२-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३	कुसमी फार्म से पिपरैच मिल्स		६-०	६-०	५-०	२-६	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४	सराय गुलरिया से तुलसी देव		५-५	५-०	५-०	४-४	०-६	—	—	—	—	—	—	—	
	५	बिशुनपुर-पकरी	—	६-०	३-४	५-०	३-०	—	—	—	—	—	—	—	—	
	६	बरगधी—पिपरेच	—	५-०	४-४	५-०	४-४	१-४	—	—	—	—	—	—	—	
	७	फरेंदा-महराजगंज	—	४-०	४-०	४-०	३-०	—	—	—	—	—	—	—	—	
	८	बेला-सोनबरसा	—	४-०	४-०	२-०	२-६	—	—	—	—	—	—	—	—	
	९	सोनबरसा-फेटवैनर	—	६-४	६-४	६-४	४-०	४-०	—	—	—	—	—	४-०	—	
				२५५												

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	चौरी चौरा-मोती-पाकर	—	२-५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
देवरिया	स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण--													
१	पडराना-कासया एम० एन० नव-निर्माण	आर० ११-३	—	—	—	—	११-३	११-३	८-०	८-०	—	—	—	
२	गोरखपुर-देवरिया	प्रा० १२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	१२-६	—	—	
		मा० २३२	२३२	२३२	२३२	२३२	२३२	२३२	२३२	२३२	२३२			
३	सलीमपुर-तुरतीपुर	—	१२-४	१० १/२	१० १/२	१० १/२	१० १/२	१० १/२	८-०	२-६	—	—	—	
								१ १।२						
४	शिकारपुर-परतावल-एम० कैप्टेनगंज-तमकोही डी०आर० सी०सी० ट्रैक्स	४४-०	४३-०	४१-०	४३-०	४३-०	४६-०	३१-०	८-०	१-०	—	—	—	
५	बैतालपुर-हिरन्दा-पुर-बैजनाथपुर	—	८-०	८-०	८-०	८-०	६-०	—	—	—	—	२-०	—	—
६	रामबाग से लक्ष्मीगंज	—	६-०	६-०	५-०	१ ०	—	—	—	—	—	—	—	—
७	रामपुर से रामपुर	—	१६-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
८	राम केला-सिंधा	—	६-०	४-६	५-०	१-६	—	—	—	—	—	—	—	—
९	रामकेला-कसिया	—	६-०	५-०	५-०	२-०	—	—	—	—	—	—	—	—
१०	धोबी होकर-तुलसी-पुर-भटनी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
११	फैक्ट्री से रसिया कन्सर्न	—	५-०	५-०	५-०	२-०	२-०	—	—	—	—	—	—	—
१२	फैक्ट्री से खिरकिया-पुल	—	२-४	२-४	२-४	१-०	१-०	—	—	—	—	—	—	—
		—	३-०	३-०	३-०	१-५	—	—	—	—	—	—	—	—

जिला	क्रम संख्या	काम की मद	वर्गीकरण	मिट्टी का काम	पुल लम्बाई तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकरण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्रीकरण	इन्टर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कांक्रीट बिछाना	पहला कोट पेंट	दूसरा कोट पेंट	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	१३	खिरकिया पुल से परारी	—	३-०	३-०	२-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	१४	हाता खास से करमड़ा	२-०	२-०	२-०	२-०	२-०	०-७	—	—	—	—	—	—	—	
	१५	ट्रामवे पर भरगवा	—	१-३	१-३	१-३	१-३	०-५	—	—	—	—	—	—	—	
	१६	देवरिया पैकावली पठखुला	—	८-०	६-४	६-४	४-६	१-०	—	—	—	—	—	—	—	
	१७	कठकुइयां–गधिया	—	७-१	४-०	२-४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	१८	कैप्टेन गंज-सिक्ता	—	६-०	४-०	५-०	४-०	१-०	—	—	—	—	—	—	—	
	१९	खड्डा–नेलवा	—	६-०	६-०	४-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ओ०डी०आर्स० तथा बी० आर्स०														
	१	रुद्रपुर–देवरिया	ओ०डी आर०	१२-०	६-०	०-६	एन०	आर०	—	—	—	—	—	—	—	जिला बोर्ड देवरिया को हस्तांतरित कर दी गयी ।
	२	रुद्रपुर–भदनपुर	बी०आर०	६-०	३-१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३	भटपुर–रानी–मेगर	,,	६-०	६-०	६-०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		उन्नत तथा पक्का करना														
	१	देवरिया–भीकमपुर मार्ग	—	०-१	०-६	२-०	६-०	—	३-०	—	—	—	—	—	—	
	२	घाघरा नदी पर उत्तरी-पूर्वी रेलवे पुल की डेकिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८६ एल० ए०—१९५४—८५० ।